खण्ड-265, अंक-6
गुरूवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1888
(24 मार्च, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 265 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५३१–५३५
प्रश्नोत्तर	५३५–५७१
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर के कार्य-करण पर वर्ष १९६४–६५ की रिपोर्ट (मेज पर रखी गयी)	५७१
वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री–कर) विभाग की विज्ञप्ति (मेज पर रखी गयी)	५७१
उत्तर प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ के लाभ और हानि के लेखों पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन (मेज पर रखे गये)	५७१
डाक्टरी मुआयने की रिपोर्ट को अंग्रेजी में भेजने पर आपत्ति	५७१
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का तीसरा विशेष प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	५७२
गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के संबंध में सूचना	५७३
फिरोजाबाद नगर में कांच उद्योग पर नये बिक्री-कर लगाने के विरोध में हुई हड़-ताल के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत)	५७३
देवरिया और बहराइच जिलों के चीनी मिल क्षेत्र तथा गोंडा जिले में खेतों में खड़े गन्ने को पेरे जाने की व्यवस्था न होने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं (केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत)	५७३–५७४
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं	५७४–५७५
कतिपय विषय	५७५–५७६
१९६६–६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या २०––कृषि संबंधी विकास, अनुदान संख्या २१–उपनिवेशन, अनुदान संख्या २२–पशुपालन और मत्स्यपालन तथा अनुदान संख्या ४७–कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	५७६–६२९
नत्थियां	६३०–६४४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २४ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११½ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछो, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काज़ी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातोराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशोधर पांडेय, श्री
बंशोधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री

रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोरवर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
वियपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री

श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुधामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २४ मार्च, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राजकीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली

**१—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या यह सत्य है कि सरकार राजकीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली—राष्ट्रीय सुरक्षा का बचाव—में कोई संशोधन करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह संशोधन क्या है ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

इस विषय पर अभी कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या सरकार ने इस विषय को विचाराधीन कर रखा है या किसी व्यक्ति को राय देने के लिये अधिकृत किया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैंने कहा इस विषय पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

तो क्या ऐसी कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है, जो होने वाली है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस समय कोई विचाराधीन भी नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

श्री प्रेमचन्द की थाना कोतवाली, सहारनपुर द्वारा गिरफ्तारी

*१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सहारनपुर, थाना कोतवाली में श्री प्रेमचन्द्र को पिछले सप्ताह घर से बुलाकर धारा १५१ में बन्द कर दिया गया जबकि उनकी पत्नी श्रीमती सरोजनी देवी अपने सात बच्चों के साथ थाने में वहां के एक प्रमुख व्यक्ति के विरुद्ध मारपीट इत्यादि की शिकायत करने गयीं ? यदि हां, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

शान्ति भंग होने का अन्देशा होने के कारण श्री प्रेमचन्द, विवासी चोताला, थाना कोतवाली, सहानरपुर को दिनांक १९-२-६६ को धारा १५१ जा० फौ० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । उस दिन श्री प्रेमचन्द जी की पत्नी श्रीमती सरोजनी देवी किसी व्यक्ति की शिकायत करने के लिये थाने पर नहीं गई ।

*२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या यह भी सत्य है कि उक्त श्रीमती सरोजनी देवी को मुहल्ले के लोग इसलिये सहायता नहीं कर सकते कि यह उस प्रमुख व्यक्ति के पुलिस वगैरह के मेल-जोल से भयभीत हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

पुलिस का किसी प्रमुख व्यक्ति से मेल जोल नहीं है और न इसके कारण मुहल्ले के लोग श्रीमती सरोजनी देवी की सहायता करने से डरते हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रेम चन्द को दफा १५१ में कहां से गिरफ्तार किया गया और किसको शिकायत पर गिरफ्तार किया गया और वह शिकायत क्या थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जब वह पार्टीशन को काट रहे थे, तो महेश प्रसाद व राजेन्द्र प्रसाद ने उसे रोका और न मानने पर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने आने पर उनको मना किया, लेकिन पुलिस के मना करने पर भी न माने तो वहीं उनको गिरफ्तार किया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार को मालूम है कि जितनी भी सरकार की मनोनीत कमेटियां हैं, उनमें उनका नाम जाता है ? इसलिये मैंने कहा कि वह प्रमुख व्यक्ति हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि लकड़ी काटने का जो सवाल है वह किसकी थी और पुलिस को किसकी शिकायत पर बुलाया गया? क्या यह भी सही है कि माननीय राजेन्द्रप्रसाद जी अपने साथ पुलिस बुलाकर लाए थे ?

गृह मंत्री (श्री हरगोबिन्दसिंह)—

यह मकान दो व्यक्तियों का है। एक किरायेदार हैं और एक यह साहब हैं जो पकड़े गये। अदालत में पहले उनका मुकदमा भी चला था। उनके बीच में लकड़ी का एक पार्टीशन है, अदालत से एक कमिश्नर मुकर्रर हुआ था, उनको भी उन्होंने घर में नहीं जाने दिया था, इसकी भी उन्होंने अलग से रिपोर्ट की थी। जब यह काट रहे थे तो राजेन्द्रप्रसाद ने खबर दी तो फ्लाइंग स्क्वाएड आया, उसने समझाया बुझाया कि न काटो, क्योंकि अदालत में केस चल रहा है, फिर भी वह नहीं माने तो उन्हें गिरफ्तार करके धारा १५१ में केस चला दिया गया।

श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, अमन चैन भंग होने के आशंका की धारा १५१ में एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया या अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

एक ही व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था ।

श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि लड़ाई झगड़े के सिलसिले में कभी कोई रिपोर्ट नहीं हुई थी और यह पहली ही रिपोर्ट थी ? और जब रात को वह आदमी छोड़ दिया गया तब भी उसे मकान में राजेन्द्रप्रसाद ने घुसने नहीं दिया और एक कानेस्टिबल ने जाकर उनको उस मकान में एन्ट्री दिलाई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सब सूचना तो मेरे पास नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन यह है कि इसका मुकदमा चला था और एक फैसला भी मुंसिफ ने किया था, जिसमें मुंसिफ ने मुसम्मात के निस्बत यह लिखा था कि ये बड़ी झगड़ालू हैं, ये सबसे झगड़ा करती हैं, और जब एडवोकेट गये थे तो कमिश्नर को उन्होंने घर में नहीं घुसने दिया था, बुरा व्यवहार किया था तो उन्होंने भी पुलिस में रिपोर्ट किया है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या यह सही है कि इन श्रीमती जी को जिनको झगड़ालू कहा जा रहा है उनको डाक्टर जयगोपाल दो बार लेकर एस० पी० के पास गये, लेकिन राजेन्द्र प्रसाद ने शिकायत की और इस वजह से उसको नाजायज परेशान किया जा रहा है और चूंकि राजेन्द्र प्रसाद म्यूनिसिपल कमेटी के सदस्य हैं और उन्होंने ही उसे अध्यापिका की नौकरी से निकलवाया था ? क्या यह सारी जानकारी सरकार को है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने उनकी निस्बत यह तो नहीं कहा कि वह झगड़ालू हैं मैंने तो सिर्फ मुंसिफ के फैलने का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि यह श्रीमती जी बड़ी झगड़ालू हैं और हर एक से झगड़ा करती हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

मैंने तो यह स्पष्ट प्रश्न किया कि डाक्टर जयगोपाल, जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, वे उसी औरत को ले कर एस० पी० और कलेक्टर के पास गये और अधिकारी ने इन राजेन्द्र प्रसाद जी की शिकायत पर ही उसकी सहायता करने से इन्कार कर दिया । क्या यह जानकारी सरकार को है और अगर है तो क्या सरकार उसकी सहायता करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यदि आप मेरे पास लिखित भेज देंगे तो मैं जानकारी करा लूंगा । हमारे पास अभी यहां आने से पहले एक बायरलेस एस० पी० का आया है कि इन श्रीमती जी ने एक पत्र उनको २१ तारीख को दिया था जो १६ तारीख को लिखा गया था । अगर आप लिखकर देंगे तो उसकी जांच करवा लूंगा ।

*३–४—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[आठवें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया जिले में चुर्क सीमेंट के थोक विक्रेता

*५—सर्वश्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला के अन्तर्गत चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, मिर्जापुर की ओर से कौन-कौन और कहां-कहां थोक सीमेन्ट विक्रेता नियुक्त किये गये हैं तथा उन्हें मासिक टनों में कितनी-कितनी सीमेंट दी जाती है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

वांछित सूचना की सूची संलग्न है। स्टाकिस्टों का कोटा त्रैमासिक निश्चित किया जाता है। एक ही मात्रा बराबर निश्चित नहीं होती बल्कि केन्द्र की निर्धारित मात्रा के घटने बढ़ने से त्रैमासिक कोटे पर भी असर पड़ता है। कोटा स्टाकिस्ट द्वारा १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में उठाई गयी सीमेंट की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६३०-६३१ पर)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के अलावा कटनी और अशोका के सीमेंट को काटकर कोटा देने का निर्णय क्यों लिया गया और बाद में उसको पूरा नहीं किया गया ? तो जो वह पहले से वादा किया गया था वह नहीं पूरा किया जा रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

स्टाकिस्ट के पास जो स्टाक था उसके हिसाब से सरकार निश्चय करके कोटा देती है और वह भी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ही निश्चय करता है कि कहां-कहां देंगे। जब से डिकंट्रोल हुआ है उसके बाद अभी अभी हमने यह किया है कि यह जो दिया है और पहले से जो ३ महीने का स्टाक है वह दोनों उठा सकते हैं कि यह जो दिया है और पहले से जो ३ महीने का स्टाक है वह दोनों उठा सकते हैं और ५ वैगंस ऊपर उठा सकते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

केंद्रीय सरकार का जो कुल सीमेंट का कोटा है क्या वही निश्चित करते हैं कि किस-किस जिले में कितनी-कितनी दुकानें रहें और क्या उसका कोटा भी वही निश्चित करते हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पहले तो यह निश्चय नहीं था कि कितना सीमेंट आयेगा। जब ज्यादा सीमेंट नहीं तो ज्यादा दुकानें खोलने से कोई मतलब नहीं है। जब डिकंट्रोल हो गया तो यही समझा गया कि जो पहले का इन्तजाम है वह जारी रहे। केवल बात यह जरूर है कि अब से उनको बढ़ाकर दिया है क्योंकि हमारे पास जो सीमेंट था वह ज्यादा था जरूरत से अधिक था।

श्री बांकेलाल—

अशोका और कटनी वालों को सीमेंट क्यों नहीं दिया गया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जो स्टाकिस्ट थे उन सबकी हमने आपको लिस्ट दे दी। कितना सीमेंट दिया यह बतला दिया। पहले जितना सीमेंट का उनको कोटा देते थे अब की बार उससे उनको दुगुना सीमेंट दिया। ५ वैगन हर एक जिले को एड हाक कोटा में से दे दिया।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी के पास देवी लाल मदन लाल, बजरंग लाल मदन लाल, कोआपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स, कोआपरेटिव स्टोर्स देवरिया और दुबे ब्रदर्स, सलेमपुर देवरिया को बहुत ज्यादा

सीमेंट का कोटा मिलता है और उनके विरुद्ध वहां के विधायक और जनता ने शिकायत की है कि ये लोग सीमेंट के वितरण में भ्रष्टाचार करते हैं, यदि हां तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

शिकायत की सूचना मेरे पास नहीं है । लेकिन जितना सीमेंट उनको मिलता है वह उसी हिसाब के मुताबिक मिलता है जो उनको पहले दिया करते थे ।

एस० एस० भदौरिया, नियोजन अधिकारी, मैनपुरी का स्थानान्तरण

*६—सर्वश्री माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी) तथा सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

श्री रामकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा, द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ६७, दिनांक २४ फरवरी, १९६६ के संदर्भ में दिये गये उत्तर के संबंध में क्या मुख्य मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि क्या जिला नियोजन अधिकारी फतेहपुर के स्थानान्तरण के फलस्वरूप, मैनपुरी जिले के जिला नियोजन अधिकारी, श्री एस० एस० भदौरिया, का भी स्थानान्तरण किया गया था या नहीं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां ।

*७—सर्वश्री माधोनारायण मुद्गल तथा सूबेदारसिंह—

यदि हां, तो श्री एस० एस० भदौरिया, नियोजन अधिकारी मैनपुरी, द्वारा अभी तक चार्ज न छोड़ने के क्या कारण हैं ? स्थानान्तरण का आदेश उन्हें किस तिथि को प्राप्त हुआ था ? क्या सरकार राजकीय आदेश का अविलम्ब पालन न करने के कारण उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

स्थानान्तरण के आदेश श्री भदौरिया को २-२-६६ को प्राप्त हुये थे, किन्तु जिलाधीश ने प्रार्थना की है कि प्रशासकीय कारणों से श्री भदौरिया को अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक वहीं रहने दिया जाय । इसमें श्री भदौरिया के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री माधोनारायण मुद्गल—

क्या मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगी कि ऐसे कौन से प्रशासकीय कारण बतलाये थे जिनकी वजह से उनका हटाना मुश्किल हो गया और ऐसे कारणों को बताकर इससे पहले कितनी दफा उनको रोका जा चुका है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

वहां से कलेक्टर ने यह लिखा है कि वहां के जो प्लानिंग अफसर हैं वह जिला परिषद् और प्लानिंग आफिस का काम देखते हैं क्योंकि यह साल के आखिर का समय है । वह बीच में चले जायेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी । एक बात यह भी है कि वहां पर एक्जीक्यूशन चल रही है वह भी समाप्त होने को है, तो उन्होंने कहा कि इसको भी वह देख लेंगे । कुछ ब्लाकों के इवैलुएशन का भी विषय है जिसको वह देख रहे हैं । इन ५-४ कारणों के मातहत उनको थोड़े दिन तक और रोक लिया गया है जो सरकार के विचाराधीन है ।

श्री माधोनारायण मुद्गल—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि विधायकों ने पहले भी इस प्रकार की शिकायत की है कि भदौरिया जी के कई रिश्तेदार मैनपुरी में हैं और इनका निवास स्थान मैनपुरी के नजदीक है इसलिये वहां कुनबापरस्ती, जातिवाद की शिकायत है जिससे उनका वहां से हटना आवश्यक है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उनको बदलने के आर्डर्स तो यहां से हो ही गये हैं। थोड़े दिनों के लिये यह प्रार्थना है कि उनको रोक लिया जाय।

श्री सूबेदारसिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भदौरिया साहब को जो आदेश दिये गये थे उसके विरोध में जिलाधीश ने प्रार्थना कब की और सरकार ने उस पर अपने आदेश कब प्रसारित किये और वे आदेश क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उन्होंने बतला दिया कि थोड़े दिनों के लिये उनको विशेष काम के लिये रोका गया है।

श्री सूबेदारसिंह—

जिलाधीश ने प्रार्थना कब की और सरकार के उस पर क्या निश्चित आदेश हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

डी० एम० ने भदौरिया के आर्डर्स जाने के बाद की लिखा होगा और वह हमारे कसींडेरेशन में है। उस पर हमने अभी कोई आदेश नहीं किये हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब किसी अफसर का तबादला कर दिया जाता है तो फिर उसे रोकना हम लोगों के विचार से भ्रष्टाचार है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आर्डर्स देने के पहले क्यों विचार किया नहीं गया कि उस का तबादला इस समय न किया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

तबादला यहां से होता है और वहां पर अगर किसी काम के लिये उनको रोकना आवश्यक समझा जाय तो वे उसके लिये प्रार्थना कर सकते हैं। यह हमारा काम है कि हम उसे मंजूर करें अथवा नहीं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

कोई भी अधिकारी तीन वर्ष से अधिक एक स्थान पर नहीं रखा जाता, यह एक साधारण तरीका है। अगर सरकार ने उस के अनुसार आर्डर्स दिये तो फिर क्या वैलिड रीजन्स थे जिन की बिना पर सरकार ने फिर उस आर्डर को कैंसिल किया ? और यदि नीचे के अधिकारियों ने उन आर्डर्स के विपरीत काम किया है तो उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जनवरी के अन्त में २९, ३० को उसके आर्डर्स गये थे। उनको रोकने की प्रार्थना में डी०एम० ने स्पेशल कारण बतलाये कि एकाउंटिंग हो रही है और उसे कोई दूसरा आदमी नहीं करा सकता। वह सब काम फरवरी मार्च में खत्म हो जायगा इसलिये वह आर्डर्स दो महीने के लिये मुल्तवी कर दिये गये हैं। अप्रैल में उनका ट्रांसफर हो जायगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

मुरादाबाद में सिनेमा मालिकों की हड़ताल

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शहर मुरादाबाद में जो सिनेमा मालिकों ने दिनांक ७ जनवरी, १९६६ से अब तक २० जनवरी, १९६६ तक हड़ताल की हुई है उससे कितना नुकसान एंटरटेनमेंट टैक्स का हुआ ? और उसका जिम्मेवार कौन है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह कहना सही नहीं है कि शहर मुरादाबाद में सिनेमा मालिकों ने ७–१–६६ से २०–१–६६ तक हड़ताल की थी। दिनांक ७–१–६६ को छात्रों द्वारा उपद्रव के कारण स्थानीय सिनेमा गृह क्षतिग्रस्त हो गये। सिनेमा मालिकों को सिनेमा उस समय तक बन्द रखने पड़े जब तक वह पुनः चलने योग्य न हो गये और स्थिति में सुधार न हो गया। परिणामस्वरूप स्थानीय सिनेमा ७–१–१९६६ से १५–१–१९६६ तक नहीं चल सके। एंटरटेनमेंट टैक्ट के नुकसान का अनुमान बतलाना संभव नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ७ तारीख के झगड़े के बाद सिनेमा मालिकों ने एक मीटिंग करके यह तय किया कि अनिश्चित काल के लिये सिनेमा की हड़ताल कर दी जाय और हर एक ने अपने सिनेमा के सामने इस का एक बोर्ड लगा दिया और उन्होंने सरकार से यह मांग की कि जब तक उनको सिनेमा की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं दी जायगी तब तक वे सिनेमा नहीं चलायेंगे?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने तो कह दिया कि उनका नुकसान हो गया था, लेकिन अगर सिनेमाओं का नुकसान हो जाय और वे हड़ताल कर दें तो कौन सी गलत बात हो गयी?

हथकरघा उद्योग

*२—श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि उत्तर प्रदेश में स्थित हथकरघा उद्योग को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बुनकरों में कितनी बेकारी है? हथकरघा उद्योग की कठिनाइयों का समाधान करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) उ०प्र० के हथकरघा उद्योग की मुख्य कठिनाई रिजर्व बैंक से कार्यकारी पूंजी का न उपलब्ध होना है। अब यह निणय हो गया है कि यू० पी० इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव बैंक को प्रदेशीय सहकारिता बैंक में मिला दिया जाय, जिससे रिजर्व बैंक से सहायता प्राप्त की जा सके।

(ख) कुछ दिन पहले बाजार में मंदी आ जाने तथा वर्षा ऋतु के कारण हथकरघा उत्पादित कपड़ा मंडियों में जमा हो गया था जिससे उद्योग को कठिनाई हुई। हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार बिक्री में ५ पैसे प्रति रुपया छूट दे रही है। बुनकरों की बेकारी की समस्या सरकार के सामने नहीं आई है। मंदी आ जाने पर कुछ बेकारी होना स्वाभाविक ही है।

(ब) हथ करघा योजना के अन्तर्गत करघा समितियों को विभिन्न कार्यों के लिये ऋण अनुदान देने का भी समुचित प्रबन्ध है।

मुरादाबाद का बर्तन उद्योग

*३—श्री संतसिंह यूसुफ (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि मुरादाबाद के बर्तन उद्योग को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इस उद्योग के कर्मचारियों में किस कदर बेकारी है? मुरादाबाद के बर्तन उद्योग की कठिनाइयों का समाधान करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बर्तन तथा कलात्मक पीतल वस्तु उद्योग की मुख्य कठिनाई इस समय अलौह धातुओं जैसे तांबा, जस्ता, पीतल व टिन आदि का न मिलना या बहुत थोड़ी मात्रा में मिलना है। उत्तर प्रदेश को अलौह धातुओं का कोटा बहुत कम मिलने के कारण ऐसे उद्योगों को जिनमें तैयार माल में

अधिकांश भाग कच्चे माल का होता है अलौह धातुओं का कोटा न दिये जाने का निर्णय करना पड़ा है। ऐसे उद्योगों में मुरादाबाद के बर्तन तथा कलात्मक पात्र उद्योग भी आते हैं। अलौह धातुओं का कोटा न एलाट होने के कारण बर्तन उद्योग में कुछ शिथिलता कारीगरों को पूरा काम न मिलने के कारण अवश्य है और उसका समाधान करने के लिये सरकार इन इकाइयों को एल्मूनियम के बर्तन तथा अन्य सामान बनाने के लिये प्रोत्साहित कर रही है तथा उन्हें इसका कोटा देने में प्राथमिकता दी जा रही है। नेशनल स्माल इंडस्ट्री कार्पोरेशन को भी इन उद्योगों की आवश्यकताओं से सूचित कर दिया गया है ताकि वे उन्हें दूर कर सकें।

बांदा जिले में कत्ल व डकैतियां

*४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के पुराने शर्मा एस० पी० के जाने के बाद सन् १९६४ में थानेवार कितने कितने कत्ल व डकैती पड़ीं?

*५—क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६४ में कितने कत्ल व डकैती, चालान होकर सजा पाया और कितने छूट गये, वह क्यों?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्री रामेश्वर दयाल शर्मा ने बांदा में एस० पी० के पद का चार्ज दिनांक १७ जुलाई, ६५ को दिया। सन् १९६४ में बांदा में हुई कत्ल व डकैती के संबंध में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है। मुकदमों के छूटने का प्रमुख कारण गवाहों का टूटना था।

(देखिये बाकी 'क' भाग पृष्ठ ६३२ पर)

श्री मतोलासिंह—

अध्यक्ष महोदय, पैलानी में ७ डकैती और ७ कत्ल, करवी में ६ डकैती और ६ कत्ल, बिसंडा में ७ कत्ल और १ डकैती और राजापुर में ११ कत्ल और १ डकैती, तो इन आंकड़ों से मालूम होता है कि डकैती और कत्ल बढ़ते जाते हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई नीति बना रही है सरकार कि जिस अफसर इंचार्ज के यहां कत्ल और डकैती ज्यादा हों वह तुरन्त अफसर दोयम बना दिया जाय?

श्री हरगोविन्दसिंह—

ऐसी नीति अपनाने से बड़े खतरे की बात है।

श्री सत्यनारायण पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी को इसमें क्या आपत्ति है कि जिस थानेदार के क्षेत्र में कत्ल और डकैती अधिक हों उसके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जाय?

श्री हरगोविन्दसिंह—

विभागीय कार्यवाही यह होती है कि उसकी चरित्र पंजिका में इंदराज किया जाता है, पदोन्नति रोकी जाती है, यही सब होता है।

श्री मैकेजरसिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि ११ थानों में ४–४, ६–६ कत्ल और डकैती की घटनायें हुईं और आपका कहना है कि मुकदमे झूठी गवाही के कारण छूट गये। तो यह उत्तर जो कलक्टर और एस०सी० का आया है इस पर विश्वास न करके क्या मंत्री जी पुनः जांच करायेंगे कि बांदा जिले में इतने कत्ल और डकैतियों का कारण क्या है और ये मुकदमे क्यों छूट रहे हैं और क्या पुलिस की ढिलाई से तो नहीं छूट रहे हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

छूटने का तो मुख्य कारण यही होता है कि गवाही उस तरह से अदालत के सामने उतरती नही जैसी कि उनसे आशा की जाती है। और बहुत से कारण होते हैं। लेकिन बांदा जिले के जो इतने मुकदमे छूटे वह सरकार की निगाह में हैं और उसपर सरकार ने कुछ आदेश भी दिये हैं और वहां के एस०पी० को सन् १९६५ में हटा कर दूसरा एस०पी० वहां रखा गया है।

चर्मशोधन उद्योग सहकारी समिति, चिरईगांव का सहायता के लिए प्रार्थना-पत्र

*६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चर्मशोधन उद्योग सहकारी समिति, पंचरांव, ब्लाक चिरई गांव व जिला वाराणसी का रजिस्ट्रेशन सन् १९६४ में हो गया, लेकिन अब तक उसे कोई ऋण तथा दूसरी मदद आज तक नहीं मिली? जबकि सोसाइटी ने १९६४ तथा १९६५ में कई दरख्वास्तें ब्लाक द्वारा भेजी हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

चर्म शोधन उद्योग सहकारी समिति पंचवरां व ब्लाक चिरई गांव, जिला वाराणसी का केवल एक प्रार्थना पत्र प्रथम बार २७ जनवरी, १९६५ को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थना-पत्र में अनेक कमियों के कारण फरवरी १०, १९६५ को उसे खण्ड विकास अधिकारी को लौटा दिया गया। इन कमियों को दूर करने के बाद यह प्रार्थना पत्र पुनः बोर्ड में १० जनवरी, १९६६ को प्राप्त हुआ तथा २७ फरवरी, १९६६ को ग्रामोद्योग उप समिति ने उसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि उक्त समिति का कोई भी सदस्य चर्म उद्योग का कार्य करता नहीं पाया गया।

श्री ऊदल—

मंत्री जी ने आखिर में लिखा है कि इसलिये अस्वीकार कर दिया क्योंकि उस समिति का कोई भी सदस्य चर्म उद्योग का कार्य नहीं करता, तो इस समिति के सदस्य किस जाति के हैं और उनका दैनिक पेशा क्या है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो वह ज्यादा जानते होंगे। हमारे पास तो यह रिपोर्ट आयी कि उसके जो सदस्य थे वह लोग टैनिंग का काम जिसके लिये प्रार्थना-पत्र दिया था वह नहीं करते थे। कौन-कौन सदस्य थे, यह तो मेरे पास नहीं है, किसने यह इंक्वायरी की है। यह नाम मेरे पास नहीं हैं कि कौन-कौन सदस्य थे।

श्री ऊदल—

जो इस समिति के सदस्य हैं वे पुश्तैनी चमंकार हैं। तो क्या सरकार उनको इस प्रकार की सुविधा देने की कृपा करेगी?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हो सकता है वह चमार हों, किन्तु यह सोसाइटी चर्म शोधन के कार्य के लिये बनी थी और यह काम उस सोसाइटी ने किया नहीं, इसलिये यह सुविधा उनको नहीं मिल सकी।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

इस बात को देखते हुये कि वह चमार लोग बहुत गरीब होते हैं जिसके कारण वे बिना सरकारी सहायता के चर्म शोधन के कार्य को नहीं कर पाते, सरकार उनको कुछ आर्थिक सहायता देने का आदेश देगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उसको हम दिखवा लेंगे, लेकिन जो नियम बने हुये हैं उनके अन्तर्गत वे नहीं आते। ऊपर जी कहते हैं तो मैं उसकी जांच फिर करवा लूंगा।

श्री मैनेजरसिंह—

जो चर्मकार लोग हैं वही चर्म शोधन का कार्य करते हैं। इसको देखते हुये क्या सरकार यह आदेश देगी कि उनको यह सहायता प्रदान कर दी जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसके आदेश तो नहीं देंगे, पर जैसा मैंने कहा, हम उसको देख लेंगे, उसकी जांच करवा लेंगे और कह देंगे कि उसको सिम्पेथेटिकली देख लिया जाय।

श्री उग्रसेन—

जब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम कह देंगे कि उनके केस को सहानुभूतिपूर्वक देख लिया जाय तो उसके लिये आदेश करने में क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया है कि वे उसको देख लेंगे।

अरुण लौह उद्योग, सहकारी समिति, पडरौना को ऋण

*७—श्री रघुराजसिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले के पडरौना नामक स्थान पर स्थापित अरुण लौह उद्योग, सहकारी समिति की स्थापना से अब तक कुल कितना कर्ज सरकार द्वारा किन शर्तों पर दिया गया तथा कितना सरकार द्वारा वसूल किया जा चुका है और जो कर्ज अब तक वसूल हो जाना चाहिये था उसमें कितना शेष है ? तथा क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

अरुण लौह उद्योग, सहकारी समिति, पडरौना को दिये गये ऋण का विवरण निम्नलिखित है:—

वर्ष	धन	मद	उद्योग
१९६२-६३	८,०००	आयुक्त निधि	कृषि यंत्र निर्माण
१९६२-६३	१४,०००	हेड क्वार्टर निधि	कांटेदार तार एवं कृषि यंत्र निर्माण

उपरोक्त ऋण निबन्ध पत्र (ऐग्रीमेन्ट डीड) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दिये गये जिन के मुख्य प्राविधान निम्न हैं :—

१—ऋण की अदायगी १० समान ६ माही किस्तों में होगी।

२—ऋण की दर ३ प्रतिशत होगी और समय पर अदायगी न करने पर दंडित ब्याज देना पड़ेगा जिसकी दर ८ प्रतिशत है।

३—ऋणी धन का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों के लिये करेगा जिसके लिये ऋण वितरित किया गया है। उपयोग करने का समय ऋण के बैंक ड्राफ्ट की तिथि से १ वर्ष होगा।

४—ऋणी उन तमाम नियमों का पालन करेगा जिनके अन्तर्गत ऋण वितरित किया गया है।

५—यदि ऋणी निबन्ध-पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन करेगा तो उससे ऋण की समस्त धनराशि जो ऋण प्राप्त करता पर देय होगी एक मुश्त लगान की बकाया के तौर पर न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बन्धक रखी गई संपत्ति को बेच कर वसूल की जा सकती है।

८,००० रु० के ऋण में १६०० रु० मूलधन और रु० ६४३-३१ पैसे व्याज के वसूल हो चुके हैं। १-१२-६५ को एक किस्त ८०० रु० मूलधन एवं रु० १३९-११ पैसे व्याज के देय हो चुके हैं पर इस धनराशि को समिति ने अब तक की सूचना के अनुसार नहीं जमा किया है।

१४,००० रु० के ऋण में ८-३-६६ तक तीन किस्तें देय हो चुकी हैं जिसका योग रु० ५४६० है।

मूलधन ४,२०० रु० तथा व्याज १२६० रु० पर अभी तक समिति ने इस ऋण के मद में कुछ भी अदा नहीं किया है।

दोनों ऋणों के देय धन को जमा करने के लिये समिति को लिखा गया है। यदि समिति द्वारा किस्तें नहीं दी जायेंगी तो रुपया वसूल करने के लिये उचित कार्यवाही की जायेगी।

बस्ती जिले में सुरक्षा कोष के लिए संगीत सम्मेलन

*८—श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में किसी संगीत सम्मेलन का आयोजन करने के लिये किसी निजी संस्था द्वारा सुरक्षा कोष के नाम पर चन्दा नवम्बर, सन् १९६५ में वसूल किया गया? यदि हां, तो कितना रुपया वसूल हुआ? और किस-किस सरकारी अधिकारी ने कितना-कितना वसूल कर जमा किया?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां। अभी पूर्ण हिसाब नहीं हो पाया है। किसी भी सरकारी अधिकारी ने उक्त सम्मेलन के लिये रुपया वसूल नहीं किया है।

*९—श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि उक्त सम्मेलन के लिये चन्दा वसूल करने के लिये रसीदें तहसीलदारों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों को दी गईं और उन्होंने जनता से जबरन चन्दा वसूल किया? यदि हां, तो क्यों?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

श्री उग्रसेन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस संगीत सम्मेलन ने कितना पैसा सुरक्षा कोष में जमा किया?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी उसका विवरण देना संभव नहीं है, २७ फरवरी को तो वह सम्मेलन ही हुआ है। उनसे यह पूछा गया है। उनका कहना है कि वे हिसाब कर रहे हैं, उसके बाद जो रुपया होगा वह दे देंगे।

श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि उस सम्मेलन में जितना पैसा इकट्ठा किया उसका एक पैसा भी अभी तक सुरक्षा कोष में जमा नहीं किया? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कार्यवाही करने का अभी सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा है कि वे हिसाब कर रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने २४०० रुपया दिया था।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या यह माननीय मंत्री जी को पता है कि सुरक्षा कोष के नाम पर संगीत सम्मेलन कर जो पैसा वसूल हुआ वह भी इधर उधर अफसरों के मनोरंजन में खर्च हो गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह तो एक रजिस्टर्ड संस्था है। प्राइवेट उन्होंने संगीत का आयोजन किया। उस आयोजन में उन्होंने कहा कि हम इससे भी देंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि इस संगीत सम्मेलन में जो टिकट बिके उसमें मनोरंजन कर की छूट जिला अधिकारियों ने दी ? और यदि दी गई, तो इसकी सूचना प्रान्तीय सरकार को की गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी की जानकारी में है कि इस संगीत सम्मेलन का जो आयोजन किया गया तो इसके टिकट सुरक्षा कोष के नाम पर बांटे गये तथा उसमें अधिकारियों से पैसा तय कर लिया गया था कि कितना फीस दी सुरक्षा कोष में देंगे या मनमाना रुपया देकर टाल दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

साधारणतः जो इसकी बचत होती है उससे नर्सरी स्कूल अलाट करते हैं। उसके बाद भी जो बचत होगी वह हमको दे देंगे।

श्री उग्रसेन—

मेरे मौलिक प्रश्नों के उत्तर में कि नवम्बर, १९६५ में वसूल किया गया तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि जी हां, यह कहा था।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप भी कोई सवाल गलत पूछ लें और मैं जवाब न दूं तो आप कहेंगे कि जवाब नहीं दिया।

श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों ने जो चन्दा वसूल किया वह रसीदों द्वारा वसूल किया गया, पर मंत्री जी यह भी कहते हैं कि सरकारी अधिकारियों ने चन्दा वसूल नहीं किया ? यह समझ में नहीं आता।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उक्त सम्मेलन के लियें रसीदें तहसीलदारों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों को दी गईं और उन्होंने जनता से जबरन चन्दा वसूल किया। आपने कहा कि जबरन वसूल किया, तो मैंने कहा कि जी नहीं।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं आपकी आज्ञा से पूछना चाहता हूं कि रौरी में पैसा वसूल हुआ और क्या कारण है कि एक महीना हो गया पर वह पैसा सुरक्षा कोष में नहीं आया ? सुरक्षा कोष के पैसे को लेकर कई बार वाद-विवाद यहां हुआ है। तो क्या इस बात को देखते हुये आप सख्त कार्यवाही करेंगे कि इसका हिसाब २४ घंटे में सामने आवे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह बस्ती की एक रजिस्टर्ड संस्था है। सांस्कृतिक केन्द्र तथा समाज कल्याण समिति के लोग हर साल कल्चरल एक्टीविटीज करते हैं। इस साल २६-२७ फरवरी, १९६६ को उनका जल्सा हुआ है। इतनी जल्दी प्राइवेट संस्था हिसाब देती नहीं है। उनसे हिसाब मांगा गया है। कम से कम एक महीना इन्तजार हम करेंगे।

श्री बहादत्त मायर--

श्रीमन्, प्रश्न तो है कि १५-२-६६ को किया गया या हो चुका है। सरकार कहती है कि २५, २६ को होता है। यह कैसे।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

मथुरा सिटी मैजिस्ट्रेट के खिलाफ जांच

*१०--श्री लखीसिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा सिटी मैजिस्ट्रेट के खिलाफ सुरक्षा कोष अनियमित रूप से वसुल करने के संबंध में कितने प्रार्थना-पत्र सरकार को अक्तूबर, सन् १९६५ से दिसम्बर, १९६५ तक मिले और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिस पर उचित जांच हो रही है।

श्री लखीसिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रार्थना-पत्र में क्या-क्या मुख्य शिकायतें हैं और यह किस प्रार्थी ने किस महीने की किस तारीख को भेजा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

तारीख तो मेरे पास नहीं है। आपका एक अखबार था उसमें यह छापा गया था कि वहां के मैजिस्ट्रेट ने किसी आदमी से मिलकर जबरदस्ती चन्दा देने की बात की है। तारीख की सूचना मेरे पास नहीं है। जांच के लिये आज भी हमने टेलीफोन किया कि जवाब नहीं आया, तो इतना तो मालूम हुआ कि कोई चन्दा वसूल नहीं किया गया। इसकी डी० एस० जांच कर रहे हैं।

श्री लखीसिंह--

क्या सरकार बतावेगी कि यह उचित जांच क्या जिलाधीश द्वारा कराई जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

यही तो कहा है।

श्री लखीसिंह--

क्या सरकार सी० आई० डी० से जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अभी तो इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री जगदम्बाप्रसाद--

सुरक्षा कोष के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी के पास कई जिलों से दुरुपयोग की शिकायतें आई हैं। तो क्या वह इस बारे में ऐसा नियम बनाने की सोच रहीं हैं कि इसका दुरुपयोग न हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सवाल तो मथुरा जिले का है।

श्री मैनेजरसिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय मंत्रीजी ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिस पर उचित कार्यवाही की जा रही है। अभी पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया और एक अखबार में निकला था जिसकी बिना पर जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं कहा कि प्रार्थना-पत्र नहीं आया। "तारीख की सूचना नहीं है" यह कहा है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उन्होंने कहा कि तारीख का पता नहीं है। एक कोई 'ब्रज मंडल' या ऐसा ही साप्ताहिक अखबार है। उसके ईश्यू में था। उसे एनक्लोज करके वहां की कांग्रेस कमेटी की तरफ से पत्र आया।

श्री लखीसिंह—

क्या इस अखबार के साथ किसी माननीय सदस्य ने यह प्रार्थना-पत्र भेजा है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

आपने अगर दिया भी होगा तो वह कागज मेरे पास ट्रेसेबिल नहीं है।

श्री लखीसिंह—

क्या मुख्य मंत्रीजी अपने कार्यालय में प्रार्थना-पत्र की जांच करके किसी सी० आई० डी० द्वारा इस मामले की जांच करावेंगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जांच तो ही हो रही है। कुछ खबर हम लोगों के पास आई है, मगर हमने उनसे फरदर इन-फार्मेशन मांगा है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या हमारे आगरे मंडल के कमिश्नर से जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कलेक्टर की सम्पूर्ण जांच मेरे पास आवे, उसके बाद अगर मेरे मन में तसल्ली न हो तो कोई फरदर जांच होगी।

चिगरावठी गन्ना-क्रय केन्द्र

*११—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र, स्याना, जिला बुलन्दशहर के ग्राम चिगरावठी जो गन्ना परचेजिंग सेंटर है, वह कई वर्ष से बराबर स्थापित होने के बावजूद भी अस्थायी क्यों है? क्या सरकार उसको स्थायी करने पर तुरन्त ध्यान देगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्राप्त सूचनानुसार गन्ना आयुक्त द्वारा चिगरावठी गन्ना क्रय केन्द्र बुलन्दशहर चीनी मिल को गन्ने की पूर्ति हेतु १९६२-६३ सीजन से लगातार सुरक्षित किया जा रहा है और वर्तमान सीजन में भी इस सेन्टर को उक्त मिल के लिये सुरक्षित किया गया है जो अब तक चल रहा है। अतएव

उक्त सेन्टर को उक्त मिल के लिये स्थायी रूप से सुरक्षित करने पर तुरन्त ध्यान देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कठिनाईयां हैं जब कि वहां के कुशकों की ओर से मांग भी है कि इसे स्थायी किया जाय, इसको अस्थायी रखा गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

स्थायी या अस्थायी का सवाल ही नहीं है । यह तो रिजर्व है, इसमें कोई दूसरी कैटेगरी नहीं है ।

अरुण लौह उद्योग, पडरौना को ऋण

*१२—श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)—

देवरिया जिले के पडरौना नामक स्थान पर स्थित अरुण लौह उद्योग के सम्बन्ध में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि :

(क) उसको स्थापना काल से अब तक कुल कितना कर्ज तथा अनुदान क्रमशः अनुसार दिया गया ;

(ख) स्थापना काल से अब तक कितना लोहा, सीमेंट, टिन सरकार द्वारा किस-किस रूप में प्राप्त हुई;

(ग) कितना माल बना कर बेचा गया;

(घ) उद्योग की प्रबन्ध समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ङ) समिति की कुल सदस्यता कितनी है;

(च) पूंजी कितनी है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) केवल सन् १९६२-६३ में समिति को २२,००० रु० का ऋण उद्योग विभाग द्वारा निम्न प्रकार दिया गया:—

(१) ८००० रु० आयुक्त निधि से ।

(२) १४,००० रु० उद्योग निदेशालय निधि से ।
अनुदान कोई नहीं दिया गया ।

(ख) उद्योग विभाग द्वारा ८७ मेट्रिक टन लोहा और ३० बोरी सीमेंट समिति को दिया गया । इसे टिन नहीं दिया गया ।

(ग) ३०-६-६५ तक समिति द्वारा ३.६ लाख रु० का माल बना कर बेचा गया ।

(घ) निम्नलिखित व्यक्ति प्रबन्ध समिति के (३०-६-६५ तक सदस्य थे)—९

१—श्री दलीप चन्द्र अग्रवाल	..	.. सभापति
२—श्री मदन लाल अग्रवाल	..	.. उपसभापति
३—श्री राम नरेश राय ..	..	.. मंत्री
४—श्री राम चन्द्र अग्रवाल	..	.. सदस्य
५—श्री रामरिक्षपाल ..	..	.. ,,
६—श्री सुगम राम ..	..	.. ,,
७—श्री काशी प्रसाद ..	..	.. ,,
८—श्रीमती शान्ति देवी ..	..	.. ,,
९—श्री सीताराम राव ..	..	.. ,,

(ङ) तीस।

(च) १.५६ लाख रुपया।

बांदा जिले में कत्ल, डाके व चोरियां

*१३—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६४, १९६५ में बांदा जिला तथा बांदा शहर में कितने कत्ल, डाके, चोरी की घटनाएं हुयी हैं विवरण देने की कृपा करेंगे ?

*१४—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त मामलों में कितने मुकदमें कोर्ट में चल रहे हैं, कितने मुकदमों का फैसला हो चुका है और कितने में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

*१३—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये सत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५३३ पर)

श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में एस० पी० कौन है, और उनके समय में कत्ल, चोरी में बढ़ोत्तरी हुई है या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

शाह एस० पी० है । ६४–६५ के आंकड़ों से मालूम होता है कि कुछ में कमी हुई है और एस० पी० की यह रिपोर्ट है कि चूंकि करेक्ट रजिस्ट्रेशन किया गया है इसलिये ऐसा इस साल आया है और भविष्य में ऐसा नहीं होगा ।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या इन एस० पी० साहब के जमाने में कत्ल की संख्या बढ़ने से इनके तबादले पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जब ऐसा समझा जायगा तो इनके तबादले पर भी विचार किया जा सकता है । लेकिन इन एस० पी० ने तो जुलाई, ६५ में ही चार्ज लिया है ।

श्री माथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी सारे प्रदेश में ऐसा आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि सही घटनायें अवश्य लिखी जाया करें ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी सख्त कार्यवाही की जाती है । यदि यह साबित हो जाए कि किसी अधिकारी ने रिपोर्ट नहीं लिखी । हमारे लोग प्लेन कपड़ों में जाकर थानों में रिपोर्ट लिखाते हैं । यदि उन रिपोर्टों के लिखने में थाने वालों की तरफ से कोताही होती है तो वे रिपोर्ट करते हैं और उस पर सख्त कार्यवाही की जाती है । एक सीक्रेट स्क्वाड इसके लिये रखा हुआ है । लेकिन बावजूद इन सबके मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि सभी रिपोर्ट लिखी जाती है ।

कानपुर में उद्योगों को सहायता

*१५--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत किन उद्योग इकाइयों को कारखाना निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ में सीमेंट व टीन दी गई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जिला कानपुर के अन्तर्गत जिन जिन औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ में जी० पी० शीट तथा सीमेंट कारखाना निर्माण हेतु मिला है, उनकी सूचना क्रमशः †अनुसूची क, ख, ग, घ, पर संलग्न है ।

श्री शिवनाथसिंह--

यह जो इतनी बड़ी मात्रा में टीन और सीमेंट दी जाती रही तो क्या इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने इस बात की जानकारी रखी या नहीं कि जिस कारखाने के बनाने के लिये ये ली गयी थीं, उसके लिये खर्च हुई या नहीं अथवा वे चोरी से ब्लैक मार्केट में बेच दी गयीं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

हमारे यहां कायदा यह है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री आफिसर हमको रिपोर्ट देता है कि इतनी तादाद में सीमेंट और टीन किसी कारखाने के लिये चाहिये, हम उसको देखकर परमिट दे देते हैं ।

श्री शिवनाथसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि उस कारखाने के लिये कानपुर में कोई जमीन भी ली गयी या नहीं और वहां वह सीमेंट और टीन इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जब डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्री आफिसर हमें रिपोर्ट करता है तो यह आशा की जाती है कि उसने सब जांच कर ली होगी । फिर भी अगर आपको ऐसी शिकायत है कि उसका ठीक प्रयोग नहीं हुआ, तो हम उसकी जांच करा लेंगे ।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कानपुर के लक्ष्मीचन्द्र अग्रवाल ने लाखों रुपये की सीमेंट की जी० सी० शीटस पाकिस्तानी चकपोस्ट बनाने के लिये नरोहा को बुक कर दी थी? क्या वे यही जी० सी० शीटस थीं जो लक्ष्मीचन्द्र अग्रवाल को इश्यू की गयी थीं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस विषय में पहले भी प्रश्न हुये हैं । हमारी पुलिस की तरफ से भी जांच की गयी और केन्द्रीय सरकार की तरफसे अब जांच हो रही है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मंत्री जी पुनः इस बात की जांच करायेंगे कि जो टीन और सीमेंट उद्योग पतियों को दी गयी, वह इस्तेमाल हुई या नहीं ? जिन्होंने इस्तेमाल नहीं की, क्या उनके विरुद्ध कार्य-वाही की जायगी ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि अगर आप कोई स्पेसिफिक केस बतायेंगे तो वह जांच करेंगे।

श्री शिवनाथसिंह—

जिन लोगों को सीमेंट और टीन दी गयी, उनके लिये इंसपेक्टर की रिपोर्ट है या नहीं, या डी० एस० ओ० ने ही सीधा दे दिया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इन्सपेक्टर की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती।

श्री ब्रह्मदत्त माथर—

क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि उस काम की कंम्लीशन रिपोर्ट मंगायी गई या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

वे कहते हैं कि आप पहले कोई आधार उनको दीजिये तब वे जांच करायेंगे।

[२४ मार्च, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

औद्योगिक निरीक्षकों को वेतन वृद्धि न मिलना

*१—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर के अन्तर्गत कितने ऐसे उद्योग निरीक्षक हैं जिनको नियुक्ति काल से अब तक वार्षिक वेतन वृद्धि वाजिब होने पर भी नहीं दी गई है ? और क्यों ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

उद्योग विभाग के अधीन कार्य करने वाले औद्योगिक निरीक्षकों में से केवल ३ ऐसे उद्योग निरीक्षक हैं जिनको वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जा सकी है। इन सभी मामलों में या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने के कारण अथवा वैज्ञानिक कठिनाइयों के कारण वेतन वृद्धि की तिथियां निश्चित नहीं हो सकी हैं। इन सभी मामलों में शीघ्र निर्णय के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन तीन इन्सपेक्टरों को जिन को कि नियुक्ति से अब तक कोई तरक्की नहीं दी जा रही है उनकी नियुक्ति कब हुई और कौन सी ऐसी कानूनी दिक्कतें आईं कि उनको साधारण इन्क्रीमेंट नहीं मिल सका ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

एक हैं श्री सत्यप्रकाश गुप्त उनकी नियुक्ति हुई ११-१२-५८ को, उनका यह हुआ कि उन्होंने कई बार छुट्टी मांगी और वह बार बार नहीं की गई, लेकिन फिर भी वह छुट्टी पर चले गये, एक दो बार उन्होंने ऐसा किया तो बाद में उनकी छुट्टी रेगुलराइज कर दी गई लेकिन फिर भी इसके बाद यही चीज कई बार रिपीट हुई अ० ६४-६५ तक वह इस चीज को रिपीट करते रहे। तो जब तक यह निश्चय न हो जाय कि उनकी वह छुट्टी मानी जाय या न मानी जाय तब तक कोई निश्चय नहीं किया जा सकता और रिपोर्ट अच्छ न होने की वजह से भी इन्क्रीमेंट नहीं होता। दूसरे हैं श्री राजाराम मिश्र, इनकी तकर्रुरी २६-२-६४ को हुई, इनका भी केस ऐसा है कि यह भी बगैर छुट्टी मंजूर कराये चले गये अब उन्होंने रेगुलराइज

करने को कहा है अब अगर वह स्वीकार हो जाय तब देखा जाय कि इन्क्रीमेंट दिया जाय या नहीं। तीसरे हैं श्री महेश कुमार जिन्दल, इनका एप्वायन्टमेंट ७-९-६४ को हुआ, यह किसी दूसरी जगह से तरक्की पर गये हैं, वहां से उनके कागजात मंगाये जा रहे हैं, वह आ जायं तब उनका फिक्सेशन आफ पे होगा और उसके बाद ही फिर तरक्की का सवाल आ सकता है ।

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जी ने अभी उत्तर में बताया है कि इन श्री एस० पी० गुप्ता को सन् ५८ से इन्क्रीमेंट नहीं मिला है और कारण यह है कि वह बिना इजाजत के छुट्टी चले गये तो अगर उन्होंने गलत काम किया है तो उनके खिलाफ कुछ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये न कि यह कि उनका इन्क्रीमेंट रोक दिया जाय ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्क्रीमेंट रोकने की ही सजा मिले, लेकिन आप चाहते हैं कि उनको डिसमिस कर दिया जाय तो वह भी कोई मुश्किल बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपका सवाल यह है कि वेतन वृद्धि वाजिब होने पर भी नहीं दी गई, तो क्यों नहीं दी गई ?

श्री रियासत हुसैन—

यह इन्क्रीमेंट का मामला तय होने में और छुट्टी का मामला तय होने में देरी क्यों हो रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अभी जांच हो रही है।

*२—श्री रियासत हुसैन—

[२९ फरवरी, १९६६ को प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

सींग उद्योग

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में सींग उद्योग को तरक्की देने के लिये क्या-क्या योजनायें लागू करने का विचार है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

सींग उद्योग को तरक्की देने के लिये जो योजनायें प्रदेश में चल रही हैं उनके अतिरिक्त फिलहाल कोई नई योजना चलाने का विचार नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

मैं मंत्री जी का इस बात के ऊपर विशेष ध्यान दिलाऊंगा कि सम्भल में जहां सींग का उद्योग बड़े पैमाने पर है और वहां इस उद्योग को तरक्की देने के लिये कोई खास स्कीम नहीं है तो क्या मंत्री जी डायरेक्टरेट से कोई खास आदमी भेज कर वहां के इस उद्योग में जो लोग लगे हैं उनमें बैठकर वहां के लिये कोई स्कीम बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हम जानते हैं कि सम्भल में सींग का बड़ा भारी उद्योग है और उसको देखने के लिये हमने १९६१ में एक स्कीम चलायी थी जिससे वहां के लोगों को कुछ फैसीलिटी दें और कुछ ऐसी

मशीनें जो इम्प्रूव्ड टाइप की टैक्नीक की हैं, उनसे काम चलाया जा सके ताकि मजदूरों की मजदूरी बच सके, लेबर सेविंग डिवाइसेज की एक स्कीम चलायी। उसके लिये हमने एक सैन्टर भी बनाया। वहां पर एक सुपरिन्टेन्डैन्ट (क्राफ्ट), एक डिजाइनर, एक स्टोर कीपर और एक चौकीदार भी रखा। वे सब इस काम को करते हैं। वहां पर जो चीजें बनायी गयी हैं, उनका काफी नाम भी हुआ है। वे यहां भी और बाहर भी गयीं। इस लिबैलाइजेशन स्कीम में हमने कुछ लोन भी दिया है, सोसाइटियों को भी दिया है और बहुत से लोगों को भी दिया है। अलग-अलग भी दिया है और सोसाइटीज को भी दिया है। इसके अतिरिक्त पीलीभीत, नैनीताल आदि में जहां-जहां पर लोग कंघियों का काम करते हैं, वहां पर भी लोन दिया है। इसलिये अगर आप कोई और चीज पूछना चाहते हैं तो वह भी बतायें।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, जो चीजें माननीय मंत्री जी ने बतायी, यें तो सब चीजें मुझे मालूम हैं और मैं जानता हूं कि वहां पर ये सब चीजे हैं, लेकिन वहां जो लोग इस उद्योग में लगे हुये हैं, वे इन सारी चीजों से संतुष्ट नहीं होते, अतः मैंने दर्ख्वास्त की है कि आप अपनी इन्डस्ट्रीज में डायरेक्टोरेट से किसी आदमी को भेज कर कोई प्लान बनवाने की बात करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वे तो कहते हैं कि हमने बहुत किया है।

लखनऊ में स्वर्णकारों की गिरफ्तारी

*४—श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गत ९ जनवरी को शाम को बेकार स्वर्णकारों के शान्त जुलूस पर अकारण लखनऊ पुलिस ने अमीनाबाद पार्क से गुजरते समय लाठी चार्ज किया जिससे अनेक स्वर्णकार जख्मी हो गये ? तो क्या सरकार घटना का विवरण देगी और बतायेगी कि उसने दोषी पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

९-१-६६ को स्वर्णकारों द्वारा निकाले गये जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया। वास्तविक घटना का विवरण संलग्न है। कोई पुलिस वाला दोषी नहीं पाया गया। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६३४ पर।)

सीतापुर जिला परिषद्, अध्यक्ष, श्री सुरेशप्रकाश द्वारा सुरक्षा कोष के लिए चन्दा वसूली

*५—श्री झारखण्डेराय (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सीतापुर जिला परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेशप्रकाश जी अपनी निजी रसीदों पर सुरक्षा कोष का धन जनता से वसूल कर रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं, कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*६—श्री झारखण्डेराय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार की जानकारी में ऐसी सूचना आई है ? यदि हां, तो वह क्या कार्यवाही करना चाहती है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता ।

महाराजगंज में छात्रों द्वारा उपद्रव

*७—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाने द्वारा गत सितम्बर-अक्तूबर, १९६५ के किसी दिन स्थानीय महाराजगंज हायर सेकेण्डरी स्कूल के लगभग ५० विद्यार्थियों का डकैती के किसी केस में चालान किया गया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सितम्बर, अक्तूबर में नहीं बल्कि २१-७-६५ को महाराजगंज इन्टर कालेज, आजमगढ़ के छात्रों द्वारा कस्बा महाराजगंज में दूकानों के लूटने तथा सामान छीट छाट देने की रिपोर्ट थाने पर दी गई थी जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई ।

किसी भी विद्यार्थी का चालान नहीं किया गया और मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त किया गया ।

*८—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि डकैती की घटना जिस व्यक्ति के घर दिखाई गई है, उसने घटना दूसरे ही दिन अदालत में बयान हलफी देकर डकैती जैसी घटना के न होने तथा न किसी के ऊपर रिपोर्ट करने का बयान दिया है ? यदि हां, तो इस तरह का झूठा मुकदमा विद्यार्थियों पर चलाने के अभियोग में उक्त सब-इन्सपेक्टर के ऊपर सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह सही है कि २२-७-६५ को वादियों ने इस प्रकार का बयान हलफी अदालत में दिया था परन्तु क्षेत्रीय अधिकारी तथा परगनाधीश द्वारा मौके पर की गई जांच से पुलिस की कार्यवाही उचित पाई गई ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*९—श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)—

क्या यह भी सच है कि बयान हलफी में यह भी कहा गया है कि सब-इन्सपेक्टर ने मनमाने ढंग से स्वयं एक रिपोर्ट तैयार करके और डरा धमका कर उस झूठी रिपोर्ट पर उक्त व्यक्ति का हस्ताक्षर करा लिया ? यदि हां, तो सब-इन्सपेक्टर द्वारा विद्यार्थियों को इस प्रकार परेशान करने, शिक्षा संस्था के शैक्षणिक कार्यों में बाधा डालने के अभियोग में कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

बयान हलफी में यह कहा गया है कि सब-इन्सपेक्टर ने अपने कहने के मुताबिक रिपोर्ट वादियों से लिखायी और हस्ताक्षर करा लिया परन्तु जांच से यह कथन सही नहीं पाया गया और पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही उचित पाई गई ।

मुख्य मन्त्री सुरक्षा कोष में धन

*१०—श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री झारखण्डे राय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि "सुरक्षा हेतु" मुख्य मन्त्री कोष के नाम पर प्रदेश में कितना धन अब तक वसूल किया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मुख्य मंत्री सुरक्षा कोष में प्रदेश में दिनांक नवम्बर, १९६५ तक कुल ५,२६,८४,९८४.६२ रुपया एकत्र हुआ है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जब भारतीय सरकार का यह आदेश था कि सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय कोष में रुपया जमा किया जाय तो मुख्य मंत्री कोष के नाम पर रुपया किस आधार पर वसूल किया गया ? यही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार द्वारा छपी हुयी रसीद बहियों पर ही यह रुपया वसूल करना चाहिये था परन्तु फिर भी उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री कोष के नाम पर यह रुपया वसूल किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, राष्ट्रीय कोष में जब से रुपया इकट्ठा हुआ उससे बहुत पहले मुख्य मंत्री कोष प्रारम्भ कर दिया था ।

*११--श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री झारखण्डे राय--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

सचिवालय में अपर वर्ग परीक्षा

*१२--सर्वश्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली), चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) तथा श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि मई, सन् १९६५ में हुई उत्तर प्रदेश सचिवालय के प्रवर वर्ग सहायकों की परीक्षा में कितने सहायक उत्तीर्ण हुये और उनमें से कितने सहायक लिये गये या लिये जा रहे हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने १०३ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नाम शासन को भेजे हैं । इनमें से आयोग से परामर्श करके १०० अभ्यर्थियों को लेने का प्रस्ताव है । आयोग के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

*१३--सर्वश्री हरीशकुमार गंगवार, चन्द्रबलीसिंह तथा श्रीराम--

क्या उतीर्ण परीक्षार्थियों अर्थात् ५० प्रतिशत अंक प्राप्त कर्त्ताओं में से कुछ को नहीं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४९ से आज तक हुई परीक्षाओं में कितने परीक्षार्थी ऐसे थे जो ५० प्रतिशत अंक नहीं प्राप्त कर सके और फिर भी ले लिये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

परीक्षा से भरे जाने वाले पदों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में हुई परीक्षाओं के डिपार्टमैन्टल कोटा के ऐसे स्थानों की संख्या से सम्बद्ध है जो उन वर्षों में उपयुक्त संख्या में उत्तीर्ण विभागीय अभ्यर्थियों के न मिलने से भरी न जा सकीं। ऐसे न भरी जाने वाले पदों की संख्या केवल १०० है। अतः आयोग से प्राप्त सूची के कुल अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों के न लिये जाने की भी सम्भावना है । १९४७ से आज तक हुई प्रवर वर्ग सहायकों की परीक्षा में केवल १९६३ में हुई परीक्षा से ५ अभ्यर्थियों ऐसे लिये गये थे जिन्होंने ४९.५ प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु ५० प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये थे । उस वर्ष ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि विभागीय कोटा में बहुत से स्थान पर्याप्त संख्या में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के न मिलने से रिक्त रह गये थे । जिन विभागीय अभ्यर्थियों ने ४९.५ या उससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे उनको ५० प्रतिशत अंक पाने वालों के बराबर मान लिया गया था ।

नोट--तारांकित प्रश्न १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*१४--१५--सर्वश्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली), यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) तथा हरीशकुमार गंगवार--

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये ।]

भगतपुर थाने में खैरखाता ग्राम की डकैती

*१७--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २१/२२ जनवरी, १९६६ को जिस डकैती की वारदात की रिपोर्ट ग्राम खैरखाना, भगतपुर, जिला मुरादाबाद को लिखी गई उसका विवरण क्या है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६३५ पर ।)

बरसाना निवासी श्री शंकर की चोटों की जांच

*१८--सर्वश्री लखीसिंह तथा रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या यह बात सही है कि ग्राम बरसना, जिला मथुरा निवासी शंकर नामक व्यक्ति को बरसाना थाने की पुलिस ने ११-१२ फरवरी, सन् १९६६ की रात बुरी तरह से मारा गया और इसे जेल भेज दिया गया जिसकी जेल में हालत चिन्ताजनक है, अभी तक बेहोश है ? यदि हां, तो सरकार स्थानीय पुलिस के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

दिनांक ११/१२ फरवरी, १९६६ की रात्रि को शंकर, निवासी ग्राम बरसाना, जिला मथुरा को एक मंदिर की मूर्ति की चोरी के अपराध में बरसाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के सिलसिले में शंकर को कुछ साधारण चोटें आईं । शंकर पुलिस की हिरासत में अथवा जेल में कभी बेहोश नहीं हुआ । वह १५-२-६६ को न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा जा चुका है । शंकर को किन परिस्थितियों में चोटें आईं, इस बात की जांच के लिये पुलिस अधीक्षक को आदेश भेजे जा रहे हैं ।

*१९--सर्वश्री लखी सिंह तथा रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या उक्त व्यक्ति को चोटों का डाक्टरी मुआयना कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या सरकार डाक्टरी मुआयना का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

शंकर की चोटों का डाक्टरी मुआयना जेल अस्पताल से हुआ था । मुआयने की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६३६ पर)

खलीलाबाद क्षेत्र के गन्ना किसानों की कथित हड़ताल

*२०--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिला की खलीलाबाद चीनी मिल में गत १२-१३ फरवरी, १९६६ को गन्ना किसान ने हड़ताल कर दिया था ? और २२ फरवरी, १९६६ से उस जिले के पड़ोस के किसान भी हड़ताल करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ? सरकार उनकी पूर्ति की दिशा में तत्काल क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी—

प्राप्त सूचनानुसार बस्ती जिले की खलीलाबाद चीनी मिल के क्षेत्रीय किसानों द्वारा गन्ना पूर्ति न करने के सम्बन्ध में १२, १३ फरवरी, १९६६ को कोई हड़ताल नहीं की गई और उस जिले के पड़ोसी किसानों द्वारा भी २२ फरवरी, १९६६ से ऐसी कोई हड़ताल नहीं की गई । शेष प्रश्न नहीं उठते ।

रवीन्द्रालय में "शान्ति का मूल्य" ड्रामा

*२१—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ में सूचना विभाग की ओर से जो (ड्रामा) "शान्ति का मूल्य" के नाम का १९६५ में रवींन्द्रालय, लखनऊ में खेला गया था उस ड्रामा का बहुत सा हिस्सा काट कर ड्रामा स्टेज पर दिखाया गया ? यदि हां, तो वह कौन-सा हिस्सा काटा गया और उसको निकालने के क्या कारण थे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं ।

*२२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या यह सही है कि उपरोक्त ड्रामे में जो हिस्सा काटा गया उसको न देखकर बहुत से दर्शक ड्रामा पूरा न देखे ही नाराजगी से वापस चले गये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना कमेटी, बस्ती में गबन

*२३—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गन्ना कमेटी, बस्ती में १७ हजार रुपये का गबन सन् १९५५-५६ में हुआ था और उस गबन के जिम्मेदार उस समय के जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती ठहराये गये थे, जो अब और भी उन्नत पद पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो किस पद पर और क्यों ? तथा गबन का वह रुपया उनसे अभी तक वसूल किया गया या नहीं ?

समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—

प्रश्न में जिस गबन का हवाला है वह केवल १९५५-५६ में ही नहीं बल्कि कई सालों से होता आ रहा था । गबन के जिम्मेदार जिला गन्ना अधिकारी नहीं ठहराये गये थे । उसके जिम्मेदार एक भूतपूर्व क्लर्क ठहराये गये थे जिनको न्यायालय ने दंड दिया । प्रश्न के शेष अंश के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

*२४—श्री गंगाप्रसाद—

क्या यह सही है कि जिला गन्ना कमेटी बस्ती तथा प्रदेशीय गन्ना संघ की कार्यकारिणी कमेटी ने गबन सम्बन्धी कोई प्रस्ताव १९५५-५६ में जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती के विरुद्ध पास किया था ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं । विवरण सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

विधायकों के लिए वारन्ट आफ प्रिसिडेंस

*२५—आचार्य मोहन लाल (जिला पीलीभीत) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६५ में विधायकों ने सरकार से यह अनुरोध किया था कि उनका वारंट आफ प्रिसिडेंस बनाया जाय तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी —

यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ।

वाराणसी कैण्ट स्टेशन पर हताहत होम गार्ड्स

*२६—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २–३ जनवरी, १९६६ की रात में वाराणसी में रेलवे लाइन की चेकिंग ड्यूटी देते हुये होम गार्ड के बी कम्पनी के तृतीय बटालियन के दो जवान, श्री हरखू राम व श्री जवाहिर तिवारी को बदमाशों ने बुरी तरह से मारा, जिससे हरखू की मृत्यु हो गई ?. यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? क्या मन्त्री जी को यह भी सूचना है कि इस घटना की सूचना पुलिस में १–१५ बजे रात में हो गई थी और इन घायलों को ७ बजे अस्पताल पहुंचाया गया ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां ।

जिला वाराणसी के कैन्ट स्टेशन पर जी० आर० पी० को १–४५ बजे रात्रि सूचना मिली कि उक्त स्टेशन के आउटर सिगनेल के पास दो मृतक पड़े हैं । घटना स्थल के जी० आर० पी० के क्षेत्राधिकारी के बाहर होने के कारण, उन्होंने कैन्ट थाने को ३ बजे रात्रि उक्त घटना की सूचना दी । घटना स्थल पर पहुंच कर पुलिस ने दो होम गार्ड्स को घायल एवं बेहोशी की अवस्था में पाया और आवश्यक कार्यवाही के बाद करीब ७ बजे सुबह कबीरचौरा अस्पताल में भर्ती कराया । आवश्यक चिकित्सा के बावजूद दिनांक ५ जनवरी, १९६६ को करीब ३–३० बजे बिना में श्री हरखू राम की मृत्यु हो गई ।

*२७—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि हरखू की वृद्धा मां ८६ वर्ष की तथा उसकी स्त्री व दो बच्चे ८ व ६ वर्ष के हैं इनको प्रारम्भिक सहायता, अन्तरिम सहायता तथा पेंशन की व्यवस्था की गई है या नहीं ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

स्वर्गीय श्री हरखू राम की ८० वर्षीय वृद्धा मां तथा ६ वर्षीय एक बालिका है । उनकी पत्नी का पहले ही देहान्त हो गया था तथा ८ वर्षीय लड़के की दिनांक २२, २३ फरवरी, १९६६ को चेचक के प्रकोप से मृत्यु हो गई । और श्री हरखू राम की मृत्यु के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा विवेचना हो रही है । शासन द्वारा मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर कमान्डेन्ट जनरल से सिफारिश प्राप्त होने पर विचार किया जायगा । इस दुर्घटना के सम्बन्ध में भारतीय दंड विधान संहिता की धारा १४७/३३२/३०२ के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया है ।

*२८—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि होमगार्ड के जवान जो रेल, पुल तथा दूसरी जगहों पर रात को ड्यूटी देते हैं उनको जाड़े का ऊनी वस्त्र सरकार द्वारा दिया जाता है या नहीं ?

श्री हरगोबिन्दसिंह---

होम गार्ड्स के जवानों को रेलवे लाइन तथा पुल इत्यादि अथवा अन्य ड्यूटीयों पर रहते समय उनको उनकी निर्धारित वर्दी के अतिरिक्त जाड़े में ऊनी जर्सी के देने की व्यवस्था की गई है ।

केन्द्रीय कारागार, आगरा

*२९---श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)---

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा केन्द्रीय कारागार जो इस समय रक्षा विभाग को युद्ध बन्दियों के लिये दे दिया गया है उसे रक्षा विभाग से वापस मिलने पर कारागार में पुनः परिवर्तित न करके बाजार बनाने के लिये आगरा महापालिका को देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

केन्द्रीय कारागार आगरा रक्षा विभाग से वापिस मिल चुका है और उसे पुनः कारागार में परिवर्तित कर दिया गया है ।

जिला अस्पताल, फतेहपुर में श्री एहसान खां की चोटों का मुआयना

*३०---श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---

उक्त दिनांक २३ सितम्बर, १९६५ के प्रश्न ३ के ही उत्तर के क्रम में क्या यह सही है कि जिला अस्पताल में श्री एहसान अली की चोटें साधारण लिखी गयी किन्तु जेल के डाक्टर ने एक चोट बल्लम की लिखी जिसे प्रश्न होने पर जेल के रजिस्टर में कटवा कर साधारण चोट लिखवाई गई और उसी से चोट पहुंचाने वाला हथियार नहीं बताया गया ? यदि हां, तो वास्तविकता जानने के लिये क्या जेल का रजिस्टर सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

यह सही है कि जिला अस्पताल फतेहपुर में श्री एहसान खां (श्री एसान अली का शुद्ध नाम) की चोटें साधारण लिखी गयीं किन्तु यह सही नहीं है कि जेल के डाक्टर ने एक चोट बल्लम की लिखी जिसे प्रश्न होने पर जेल के रजिस्टर में कटवा कर साधारण चोट लिखवाई गई । उक्त तथ्य की जांच करा ली गई है । जेल के रजिस्टर में हुये सम्बन्धित डाक्टरी मुआयने की सही प्रतिलिपि संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६३७ पर)

*३१---सर्वश्री रामसुन्दर पांडेय, भीमाप्रसाद (जिला फैजाबाद), दौलतलाल (जिला आजमगढ़) तथा लखीसिंह---

[८ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

पटेल समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*३२---श्री मैनेजरसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय घोषणा के अनुसार पटेल आयोग के कार्यक्रमों के अन्तर्गत बलिया एवं बस्ती जिले सम्मिलित कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो अब तक कौन-कौन से कार्यक्रम दोनों जिलों में स्वीकृत हुये हैं या प्रारम्भ किये गये हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

पटेल समिति की सिफारिश केवल चार ही जिले के लिये दी गयी थीं और इसलिये उन सिफारिशों को बलिया और बस्ती में लागू करने का प्रश्न नहीं उठता । परन्तु इस वर्ष भारत सरकार ने बलिया और बस्ती में विकास तीव्र करने के लिये अतिरिक्त धन देने का आश्वासन

दिया था । इस वर्ष लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये ४० लाख रुपये का अतिरिक्त परिव्यय स्वीकृत किया गया है ।

*३३—श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

हिन्दुस्तान लीवर ब्रदर्स के खजांची की लूट

*३४—सर्वश्री बालोजी अग्रवाल तथा हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि आगरा-एटा सीमा पर डाकुओं के एक सशस्त्र गिरोह ने १२ फरवरी, १९६६ को एक डेरी की कार रोककर खजांची को मार कर लगभग डेढ़ लाख रुपया लूट लिया ? यदि हां, तो पूर्ण घटना क्या है और सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक १२-२-६६ को आवागढ़ से ९ मील पश्चिम और जलेसर से २ मील पूर्व ग्राम रामगढ़ी की हद में पुलिया के पास कुछ व्यक्तियों न हिन्दुस्तान लीवर ब्रदर्स की जीप रोक कर खजान्ची को मारकर, १ लाख १४ हजार रुपया लूट लिया। मामले में अपराध अनुसंधान विभाग (सी० आई० डी०) द्वारा जांच हो रही है ।

गुड़ विकास योजना की समाप्ति

*३५—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगी कि क्या कृषकों के लिये उपयोगी और आवश्यक गुड़ विकास योजना को समाप्त किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ? तथा इससे पृथक किये हुये कर्मचारियों के लिये रोजी की कौन सी व्यवस्था शासन के विचाराधीन है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां । उत्तर प्रदेश शासन की गुड़ विकास योजना की समाप्ति के लिये आदेश जारी किये जा चुके हैं । राजकीय व्यय में बचत की दृष्टि से ऐसा किया गया है और समाप्ति का कार्य ३१-३-६७ तक पूरा होना है । इससे पृथक होने वाले कर्मचारियों को, भावी रिक्तियों, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से संबंधित नवीन सृजित पदों तथा छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारियों की जगह काम करने के लिये आरक्षित पदों में खपाने का विचार है, यदि वे उक्त पदों की योग्यतायें पूरी करते हों ।

नरौली ग्राम में सुरक्षा कोष की कथित वसूली

*३६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री नरेन्द्र सिंह तथा उनके पार्टनर्स ने पाकिस्तानी आक्रमण के समय जिला मुरादाबाद की तहसील बिलारी में स्थित ग्राम नरौली में अपने सल्फर व गन्ना क्रशर प्लान्ट के लिये गन्ना खरीदते समय पन्द्रह पैसे प्रति क्विंटल सुरक्षा कोष वसूल किया, परन्तु उसे सरकार को नहीं दिया ? यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सुरक्षा कोष के लिये कोई कटौती नहीं की ।

इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोसाईगंज थाने में हरिजनों के पुनर्वासन के लिए प्रार्थना

*३७—सर्वश्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा सुखलाल (जिला लखनऊ)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मजरा खुरशेद खेरा मौजा घुसवल कलां, थाना गोसाईगंज, तहसील व जिला लखनऊ के निवासी जो सभी हरिजन व गरीब हैं, लगभग, २–३ साल हुये चोरी, लूटमार होने के कारण मजरा छोड़ कर ग्राम घुसवल कलां में झोपड़ी डाले पड़े हैं और उनको गांव में मकान बनाने के लिये अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां।

*३८—सर्वश्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा सुखलाल (लखनऊ)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन दुखित व गरीब हरिजनों को बसाने के लिये सरकार उन्हें आर्थिक तथा अन्य सुविधायें देने के लिये विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं। उनके कोई प्रार्थनापत्र नहीं प्राप्त नहीं हुये। अतः अन्य सुविधायें देने का प्रश्न नहीं उठता।

*३९—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*४०—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

[७वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया तया।]

*४१–४३—सर्वश्री शिवनाथसिंह, उग्रसेन तथा राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[८वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह के विरुद्ध कथित शिकायतें

*४४—सर्वश्री रामसुन्दर पांडेय, उग्रसेन, मैनेजरसिंह, काशीनाथ मिश्र, गयाप्रसाद (जिला (वाराणसी), लक्खी सिंह, होरीलाल यादव (जिला इटावा), राधेश्याम शर्मा, शिवनाथसिंह, केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर), जगदम्बाप्रसाद तथा मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर के माननीय राज्यपाल के पास से सितम्बर, सन् १९६५ का एक पत्र उचित कार्यवाही करने हेतु उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें गृह मंत्री, माननीय हरगोविन्दसिंह के विरुद्ध अनेकों प्रकार से अवैधानिक कार्य करने की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो उनकी ओर से उस पर कौन-सी कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं, ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

*४५–४७—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[८वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

विकास खण्ड खेसरहा में सुरक्षा कोष की वसूली

*४८—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के विकास खंड खेसरहा से किन-किन गांवों में कितना कितना सुरक्षा कोष की वसूली वर्ष १९६५–६६ में की गयी उसकी रसीद कब और किस नम्बर पर जारी की गई ? यदि नहीं जारी की गई, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

बस्ती जिला के विकास खंड खेसरहा के गांव से जो धन राशि सुरक्षा कोष मे वर्ष १९६५–६६ में प्राप्त हुई है उसकी सूची संलग्न है। जहां तक रसीदें कब और किस नम्बर पर जारी की गईं उसकी सूची लम्बी है माननीय सदस्य यदि उसे देखना चाहें तो हमारे कक्ष में देख सकते हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६३८–६४० पर)

*४९—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि सुरक्षा कोष का पैसा उपरोक्त स्थान पर काफी गबन कर लिया गया है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

मेरठ जिले में लघु उद्योगों के लिए ऋण

*५०—श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में लघु उद्योगों के ऋण देने के लिये कमेटी की १९६४–६५ और १९६५–६६ में कितनी बैठकें हुईं और उनमें ऋण देने के लिये कितनी धनराशि स्वीकार हुई और स्वीकृत होने के कितने दिन बाद अभ्यर्थियों को वह धन प्राप्त हुआ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ६४१ पर)

*५१—श्री मूलचन्द शास्त्री—

क्या सरकार को यह भी मालूम है कि ऋण देने वाली समिति की बैठकें वर्ष भर में मुश्किल से १ या २ होती हैं और उनमें स्वीकृत राशि महीनों तक अभ्यर्थियों को दी ही नहीं जाती, क्या सरकार इस विषय में उचित कदम उठाने की कृपा करेगी?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी हां, प्रायः ऐसा होता है। इसके मुख्य कारण यह रहें हैं कि एक या दो बैठकों में ही उपलब्ध धनराशि से अधिक धन के आवेदन पत्रों की स्वीकृति हो जाती है तथा बैठक बुलाने के पहले विधायकों इत्यादि की सुविधा का भी ध्यान रखना पड़ता है जो इस समिति के सदस्य होते हैं।

स्वीकृत धनराशि जल्द से जल्द वितरित करने की कोशिश की जाती है। वितरण से पूर्व अनुबंध–पत्र भरवाने और सम्पत्ति की भारग्रस्तता के विषय में जांच पड़ताल करने में कुछ समय लगता है।

ऋण स्वीकृति का कार्य अब जिला उद्योग समितियों से ले लिया गया है और जिलाधीश स्वयं ऋण स्वीकृत किया करेंगे। इससे आशा की जाती है कि अब अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ करेगा।

शमसाबाद थाने के नगला सेठ ग्राम में डकैती

*५२—श्री होरीलाल यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले में थाना शम्साबाद के अन्तर्गत जनवरी, ६६ में कोई डकैती पड़ी है जिसमें माल लूटने के साथ-साथ मकान मालिक को जला दिया है ? क्या यह बात सच है कि उपरोक्त घटना में थाने के छोटे दरोगा की साजिश है ? इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविन्दसिंह —

२ जनवरी, ६६ में नहीं बल्कि २१ दिसम्बर, ६५ को ग्राम नगला सेठ, थाना शम्साबाद में एक डकैती पड़ी जिसमें डाकुओं ने माल लूटने के अतिरिक्त मकान के मालिक पर तेल डालकर आग लगा दी जिससे जलने के कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। छोटे दरोगा अथवा किसी अन्य पुलिस अफसर की इसमें साजिश नहीं पाई गई। मामले में अभी जांच जारी है।

बटेश्वर मेले में होम गार्ड्स पर व्यय

*५३—श्री शिवचरण—(जिला आगरा)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मेला बटेश्वर सन् १९६४ में होमगार्ड के कितने गार्ड और अधिकारी गये और उन पर कितना व्यय हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सन् १९६४ में बटेश्वर पशुओं के मेले के अवसर पर ११० होमगार्ड्स को दिनांक ९ नवम्बर, से २४ नवम्बर, १९६४ तक तथा ८८ होम गार्ड्स को दिनांक २५ नवम्बर, १९६४ को ड्यूटी पर लगाया गया। इसके अतिरिक्त होम गार्डस के १४ अवैतनिक अधिकारियों तथा ८ वैतनिक कर्मचारियों को भी ड्यूटी पर रखा गया। होम गार्ड्स के ड्यूटी एलाउन्स पर ३,६९६ रुपये तथा अवैतनिक अधिकारियों व वैतनिक कर्मचारियों के यात्रा एवं दैनिक भत्ते पर ६६२.०४ रुपये का व्यय हुआ।

*५४—श्री शिवचरण—

क्या इस खर्च के संबंध में किसी होम गार्ड अधिकारी द्वारा कोई शिकायत हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां। बटेश्वर मेले में ड्यूटी पर लगाये गये कुछ होम गार्ड्स को ड्यूटी भत्ता न मिलने के संबंध में एक होम गार्ड अधिकारी द्वारा कुछ शिकायतें हुई। संबंधित होम गार्ड्स के ड्यूटी एलाउन्स का भुगतान मार्च, १९६५ में कर दिया गया। शिकायती पत्रों में लगाये आरोपों की जांच एस० डी० एम० वाह द्वारा की जा रही है। जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर इस संबंध में कार्यवाही की जा सकेगी।

आजमगढ़ जिले से थानेदारों के विरुद्ध शिकायतें

*५५—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिला के मधुवन दोहरी घाट और घोसी थाना के थानेदार के खिलाफ घांधली एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें हर थानेदार के विरुद्ध कितनी-कितनी और किस-किस की दरख्वास्तें पिछले तीन माह के अन्दर आई० जी० पुलिस रेंज के डी० आई० जी० और पुलिस मंत्री के पास आई हैं ? उन पर जांच न करने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१ दिसम्बर, ६५ से २८ फरवरी, ६६ तक आजमगढ़ जिले के मधुबन, दोहरीघाट तथा घोसी थानों के थानेदारों के विरुद्ध शासन, पुलिस महानिरीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी क्षेत्र को प्राप्त हुई शिकायतों के बारे में अपेक्षित विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ६४२–६४३ पर)

बरिगवां चर्मशोधन केन्द्र की इमारत के निर्माण व्यय की जांच

*५६—श्री रघुबीरसहाय कंथवार—

२ सितम्बर, १९६५ के अतारांकित प्रश्न ५ के उत्तर के सदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १५,००० रुपया अनुदान व ५,००० रुपये ऋण किसकी मार्फत खर्च करने को कब दिया गया और तीन वर्षों में उसके पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) कथित अनुदान तथा ऋण संबंधित सहकारी समिति को वर्ष १९६०–६१ में दिया गया। जहां तक उस व्यक्ति का संबंध है जिसके मार्फत उपरोक्त धनराशि खर्च करने को दी गई थी उसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है और एकत्रित की जा रही है।

(ख) भवन निर्माण कार्य इस कारण से पूरा न हो सका क्योंकि इन्स्ट्रक्टर को, जो उप-समिति के अवैतनिक सचिव थे, भवन निर्माण कार्य में अनियमितताएं बरतने के आरोपों के फलस्वरूप की गई प्रारम्भिक जांच के आधार पर अक्तूबर, १९६४ में निलम्बित कर दिया गया था।

*५७—श्री रघुवीरसहाय कंथवार—

उक्त दिनांक २ सितम्बर, १९६५ के अतारांकित प्रश्न ६ के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंसपेक्टर नहीं वरन इन्स्ट्रक्टर किस अपराध में कब निलम्बित किया गया है और भवन बनने के सही अनुमान की रिपोर्ट कब तक सदन की मेज पर रखी जावेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) इसका उत्तर उपरोक्त (ख) में दे दिया गया है।

(ख) भवन बनने के सही अनुमान की रिपोर्ट कब तक पूर्ण हो जायेगी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस मामले में अभी जांच ही हो रही है।

लेवर ट्रेनिंग सेक्सन के सहायकों का स्थायीकरण

*५८—श्री रघुबीरसहाय कंथवार—

उक्त दिनांक २ सितम्बर, १९६५ के अतारांकित प्रश्न ७ के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि लेबर ट्रेनिंग सेक्शन के ५८ टेक्निकल सहायकों को सन् १९५८ में स्थायी करने की स्वीकृति दे दी गई थी और २ को स्थायी कर दिया गया है ? यदि हां, तो शेष को स्थायी न करके क्षेत्रीय अधिकारियों से संस्तुति मांगने के नाम पर करीब ८ वर्षों से टालने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

(क) जी हां, दो को स्थायी किया गया।

(ख) अन्य पदों पर स्थायी नियुक्ति करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों से सूचना मांग ली गई है। सीनियरटी की सूची समस्त इंचार्जों के पास भेजी जा चुकी है और उनको शीघ्र स्थायी करने का प्रयास किया जा रहा है।

खाद के कारखाने

*५९—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितने खाद (उर्वरक) बनाने के कारखाने सरकारी या अर्ध-सरकारी कहां-कहां लग चुके हैं तथा प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी सरकारी या अर्धसरकारी खाद का कारखाना स्थापित नहीं हुआ है गोरखपुर में एक सरकारी खाद का कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता निम्नलिखित होगी :

(१) अमोनिया	..	१,०५,६०० टन
(२) यूरिया	..	१,७९,३०० टन

*६०—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर में खाद (उर्वरक) बनाने का कारखाना लगने जा रहा है ? यदि हां, तो किस स्थान पर कितनी लागत से तथा इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

कानपुर में एक खाद का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, परन्तु अभी लाइसेंस नहीं प्राप्त हुआ है । आशा है कि कानपुर में पनकी के पास यह कारखाना स्थापित किया जायगा । इसमें ३० करोड़ रु० की लागत लगने की सम्भावना है और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता निम्नलिखित होगी:

(१) सिन्थेटिक अमोनिया	३ लाख टन
(२) यूरिया	४।। लाख टन
(३) पोलीथीन के बोरे	२।। हजार टन

*६१—श्री मुरलीधर कुरील—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में खाद का और कोई कारखाना चौथी पंचवर्षीय योजना में लगाने का सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और कहां ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

सरकारी क्षेत्र में, कोयले पर आधारित, मिर्जापुर जिले में एक खाद का कारखाना स्थापित करने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा है । परन्तु उन्होंने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है । इसके अतिरिक्त एक सहकारी खाद का कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव की राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

इलाहाबाद में झिंगरण की हत्या

*६२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद के मुहल्ले अतरसुइया में दिनांक २८–२९ जनवरी की रात्रि को झिंगरण नाम के एक पब्लिक सर्विस कमीशन के कर्मचारी की हत्या हो गई ? यदि हां, तो घटना क्या थी तथा उसमें अब तक कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

घटना का विवरण संलग्न है। अभी तक कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा जा सका है। मामले की जांच जारी है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६४४ पर)

फर्रुखाबाद जिले में कथित पुलिस सलाहकार समिति

*६३—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में कोई पुलिस सलाहकार समिति है? यदि हां, तो इसकी बैठक कब से नहीं हुई और नहीं हुई तो क्यों?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जिला स्तर पर ऐसी कोई समिति नहीं है।

बांदा जिले में सहकारी उद्योग

*६४—श्री मतोलासिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में सहकारिता के आधार पर कौन-कौन उद्योग उत्तर प्रदेश की ओर से चल रहे हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बांदा जिले में सहकारिता के आधार पर कोई भी उद्योग नहीं चल रहा है।

*६५—श्री मतोलासिंह—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा में बर्तन बनाने का कोई उद्योग चलाने का विचार रखते हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जी नहीं।

स्वराज्य भवन, इलाहाबाद में बच्चों का नाम परिवर्तन

*६६—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या समाज कल्याण मंत्री को ज्ञात है कि प्रयाग नगर स्थित स्वाराज्य भवन में चलने वाले भवन के अनाथ बच्चे जिन्होंने कि अपने विदेशी नाम बदल कर भारतीय नाम रख लिये थे उन पर प्रबन्धकों के द्वारा दबाव डाला जा रहा है कि वह फिर से अपना नाम विदेशी रख लें?

डाक्टर सीताराम—

जी नहीं।

*६७—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या यह सत्य है कि प्रश्न १ में उल्लिखित भवन में मई, ६५ मे कोई कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि उक्त भवन के बच्चे स्वेच्छा से अपना मुसलमान नाम बदल कर हिन्दू नाम रखे हैं? यदि हां, तो बच्चों पर पुनः नाम बदलने का दबाव क्यों डाला जा रहा है?

डाक्टर सीताराम--

२९ मई, १९६५ को समीक्षा समिति की बैठक हुई थी जिसके सामने कुछ बच्चों ने अपने नाम बदलने की इच्छा प्रकट की। समिति ने इस मामले को भारत सरकार को भेजा जिन्होंने यह निर्णय किया कि बच्चे नाबालिग होने के कारण ऐसा नहीं कर सकते हैं।

सर्वश्री हिन्दुस्तान इन्डस्ट्रीज एण्ड मशीन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को तांबा, रांगा, जस्ता

*६८--श्री रामलखन वकील--

क्या सरकार को मालूम है कि हिन्दुस्तान इंडस्ट्रीज ऐंड मशीन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्राइवेट लि०, कोनिया, वाराणसी को तांबा, जस्ता तथा रांगा का कोई कोटा सन् १९६० में आज तक बार-बार प्रार्थना करने पर भी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सर्वश्री हिन्दुस्तान इंडस्ट्रीज ऐंड मशीन मैन्यूफैक्चरिंग कं० प्रा० लि०, कोनिया, वाराणसी को तांबा, जस्ता तथा रांगा का कोई निदेशन इसलिये नहीं किया गया क्योंकि ये नियमित रूप से किसी वस्तु का निर्माण नहीं करते। इनको कच्चे माल की आवश्यकता सरकारी विभागों के आर्डर्स के मुताबिक माल तैयार करने के लिये ही पड़ती है और यह मात्रा बहुत अधिक है चूंकि इस प्रदेश को इन वस्तुओं का बहुत थोड़ा निदेशन मिलता है इसलिये किसी भी सरकारी विभाग के आर्डर्स पूरा करने के लिये कच्चे माल की मांग पूरी नहीं की जा सकती। यदि इकाई द्वारा सरकारी विभागों में दिये गये टेंडरों में ऐसी कोई शर्त होती जिसके अनुसार सरकार को आवश्यक कच्चा माल कंट्रोल भाव पर देना पड़ता तो इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जाती। परन्तु इकाई ने यह स्वयं बताया है कि ऐसी कोई शर्त उनके टेंडर में नहीं है इसलिये उक्त इकाई को माल दिलाने के लिये कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उन्नाव जिले में आग्नेयास्त्रों के लाइसेन्स

*६९--श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--

क्या गृह मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में प्रत्येक विकास खंड के हिसाब से १ जुलाई, १९६५ से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक रिवाल्वरों, राइफलों और बन्दूकों के कितने लाइसेंस किनको दिये गये ?

श्री हरगोबिन्दसिंह--

उन्नाव जिले में दिनांक १-७-६५ से ३१-१२-६५ तक एक रिवाल्वर का, ३ राइफलों के तथा १५७ बंदूकों के लाइसेंस दिये गये। लाइसेंसों का ब्योरा थानेवार रक्खा जाता है। अतः इन १६१ लाइसेंसों का थानेवार ब्योरा †संलग्न है। जिनको लाइसेंस दिये गये उनकी ††सूची भी संलग्न है।

*७०--श्री देव दत्त मिश्र--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि अर्थात् १ जुलाई, १९६५ से ३१ दिसम्बर, १९६५ तक उक्त शस्त्रास्त्रों के लिये कितने आवेदन-पत्र आये उनमें कितने अस्वीकृत किये गये और कितने विचाराधीन हैं ?

---

†छापा नहीं गया।
††छापी नहीं गयी।

श्री हरगोविन्दसिंह—

उन्नाव जिले में उक्त अवधि में अर्थात् १ जुलाई, १९६५ से ३१-१२-६५ तक रिवाल्वरों, राइफलों तथा बन्दूकों के लिये १५८ आवेदन-पत्र प्राप्त हुये। इनमें से कोई भी आवेदन-पत्र अभी तक अस्वीकृत नहीं किया गया है। १५७ आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं तथा १ आवेदन पत्र स्वीकार किया गया।

*७१—श्री होरीलाल यादव

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया।]

सियाना के थानेदार के विरुद्ध जांच

*७२—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि २३ अगस्त, १९६४ को भूतपूर्व सब-इन्सपेक्टर, सियाना के विरुद्ध कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी जिसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा हुई? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ? क्या मंत्री जी को यह भी मालूम है कि सब इन्सपेक्टर जो कि मुअत्तल नहीं किये गये हैं और न उनका तबादला ही किया गया है वे अपने खिलाफ गवाहों को तोड़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं तो क्या सरकार उनको मुअत्तल करेगी ताकि जांच ठीक हो सके?

श्री हरगोविन्दसिंह—

दिनांक २३-८-६४ को भूतपूर्व सब इन्सपेक्टर, सियाना के विरुद्ध की गई रिपोर्ट की जांच सी० आई० डी० द्वारा हुई और जांच के फलस्वरूप उनके विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा १६१/३४२/२१८ तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा ५(२) के अन्तर्गत अपराध रजिस्टर किया गया। किन्तु अपराध का अनुसंधान करने के पश्चात् अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार हो रहा है। उक्त सब इन्सपेक्टर को मुअत्तल तो नहीं किया गया किन्तु उनका तबादला कर दिया गया है। इस बात का प्रमाण नहीं मिला कि वे अपने विरुद्ध गवाहों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

नगला मानसिंह में कत्लसहित डकैती

*७३—श्री ऊबल तथा श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १४-१५ फरवरी की रात को नगला मानसिंह, थाना घिरोर, जिला मैनपुरी में डकैती पड़ी जिसमें दो व्यक्तियों को डकैतों ने जान से मार दिया? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हरगोविन्दसिंह—

१४/१५ फरवरी की रात में नगला मान सिंह में कोई डकैती नहीं हुई। एक डकैती १२/१३ फरवरी, १९६६ को उक्त ग्राम में पड़ी जिसमें टीकम पुत्र, जवाहर को डाकुओं की गोली से मृत्यु हो गयी और कोई व्यक्ति नहीं मरा। इस संबंध में अभी जांच जारी है।

घिरोर थाने में रामप्रसाद वैद्य के घर डकैती

*७४—श्री ऊदल तथा श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १८ फरवरी, १९६६ को घिरोर में घिरोर थाने से ६ फर्लांग दूर जिला मैनपुरी में वैद्य रामप्रसाद के यहां डकैती पड़ी जिसमें एक आदमी घायल हुआ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री हर गोविन्दसिंह—

दिनांक १७/१८-२-६६ की रात को थाना घिरोर से लगभग १ मील पर श्री राम प्रसाद के घर डकैती पड़ी जिसमें श्री राम प्रसाद को चोटें भी आई। इस संबंध में अभी जांच जारी है।

थाना पटियाली में गंगू डाकू की गिरफ्तारी

*७५—सर्वश्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती), कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली) तथा शिवेन्द्र प्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मंत्री को मालूम है कि महावीरा डकैत के गिरोह का गंगू नामक आदमी जो दिसम्बर, ६५ में थाना पटियाली, जिला एटा में गिरफ्तार हुआ उसके बयान लेने के लिये एटा जिले के कौन से परगनाधीश नियुक्त हुए थे? और अलीगंज तहसील के परगनाधीश को नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण था जबकि गंगू अलीगंज तहसील में ही गिरफ्तार हुआ था?

श्री हरगोविन्दसिंह—

गंगू डकैत का बयान लेने के लिये जिलाधीश एटा ने परगनाधीश एटा को नियुक्त किया था क्योंकि उन्होंने इनको इस कार्य के लिये उपयुक्त समझा।

*७६—सर्वश्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, कृष्णपालसिंह तथा शिवेन्द्रप्रताप—

क्या गृह मंत्री जी इस बात की विजीलेंस या सी० आई ०डी० द्वारा जांच कराके सही तथ्य निकालने की व्यवस्था करेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसकी आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

अतारांकित प्रश्न

प्रोबेशन पर छोड़े गये कैदी

१—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६४-६५ में उत्तर प्रदेश में कितने कैदी प्रोबेशन पर छोड़े गये और वे किन-किन जुर्म में कितने दिनों की सजा काट रहे हैं?

श्री हरगोविन्दसिंह—

सन् १९६४-६५ (१ अप्रैल, १९६४ से ३१ मार्च, १९६५ तक) में यू० पी० प्रिजनर्स रिलीज आन् प्रोबेशन ऐक्ट की धारा २ के अधीन कुल १६४ बंदी छोड़े गये। उनके जुर्म और सजायें संलग्न† सूची में दिये गये हैं।

गोरखपुर कोतवाली के थानाध्यक्ष के स्थानान्तरण की मांग

२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के शहर कोतवाल उसी स्थान तथा ओहदे पर पिछले ७ साल से हैं और उन्हीं के काल में विश्वविद्यालय के छात्रों पर गोली चली, पिपरापुर मुहल्ले में हिन्दू मुसलमान का दंगा हुआ, खाद के कारखाने पर गोली चली और जनवरी, १९६६ से लाख रुपये के आस पास तिजोरी तोड़ कर उर्दू बाजार में चोरी हुई? यदि हां, तो उन्हें नियम के होते हुए तीन साल से ज्यादा क्यों रखा गया?

---

†छापी नहीं गई।

श्री हर गोविन्दसिंह—

गोरखपुर कोतवाली के वर्तमान थानाध्यक्ष १ जून, १९६२ से थानाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। प्रशासकीय दृष्टिकोण से इनका कुछ समय तक वहां रहना आवश्यक समझा गया है।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर के कार्य-करण पर वर्ष १९६४–६५ की रिपोर्ट

विद्युत उपमंत्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर के कार्य-करण पर वर्ष १९६४–६५ की रिपोर्ट को कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१०–ए के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति†

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३–क के अधीन प्रख्यापित वित्त (लेखा परीक्षा तका बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०–८३४१/१०–१०१२-६५ दिनांक १४ फरवरी, १९६६ को उक्त धारा ३–क की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ के लाभ और हानि के लेखों पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन†

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग कारपोरेशन लखनऊ के :

(१) ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वर्ष के स्थिति पत्रक एवं लाभ और हानि के लेखों पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और,

(२) ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष के स्थिति पत्रक एवं लाभ और हानि के लेखों पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन को, दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ऐक्ट, १९६२ की धारा ३१ की उपधारा (११) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

डाक्टरी मुआयने की रिपोर्ट को अंग्रेजी में भेजने पर आपत्ति

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष जी, मेरी यह प्रार्थना है कि मेरा सवाल था नत्थी 'घ' में १८ नम्बर का। एक तो मैंने डाक्टरी मुआयने की मांग का थी इस प्रश्न में, तो वह अंग्रेजी में भेजी है। अब उस आदमी के १० चोटें हैं, आप पढ़ लीजिये, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं। इसमें १० चोटे हैं और गृह मंत्री जी ने जबाव दिया है आखिर में कि शंकर को जिन परिस्थितियों में चोटें आयीं इस बात की जांच के लिये पुलिस अधीक्षक को आदेश भेजे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप इसे हमें दिखा लीजिये तो हम फिर उसका स्पष्टीकरण मांग लेंगे।

---

†छापी नहीं गये।

††छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का तीसरा विशेष प्रतिवेदन†

*श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का तीसरा प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

१८ सितम्बर, १९६२ को माननीय सदस्य श्री शराफत हुसैन रिजवी ने मुरादाबाद जिले के ग्राम खड़कपुर वाजे एवं आदमपुर में बनाये गये बाढ़ शेल्टरों को जो क्षति पहुंची उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया था। प्रश्न के उत्तर में आश्वासन दिया गया कि इसकी जांच की जा रही है। हर संभव प्रयास करने के उपरान्त जब दो वर्ष तक समिति को कोई भी संतोषजनक सूचना सिंचाई विभाग से प्राप्त न हो सकी तब समिति ने मौके पर ही जाकर जांच करने का निश्चय किया। साक्ष्य के दौरान सिंचाई विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने बतलाया कि उक्त दोनों बाढ़ शेल्टरों का निर्माण उन्होंने ठेके पर कराया था। इसके बाद उनके रख रखाव की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। इसके विरुद्ध समिति जिला नियोजन अधिकारी के इस तर्क से सहमत है कि जब सिंचाई विभाग से यह फ्लड पोस्ट उन्हें हस्तान्तरित ही नहीं हुये तो वह उन के लिये कैसे जिम्मेदार हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी समिति को संतुष्ट नहीं कर सके कि इन बाढ़ शेल्टरों के निर्माण का कार्य कब समाप्त हुआ और इनका औपचारिक हस्तान्तरण कब और किसे किया गया। जिले के सभी संबंधित सरकारी अधिकारियों आदि का साक्ष्य लेने तथा मौके का निरीक्षण करने के उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि—

१—इन दोनों बाढ़ शेल्टरों का निर्माण-कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था कि इन्हें आंधी से क्षति पहुंची।

२—इन दोनों शेल्टरों का निर्माण इस प्रकार से किया गया कि इनके बरामदे, चलने वाली आंधी की दिशा में पड़े। यह सभी को ज्ञात है कि आंधियां अक्सर पश्चिम से चलती हैं। इस भूत सिद्धान्त को शेड बनाते समय ध्यान में नहीं रखा गया। इसी एक प्रारम्भिक गलती के कारण सारा रुपया व्यर्थ हो गया।

जिलाधीश, मुरादाबाद का भी यह मत है कि इनका निर्माण दोषपूर्ण था। सिंचाई विभाग को भेजे गये २३ अक्तूबर, १९६४ के पत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि

"The responsibility for wasteful expenditure incurred. on account of the faulty construction of the flood shelters lies on the irrigation department,"-

समिति का मत है कि इन फ्लड पोस्ट्स की वहां नितान्त आवश्यकता है, अतः इन्हें ठीक करा दिया जाय। यदि किन्ही कारणवश यह सम्भव न हो तो लावारिस पड़े टिन तथा लोहे की कोई व्यवस्था शीघ्र ही कर दी जाय। यह टीन उड़ कर श्री नारायण सिंह, ग्राम खड़गपुर के खेत में जून, १९५८ में गिरी थी। पिछले ८ वर्षों से उक्त भूमि पर काश्त करना भी संभव नहीं रहा तथा उक्त काश्तकार को बराबर लगान भी देना पड़ रहा है।

अन्त में मैं मुरादाबाद जिले के उन सभी पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने समिति के समक्ष प्रकट होकर कार्य में सहायता प्रदान की।

प्रतिवेदन को समाप्त करने के पूर्व मैं इस समिति से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग, सहायता तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

टीन वैसे ही पड़ी है और लगान किसानों से बदस्तूर वसूल हो रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

गृह मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ४४ देखें जिसमें माननीय हरगोविन्द सिंह के खिलाफ सवाल किया था। राज्यपाल, केन्द्रीय गृह मंत्री तथा राष्ट्रपति के पास जो आवेदन-पत्र भेजे गये थे वे माननीय मुख्य मंत्री को मिले या नहीं ? उत्तर यह मिला है कि हमको कोई पत्र नहीं मिला और हमारे पास प्रमाण है कि जब उनके पास उक्त पत्र नन्दा जी के यहां से, राज्यपाल और राष्ट्रपति के यहां से आ चुका है और इस प्रकार सदन को सामने झूठ बोला जा रहा है। मैं विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं और उनके खिलाफ कल आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत कर दूंगा।

फिरोजाबाद नगर में कांच उद्योग पर नये बिक्री-कर लगाने के विरोध में हुई हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक कार्य स्थगन प्रस्ताव माननीय भगवानदास यादवेन्दु, खेमचन्द, विजयसिंह तथा भूपसिंह द्वारा भेजा गया है जो इस प्रकार है "फिरोजाबाद एक औद्योगिक नगर है। नगर में कांच उद्योग कुटीर स्तर एवं फैक्टरीज पर बहुतायत से होता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चूड़ी के सजावट के कार्य पर ७ प्रतिशत का नया बिक्री-कर लगा दिया है। इस नये बिक्री-कर से सामान्य कुटीर उद्योग को बड़ा धक्का लगा है। इसके प्रभाववश वहां का सामान्य जन जीवन भयक्रान्त हो गया है, आदि, आदि।

इसको मैंने कामरोको के स्वरुप में स्वीकार नहीं किया है। नियम ५२ के अन्तर्गत इसे स्वीकार किया है। मंत्री जी, इस पर कब वक्तव्य देंगे ?"

वित्त उप मंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

मंगलवार को दे दूंगा।

देवरिया और बहराइच जिलों के चीनी मिल क्षेत्र तथा गोंडा जिले में खेतों में खड़े गन्ने को पेरे जाने की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास तीन सूचनायें आई हैं। एक तो सर्वश्री बांकेलाल, चन्द्रबलीसिंह तथा कृष्णाराय की है। दूसरी रामअधार कनौजिया, मंगलप्रसाद, मुन्नूसिंह, प्रेमसिंह तथा चौधरी अब्दुल हसीब खां की है। तीसरी सुखदेवप्रसाद, नाथूराम शिक्षक तथा रक्षपालसिंह की है। इन तीनों को मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। गोंडा जिले, कप्तान गंज तथा जरवल शुगर मिल के सम्बन्ध में यह सूचनायें हैं। माननीय मंत्री कब अपना वक्तव्य देंगे ?

विद्युत उप मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

सोमवार को दे दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

सोमवार को वक्तव्य होगा तो नतीजा क्या होगा ? आदेश दें दे मिल मालिक को कि वह किसानों का गन्ना लेना शुरू कर दें।

श्री अध्यक्ष—

एक प्रश्न आपने उठाया जिसकी अभी जांच होगी और आप कह रहे हैं फौरन आदेश दे दिये जायं ।

श्री उग्रसेन—

रोज यह प्रश्न उठाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

रोज उठाया जा रहा है, लेकिन उठ पाया है आज ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय उग्रसेन जी को बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में यद्यपि गन्ने की कमी है, लेकिन गुड़ नहीं बन रहा हं इसलिये किसान मिलों को गन्ना देना चाहते हैं । इसलिये हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई है । हमें इसका आभास है और मैंने केन कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को भेजा है और उनसे कहा है कि वे कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना पेरा जा सके जिससे गन्ना खेतों में खड़ा न रह जाय । मिलें तैयार हैं कि उन्हें ज्यादा गन्ना मिले, लेकिन दिक्कत यह है कि गन्ना ज्यादा है और पेरने की इतनी क्षमता नहीं है । गन्ने को हमने कुछ इधर-उधर भी बांटा है और मुझे आशा है कि वह पेरा जा सकेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

गन्ने को सुरक्षित क्षेत्र में क्यों लेते हैं ?

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मेरा दूसरा सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—

इस समय जो बयान दिया गया है वह अन्तिरिम बयान है । दूसरा सोमवार को दिया जायेगा ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, इस साल हम शान्तिप्रपन्न जी से पूर्वी जिलों के लिये क्रशर्स के लिये लाइसेंस लेंगे ।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, गन्ना इस समय कम है ।

श्री अध्यक्ष—

फिर आप बात कर लीजिये । इस समय बैठिये ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

माननीय बसन्तसिंह जी की एक सूचना आई है कि ८० हजार सीमेंट के बोरे खराब हो रहे हैं । एक माननीय परमाईलाल और बिपिनबिहारी आदि की सूचना आई हैं हरदोई थाने की डकैती के संबंध में । मैं इन दोनों को संबंधित मंत्रियों के पास भेज रहा हूं ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष—

इसको मैंने देखा नहीं है। सीधी बात यह है कि अगर इस विषय को आप उठाना चाहते हैं तो नियम ६५ को देख लीजिये कि सदन की बैठक होने से पहले देना चाहिये। इस समय मैं नहीं देख सकता हूं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम ५२ के उन सवालों की ओर ले जाना चाहता हूं जिनको आप मंत्रियों के पास भेजते हैं कार्यवाही के लिये। लेकिन उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिये आप यह व्यवस्था कर दें कि ३–४ दिन में क्या कार्यवाही हुई उसको माननीय सदस्य को लिख कर दे दिया जाया करे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रबलीसिंह जी, हमारे पास ऐसी सूचनायें आई हैं सदस्यों द्वारा जिनको मैंने विशेष ध्यान के लिये मंत्रियों के पास भेजा है। उनके ऊपर कार्यवाही हुई है और मेरा विश्वास है कि मंत्रीगण उन पर ध्यान देते हैं अगर न दें तो आप मुझ से मिल लें। मैं याद दिला दूंगा।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

श्रीमन्, चूड़ी उद्योग के संबंध में नियम ५२ की सूचना स्वीकार हुई है वक्तव्य के लिये, क्या उस पर उस दिन विवाद भी होगा ?

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य होगा, बाद में आप उस पर प्रश्न कर सकते हैं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

मैं जानना चाहता हूं कि उस दिन हम लोग प्रश्न कर सकते हैं या नहीं, माननीय मुख्य मंत्री को वहां शान्ति व्यवस्था कायम रखने का प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि वहां की स्थिति बड़ी ही विस्फोटक है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न भी आप माननीय मंत्रियों के पास भेजते हैं, उचित कार्यवाही के लिये, उस पर क्या कार्यवाही हुई उसकी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं होती है। आखिरकार आपके पास क्या सूचना आयी और क्या नतीजा निकला, इस सम्बन्ध में आपकी ओर से या सम्बन्धित मंत्री की ओर से कोई व्यवस्था हो जाय ताकि हम लोगों को जानकारी हो जाया करे कि उस सम्बन्ध में क्या हुआ। क्योंकि आपके और सरकार के बीच में जो पत्र-व्यवहार होता है उसकी कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिल पाती है और सूचना का परिणाम सूचना देने वालों को न हो तो कार्यवाही के लिये भेजना निरर्थक है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में हम और आप बातचीत कर लेंगे।

कतिपय विषय

श्री अध्यक्ष—

मेरा निवेदन यह है कि माननीया मुख्य मंत्री होली मिलन के सम्बन्ध में सदन के आदरणीय सदस्यों को आज सायंकाल साढ़े ६ बजे राजकीय अतिथि गृह में आमंत्रित करती हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

आपने तो उस दिन बुलाया था तो सब को खिलाया था, क्या वे भी कुछ खिलायेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

आप उस दिन आये क्यों नहीं ?

श्री उग्रसेन—

क्या कहूं, मुझे देर हो गयी।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

आपके इस एलान के सम्बन्ध में एक बात मैं जानना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री ने जो हम लोगों को होली के सम्बन्ध में आहूत किया है तो क्या उन्होंने वहां हम लोगों को खिलाने पिलाने की भी कोई व्यवस्था की है ?

श्री अध्यक्ष--

इसके बगैर तो होली होती ही नहीं।

१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास, अनुदान संख्या २१—उपनिवेशन, अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्यपालन तथा अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय (क्रमागत†)

श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री ने जो अनुदान रखा है वह वास्तव में किसानों से ही सम्बन्ध रखता है। माननीय कृषि मंत्री जी किसान होने के नाते किसानों की भलाई हृदय से स्वयं भी चाहते हैं। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जब आपने उनको यह विभाग दिया है तो समुचित रूप से उनको सारे अधिकार भी दें। आज हालत यह है कि उनके सामने आपने रुपयों का ढेर लगा रखा है, लेकिन उनको यह अधिकार नहीं है कि जिसको वे जितना देना चाहें उतना दे दें। आज किसानों के सामने दो तीन तरह की कठिनाइयां आ रही हैं। हम लोग पार्टी मीटिंग में और जगह-जगह कांग्रेस सभाओं में भी इस प्रश्न को रखते हैं . .

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं निवेदन कर दूं। दो विषय ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक तो खाद्य—उस पर आप लोग बोल चुके और जैसी दिलचस्पी लेनी चाहिये वैसी नहीं ली। दूसरी आज कृषि सम्बन्धी अनुदान है जिस पर बहस चल रही है और अगर आप बहस नहीं सुनते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि आप इस बहस में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जो लेनी चाहिये। इसलिये आदरणीय सदन से मेरा निवेदन है कि कृषि सम्बन्धी अनुदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कृपा करके आप लोग इस पर होने वाले वादविवाद को शान्तिपूर्वक सुनें।

श्री बैजनाथ पांडेय—

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि कृषि की तरक्की के लिये आवश्यक है कि इस विभाग का सीधा सम्पर्क सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग और कोआपरेटिव विभाग से हो। जब तक इस तरह

† २३ मार्च, १९६६ की कार्यवाही से।

का सीधा सम्पर्क इन विभागों से नहीं होगा, किसान को राहत नहीं मिल सकेगी। उनके पास जैसे बिजली का प्रकाश लाने वाले अधिकार हों और इस प्रकार के साधन उनके पास हों कि यह खेती और प्रकाश कार्य के लिये बिजली दे सकें। जहां कहीं आवश्यकता पड़े उनको ऐसे साधन जुटाने चाहिये और वे साधन उनको सिंचाई विभाग से तुरन्त मिल सकें। बिजली के कनेक्शन मिल सकें न कि उनको सिंचाई और बिजली के अधिकारियों और मंत्रियों के पास महीनों दौड़ना धूपना पड़े। खेती के जो सहायक साधन हैं, बिजली, सिंचाई और खाद आदि उनके लिये अलग-अलग दौड़ने से किसान को बड़ी परेशानी होती है बड़ा समय बर्बाद होता है और समय पर कोई चीज न मिलने के कारण फसल चौपट हो जाती है। इसलिये इन सब चीजों को प्रदान करने का अधिकार कृषि मंत्री के ही पास होना चाहिये। ऐसा न होने से इन सब चीजों से उन्हें उचित रूप से राहत नहीं मिल पाती। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह स्वयं एक किसान होने के नाते अपने उत्तरदायित्व को समझें और उसे ठीक से निभाएं कि किसान को किस वक्त किस चीज की जरूरत होती है और उसके न पहुंचने से उसका कितना भारी नुकसान हो जाता है। उनको उत्तम बीज चाहिये, साथ ही साथ समयानुसार पानी के साधन होने चाहिये और कम से कम उनके उत्तम ढंग से चक होने चाहिये जो उनके घरों से समीप हों और सारे चक एक ही स्थान पर हों। बीज भंडार जहां पर उचित बीज देने की व्यवस्था रहती है, वहां पर से समय पर बीज नहीं मिलते, उसमें बीज मिलने में देर होती है। कृषि विभाग के जितने औजार हैं, वे भी उचित ढंग से नहीं दिये जाते हैं, उनके देने में काफी देर हो जाती है और जो औजार मिलते हैं वह बहुत कम टिकाऊ होते हैं, एक-दो साल में ही काम लायक नहीं रह जाते हैं। मंत्री जी को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि उनको मिलने वाले औजार मजबूत और अच्छी किस्म के होने चाहिये। आज जगह-जगह पर यह कठिनाई है कि किसानों को समय से पानी नहीं मिलता है और कहीं-कहीं पर इसके साथ साथ खाद का भी उचित ढंग से वितरण नहीं किया जाता है। इन सब चीजों को देखते हुये आपके माध्यम से कृषि मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इन सब साधनों को अपने हाथ में लेने की कृपा करें, मुख्य मंत्री जो भी बैठी हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, खेती के लिये सहायक सारे साधन एक ही के पास होने चाहिये। बिना ऐसा किये उनका काम चलेगा नहीं और जो अन्नोत्पादन बढ़ाने के लिये हम लालायित रहे हैं, उसकी पूर्ति नहीं होगी।

हम यह भी निवेदन करेंगे कि हमारे इलाहाबाद का हंडिया एरिया अर्सिचित है जहां पर पानी का कतई साधन नहीं है। मैंने अपने माननीय सिंचाई मंत्री को सैकड़ों प्रार्थना-पत्र देकर कहा है कि उस जगह पर नलकूप के साधन दिये जाएं। मंत्री जो वहां गये, स्थिति देखी है। धान की खेती जहां होती है वह भी देखा है। वहां पर समय से पानी नहीं बरसा, उसका परिणाम यही है कि कृषि का साधन बिल्कुल खत्म हो गया। बीज भी उनके पास उपलब्ध नहीं है। आगे चल कर जब पानी पड़ेगा तब उनके लिये बीज आप को वहां मुहइया करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वहां रबी बरबाद हो चुकी है और इस फसल में करीब १ रुपये में ४ आने की पैदावार हुई है। तो मैं चाहता हूं कि इन सब विपत्तियों का निराकरण हो और साथ ही नलकूप की व्यवस्था हो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वह जो दिक्कत देख कर आये हैं और खास तौर पर हंडिया तहसील में उसको माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखें और जो कुछ वहां के हित में हो उसके कराने के लिये ध्यान रखें।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो कृषि के सम्बन्ध में कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे आशा थी कि कृषि एक ऐसा विषय है जिसका बहुत बड़ा महत्व है और जिसके १८ वर्षों के निरन्तर दुर्लक्ष्य के कारण देश में स्केयरसिटी की स्थिति

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

का निर्माण हो गया है उस समय जब ऐसे विषय पर विचार हो रहा है माननीय कृषि मंत्री के साथ-साथ माननीय सिंचाई मंत्री होते और माननीय मुख्य मंत्री भी होतीं और एक स्पष्ट नीति कृषि के सम्बन्ध में निर्धारित होती तो आज जो खाद्यान्न की समस्या खड़ा है उसको हल करने में सुविधा होती। माननीय गेंदासिंह जी का ध्यान मैं उनके एक भाषण की ओर जो उन्होंने १ मई, १९५६ को इधर से दिया था उस समय टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट के पेज १४५ से एक उद्धरण को पढ़ा था उसकी ओर ले जाना चाहता हूं:—

"It is an accepted cannon of taxation that raw materials of industry should be exempted from tax though a small cess may be imposed on such raw material only if it is intended for the purpose of improving its yield of quality of marketing."

कृषि मंत्री (श्री गेंदा सिंह)—

कहीं भूल से तो आप मेरा नाम नहीं पढ़ गये ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—

यह मुझे आज मालूम हुआ कि आप को भ्रम हो गया. . .

श्री गेंदासिंह—

मैं तो यह इसलिये कह रहा था कि यह अंग्रेजी में है।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

यह मैं नहीं जानता था कि आप अंग्रेजी नहीं जानते। आप जब इधर बैठते थे तब कभी-कभी अंग्रेजी में कोटेशंस दिया करते थे। हो सकता है कि भाषण पर आपका नाम गेंदासिंह गेंदादेवी की जगह छप गया हो तो मैं नहीं जानता। (हंसी) तो मैं कहने जा रहा था कि कृषि भी एक उद्योग है और इसके रा मेटीरियल्स खाद, बैल, पानी यह सब चीजें हैं। मैं आशा करता था कि इसके ऊपर से टैक्सेशन हटेगा। परन्तु मेरी वह आशा निर्मूल हुई। यह बात सही है कि आप खाद्य के विषय को ले लें तो आप देखेंगे कि खादों का मूल्य कितना अधिक हिन्दुस्तान में जापान, पश्चिमी जर्मनी आदि से है। अमेरिका के दाम आप देखें कि अमेरिका में ११ ५८ है और यू० के० में ६९३है लेकिन हिन्दुस्तान में १८२० है यह मीट्रिक टन पर है। हालांकि यह कृषि प्रधान देश है, हालांकि हमारा देश खाद्यान्न पर निर्भर है, लेकिन आज हमारी स्थिति यह हो गयी है कि दूसरे देशों से भीख मांगें तब काम चलता है। गल्ले के उत्पादन को बढ़ाने के लिये आवश्यक है कि चाहे वह अमोनियम सल्फेट हो और चाहे सुपर-फास्फेट हो वह किसानों को सस्ते रेट्स पर मिलनी चाहिये लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान ही नहीं है। और इस महंगे रेट्स को सरकार ने और भी महंगा किया है। १—२—६६ को आदेश द्वारा उर्वरक के मूल्य को लगभग २५ फीसदी और भी बढ़ा दिया गया है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस संबंध में क्या करना चाहते हैं ? यह बड़ी पालिसी की बात है। उर्वरक जो हमारी कृषि के लिये आवश्यक रा मैटीरियल है उस पर आप टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं और आज यही कारण है कि उर्वरक जो बांटे जाते हैं उनको लेने के लिये किसान हिम्मत नहीं करता मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ब्लाक्स में जो उर्वरक के बारें आते हैं वह उनको दिये जाते हैं जिनको उसकी आवश्यकता नहीं है या कुछ बड़े लोगों को दिये जाते हैं। जिनको उसकी आश्यकता नहीं है उनको मिलते है तो वे ब्लैक करते हैं। जिनको उसकी आवश्यकता है उनको समय पर नहीं मिलते हैं। जिनको परमिट मिला हुआ है उनको मिलते हैं तो वह उसका ब्लैक करते हैं। आप इस बात को स्वयं समझें कि इतना गरीब किसान कि जिसकी कमर सीधी नहीं है वह कितना उर्वरक खरीदता होगा। वास्तव में हमारी समस्या पर एकड़ पैदावार बढ़ाने की है।

आज इस प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े फार्म नहीं हैं। कुछ ही होंगे, लेकिन थोड़े बहुत बड़े फार्मों को लेकर उनके आधार पर आप नीति निर्धारित करदें ८० फीसदी किसानों के लिये तो आपकी नीति गलत सिद्ध होगी। आज यही परिणाम है कि तीसरी योजना के समाप्त होने पर भी हम आगे बढ़े नहीं हैं। खाद, बीज और पानी देने के बाद भी तीसरी योजना के बाद क्या नतीजा निकला है इसके लिये मैं आपके सामने वे आंकड़े रखना चाहता हूं। तीसरी योजना में हमने १९६१-६२ में लक्ष्य निर्धारित किया था १४४.१२, का लेकिन प्राप्त किया १३८.३९। १९६२-६३ में लक्ष्य था १५३.३४ का और प्राप्ति की १३२.८३ की। १९६३-६४ का लक्ष्य था १५६.६४ का और प्राप्त किया ११६.२०। हमारे लक्ष्य गिरे। हम लक्ष्य पर नहीं पहुंचे। उसका कारण यह है कि रा मैटीरियल आपने इतना महंगा कर दिया है कि वह किसान की पहुंच के बाहर है। इस लिये मैं माननीय कृषि मंत्री से मांग करूंगा कि आप उर्वरक के दाम घटायें और खाद के दाम सस्ते करें और किसानों को सस्ते दाम पर दें और उसके ऊपर जो टैक्स लाद रखा है उसको हटायें।

आज हमारे प्रदेश में किसानों की पैदावार न बढ़ने का दूसरा परिणाम यह भी है कि शहर के लोगों की आमदनी बढ़ गई है। किसानों की और देहात की आमदनी घटी है। ८०, ९० फीसदी किसानों की सेल और परचेज की ताकत घटी है। उनकी मारकेटिंग आमदनी भी घटी है। इस तरह से आपका यह इकानामिक स्ट्रक्चर कितने दिन तक खड़ा रह सकता है। यदि यह इकानामिक स्ट्रक्चर गिरता है तो फाइनेन्शल स्ट्क्चर भी गिरेगा। जैसे आज आप गल्ले के लिये भीख मांगते हैं तो वह दिन दूर नहीं है कि आप अपनी गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप पैसा मांगने के लिये बाहर हाथ फैलायेंगे। यह गलत नीति का ही परिणाम है कि देश की इस कमी को मीट करने के लिये बाहरी देशों के सामने हम अपने देश को गिराते हैं। यह भीख मांगने की नीति जो बना रखी है इस नीति में परिवर्तत करना चाहिये। यह जो सरकार की इम्बैलेन्स की नीति है इसको बदलना चाहिये। यदि इस प्रकार से इम्बैलेन्स चलता है कि शहर की आमदनी बढ़े और देहात की कम हो तो इससे क्रान्ति की भावना जनता में खड़ी हो जायगी। दुनियां में वहीं पर क्रान्ति हुई है जहां पर देश में इम्बैलेन्स पैदा हुआ है। आज जो देहात की आमदनी घट रही है और शहर की बढ़ रही है इससे बहुत बड़ा इम्बैलेन्स पैदा हो रहा है। इस सरकार को इस तरह सोचना चाहिये। आज धीरे-धीरे सारी सुविधा एक जगह कंसन्ट्रेट होती जा रहा है। जहां पर इस प्रकार से होता है तो उसका परिणाम समाज का विघटन होता है। जनता में आज विघटन का चित्र सामने खड़ा होता जा रहा है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप इसको बदलें।

उर्वरक के अलावा पानी का प्रश्न है। आपके यहां पानी होते हुये भी इतना महंगा है कि उसको लेना मुश्किल हो जाता है। हमारे प्रदेश में सिंचाई की जो व्यवस्था है वह भगवान् के सामने हाथ जोड़ने लायक है। उनको पानी नहीं मिलता है। मैं किसी दिन सिंचाई के सम्बन्ध के सारे कागजात आपके सामने रखूंगा। आज जो हमारे प्रदेश के वरिष्ठ लोग हैं वह अपने स्वार्थ की सिद्धि में ट्यूबवैल और नहर के कमान्ड के बाहर उनके फार्म होने के बावजूद भी सारा पानी खींचकर वहां ले जाते हैं और ५० एकड़ के फार्म की उनके सिंचाई की जाती है लेकिन २, बिसे २ १/२ बिसे, ३ बिसे, ४ बिसे वाले खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती है। यहां का किसान पानी पानी कहकर थक जाता है उनकी फसल सूख जाती है परन्तु उनको पानी नहीं मिल पाता है। सिंचाई के जितने भी साधन हैं वे सब गरीब किसानों के लिये नहीं हैं बल्कि वरिष्ठ आदिमयों के लिये हैं। और क्या हो रहा है मैं उस के कागजात सप्रमाण आप के सामने रख दूंगा। लेकिन आप इस समय देखें कि क्या सिंचाई का पानी सब को मिला? आज गांव में जो लठैत हैं, जिस के पास लाठी या धन का बल है वह आपके अफसरों को प्रलोभन देकर अथवा भय

[श्री यादवेन्द्रदत]

दिखा कर पानी ले लेता है। और पानी का क्या तमाशा आपको बतलाऊं। मैंने पिछले ३०, ३५ वर्ष से देखा यह कि सावन भादों में बाढ़ आती है, लेकिन जौनपुर में अब जेठ और आषाढ़ में बाढ़ आने लगी है और दूसरे समयों में नहरों में पानी ही नहीं रहता। सिंचाई विभाग के खाते में पुराने जमाने से एक तारीख लिखी है कि जिस के पहले भले ही किसान चिल्लाता रहे पानी दो, पानी दो, लेकिन उसको पानी नहीं मिल सकता, क्योंकि तारीख लिखी हुई है, उस के पहले पानी नहीं चलाया जायगा। तो हम आप की इन तारीखों को ले कर ओढ़ेंगे या बिछायेंगे? मंत्री जी भी विवश हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि गेंदासिंह जी बड़ी प्रमाणिकता और लगन के साथ काम करते हैं और शायद ही कोई ऐसा कर सके, लेकिन जब मजबूर हो जाते हैं तो उन को कहना पड़ता है हाथ जोड़े अपने अधिकारियों से कि वह किसानों का काम करें। यह मंत्री जी का सेंबिल है भ्रष्टता का। जौनपुर और बनारस के बार्डर पर जो नहर जाती है उस में मई और जून में इतना पानी भर जाता है कि वह किनारों को तोड़ कर तमाम खेतों को बर्बाद कर देता है और जब पानी की आवश्यकता होती है तो उस में पानी नहीं रहता। प्रदेश के ट्यूबवेल आपने काफी बढ़ाये हैं। एक ओर कहा जाता है कि सिंचाई के नये साधन अपनाइये, और अगर हम ट्यूबवेल लगाते हैं तो पहले तो उस के लिये डिजिल तेल नहीं मिलता और हम तेल के लिये परेशान घूमते रहते हैं। उसके बाद कहा गया कि बिजली के ट्यूबवेल लगाइये। बिजली के लगा लिये तो बिजली नहीं मिलती। किसान ने इस ट्यूबवेल की आशा में अपने सारे साधन खत्म कर दिये और आप का यह ट्यूबवेल भी काम नहीं दे रहा है। उदाहरण के लिये हो बतलाऊं, मेरी ही दरख्वास्त महीनों से बिजली के लिये पड़ी है, लेकिन कोई जवाब मुझे नहीं मिला। (लालबत्ती होने पर) श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि विषय बड़ा गंभीर है। कम से कम ५, ७ मिनट मुझे और दे दें। मैं जल्दी ही समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आप ५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

बहुत अच्छा। तो लोगों ने अपने सिंचाई के साधन हटा दिये और आपकी बिजली मिली नहीं। अभी आप के सामने प्रश्न आया था जिसमें कहा गया था कि आप आवश्यकता होने पर किसानों को पानी नहीं दे सके। बिजली की बात अभी मैंने निवेदन की। उस के साथ ही आप यह भी देखें कि हमारे प्रदेश में बिजली के रेट्स क्या हैं। रेट्स की हालत यह है कि आपने बिजली के रेट्स बढ़ा दिये.....

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

सिंचाई पर बोल रहे हैं या बिजली पर ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—

सिंचाई और बिजली अभिन्न हैं। आप और आप की आत्मा क्या अलग-अलग हैं ? मैं इस संबंध में दो चार आंकड़े ही देना चाहता हूं। आप देखें कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दर १२ से २५ पैसे प्रति किलोवाट है, जब कि मध्य प्रदेश में ९ से १२ पैसे, पंजाब में ७ से ९.३ पैसे और उड़ीसा में ८ से ९ पैसे प्रति किलोवाट। सारे देश के मुकाबले आप की दर ऊंची है, लेकिन इसके बाद भी आप ने १०० परसेंट अपनी बिजली के रेट्स बढ़ा दिये। अगर मैं अपनी डीजल लेकर ट्यूबवेल चलाता हूं तो इतना महंगा पड़ेगा कि मैं सिंचाई नहीं कर सकता और कास्ट आफ प्रोडक्शन भी नहीं निकलेगी और मजबूर होकर गल्ले की खेती को छोड़ कर कैश-क्राप की ओर जाऊंगा। यह इम्बैलेंस आज हो गया है। यह उस का नतीजा है जो आज गवर्नमेंट की टैक्सेशन और रेट्स बढ़ाने की पालिसी है। सरकार मजबूर कर रही है किसानों को कि वह गल्ला छोड़ें। इसीलिये आज गन्ना बढ़ा है। मंत्री महोदय ने आज ही एक प्रश्न का उत्तर दिया

है कि इतना सरप्लस हो गया। आपने सोचा कि क्यों सरप्लस बोया ? किसी को गन्ना बोने में आनन्द नहीं आता। उस किसान को यह सोचना पड़ता है कि हमारी जो लागत है सिंचाई की कास्ट है उसको मीट करने के बाद, आपके टैक्सेज को देने के बाद हमको मिलेगा कुछ या नहीं, और मिलेगा तो किस क्राप में मिलेगा। जिसमें उसको कुछ मिलेगा वही बोयेगा। आपने देखा कि इस साल आलू अधिक हो गया। यह इसीलिये इम्बैलेंस हो रहा है जो आपकी रेट और टैक्स बढ़ाने की पालिसी है।

आज सरकार की पालिसी बिलकुल प्राइवेट बिजनेस कारपोरेशन जैसी हो रही है, बल्कि उसको भी मात करती है। यह तो सर्विस का अंग है, लेकिन सर्विस पर भी आप प्राफिट के मोटिव से काम करते हैं, तब तो आपको घाटा जरूर होगा। आपको १० से २० भले ही मिल जांय अधिक टैक्स लगाकर, लेकिन खाद्यान्न नहीं आयेगा। आपको बाहर से गल्ला मंगाना पड़ेगा, भीख मांगनी पड़ेगी। कैश क्राप इतना अधिक हो जायगा कि उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में चलाने के लिये फैक्टरी नहीं लेगी। तो इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिये आपको बिजली और सिंचाई की दर घटानी होगी और जल्दी बिजली किसानों को देनी होगी। इस समय जबकि आवश्यकता है कि किसान अधिक से अधिक गल्ला पैदा करे तो आप कमांड एरिया जो ट्यूबवेल्स के हैं, जिसकी वजह से कोई निजी ट्यूबवे अपने नहीं बना सकते, इसको आप तोड़ें। इसमें तो आपको किसानों को और अधिक एनकरेज करना चाहिये कि अगर वह स्वयं अपने सिंचाई के साधन ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं तो लगायें। वह अपने पंपिंग सेट्स लगा सकें और अन्य उपायों को अपनाने में उसको सहूलियत हो। आज स्थिति यह है कि वह भूमि जिसमें दो फसल खेती की हो सकती है उसका १० प्रतिशत क्षेत्रफल केवल सिंचित एरिया में है और ९० प्रतिशत बाहर है। तो उसके लिये सिंचाई की सहूलित क्यों नहीं दी जाती ?

अच्छी फसल के लिए सबसे आवश्यक चीज बीज है। हमारे यहां कोई क्वालिटी मार्किंग बीज के लिए नहीं है और न बीज की गारन्टी है। तो सीड गोदाम मन्त्री जी बनायें और बीज गोदाम से अगर किसान को बीज मिलता है तो उसकी क्वालिटी मार्किंग होनी चाहिए और गारन्टी होनी चाहिए, चाहे प्राइवेट सेलर हो या उसे गवर्नमेंट दे और यदि फसल नहीं होती बीज की खराबी से तो जिम्मेदारी होनी चाहिए उसकी जोकि बीज सप्लाई करे। प्राइस फिक्स हो और क्राप और कैटिल इन्श्योरेन्स हो। डीजल और पावरीन के डिस्ट्रिब्यूशन का प्रापर इन्तजाम होना चाहिए और भूमि की ओर विशेष ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि आपके प्रदेश की पैदावार निश्चित बढ़ सकेगी और हमको दुनियां से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी।

*श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)––

अध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके चौथी पंचवर्षीय योजनाकाल में हम पदार्पण कर रहे हैं और हमारे सामने कृषि का महत्वपूर्ण बजट प्रस्तुत है। मैं अपने कलील और सीमित समय में यह मुनासिब समझता हूं कि सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कृषि नियोजन, कृषि उत्पादन और कृषक की आर्थिक दशा के कुछ चिन्ताजनक पहलुओं को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। मान्यवर, हमने जनसंख्या के प्रश्न को सामने रख कर तथा दूसरी जरूरीयात को सामने रख कर अपने अतिरिक्त खाद्यान्न के प्रोडक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया था और अपनी तीसरी योजना बनायी थी। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमनें यह निश्चय किया था कि हम तीसरी योजना के हर बर्ष में इतना कृषि उत्पादन पोटेन्शियल पैदा करेंगे। मुझे दुख है कि पिछले ५ वर्षों में किसी वर्ष भी हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके। माननीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराजसिंह]

कृषि मन्त्री को इस प्रश्न पर गम्भीरता के साथ सोचना पड़ेगा और यह देखना पड़ेगा कि क्या हमारी कृषि सम्बन्धी योजनाओं के कार्यान्वयन में कहीं कोई कमी है या क्या कारण है जो हम अपना अतिरिक्त कृषि उत्पादन पोटेन्शियल को प्राप्त नहीं कर सके और इतना शार्टफाल हुआ। मान्यवर, चौथी योजना में भी, अगर उन दोषों को दूर नहीं किया गया जिनके कारण हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके तो, हम अतिरिक्त कृषि उत्पादन के पोटेन्शियल को पैदा करने में असफल रहेंगे और खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

मान्यवर, दूसरा चिन्ता का पहलू एक और है। मान्यवर, भले ही हमने अपना अतिरिक्त खाद्यान्न के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, पर हर वर्ष हम कुछ न कुछ कृषि उत्पादन पोटेन्शियल पैदा करते रहे और हर वर्ष करोड़ों रुपए का हमने यह पोटेन्शियल पैदा किया। मगर फिर भी कृषि की पैदावार घटती गयी। हर वर्ष कृषि उत्पादन कम हुआ और इस कारण कृषि नियोजन में हमारी श्रद्धा नहीं रह गयी है, मालूम होता है कि उसमें कहीं दोष है। तीसरी योजना में ५ वर्ष में औसत उत्पादन प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में १३४ लाख टन का है, जबकि दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में वह करीब १४२ लाख टन हुआ था। इतनी तमाम कृषि सम्बन्धी योजनाओं के होते हुए भी, कृषि विभाग में दूसरी योजना के शुरू में जहां १५४३ कर्मचारी और अधिकारी थे उनकी जगह ९,४६० कर्मचारी और अधिकारी रखने के बाद, तथा और तमाम पैसा खर्च करने के बाद भी तीसरी योजना में हमारा उत्पादन कम हुआ।

मान्यवर, कितना पैसा हमने इस ओर खर्च किया, ६५४ हमने योजनायें बनायीं, इतने सारे डिपार्टमेंट खोले, अधिकारी और कर्मचारी कितने ही बढ़ाए, कृषि सम्बन्धी पोटेन्शियल भी पैदा किए, मगर इन सबके होते हुए भी हमारी पैदावार बढ़ नहीं पायी। ५ साल के आंकड़े यदि हम देखें तो उसमें बजाय बढ़ोत्तरी के कमी ही हुई है। मुझे बड़ी चिन्ता हुई कि हमने १९६५-६६ के लक्ष्य को १८३ लाख टन से घटा कर ११४ लाख टन कर दिया। मैं नहीं समझता कि हमें निराश होने की कोई बात है। इतना कम करके तो हमने इसे अपनी आवश्यकता से भी कम कर दिया और इससे यह पता चलता है कि हमने यह निश्चय कर लिया कि हम उत्तर प्रदेश में अपनी आवश्यकता भर का भी अनाज पैदा नहीं कर सकते। मैं माननीय कृषि मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे चौथी योजना काल में अपने लक्ष्य को इस प्रकार निर्धारित करें कि प्रदेश को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बाहर से अनाज न मंगाना पड़े।

मान्यवर, रेजर्व बैंक आफ इंडिया के कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जिससे यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में प्रति एकड़ कृषि की कीमत बहुत से प्रदेशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मान्यवर, आसाम, केरल, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, इन प्रदेशों में प्रति एकड़ पैदावार का कुल मूल्य उत्तर प्रदेश से कहीं कम है। और श्रीमन्, कम ही नहीं है बल्कि अन्तर बहुत ज्यादा है। केरल में जहां २७२ रुपए की पैदावार एक एकड़ से होती है वहां उत्तर प्रदेश के अन्दर २६६ होती है। श्रीमन्, इसी नतीजे को देखते हुए कल माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि कृषक रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें उत्पादन बढ़ाना चाहिए। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश प्रति कृषक पैदावार के मूल्य के हिसाब से अपने स्थान पर है। पंजाब, गुजरात, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, राजस्थान, महाराष्ट्र ये सब बहुत आगे हैं और फर्क ज्यादा है। पंजाब में जहां प्रति कृषक परिवार पैदावार का मूल्य २,१८६.४ रुपए हैं वहां उत्तर प्रदेश में ८६४ रुपए हैं। इस चिन्ताजनक अवस्था में आने का कारण क्या है और उसका निराकरण क्या हो सकता है।

मान्यवर, मेरी राय है कि उन कारणों पर गम्भीरता से विचार करें। श्रीमन्, मेरा सुझाव मानें, अवस्था यह आ गई है कि इस सदन का समय निकालकर इस जरूरी सवाल पर दो तीन दिन बहस करें और सरकार को सुझाव देने चाहिए। सरकार के पास योजनायें तो बहुत ही हैं परन्तु सरकार की कोई कृषि नीति नहीं है। मेरा सुझाव है कि सरकार अपनी कृषि नीति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में स्वयं घोषित करे। सरकार की ओर से घोषणा होनी

चाहिए उस नीति के अन्दर कि कृषि उत्पादन दर इस प्रदेश के अन्दर सन् ५४ से बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है वह घटाकर ५४ की अवस्था में लाया जायगा और उसको बढ़ने नहीं दिया जायगा। जितनी सामग्रियां और जितने साधन आज कृषक को सरकारी साधनों से उपलब्ध हैं उनकी दर आप देखें बढ़ती चली जा रही हैं। मेरा अनुरोध है कि वे दरें घटाई जायं और सरकार देखे कि कृषक को जब तक स्वावलम्बन न प्राप्त हो जाय तब तक वह दर नहीं बढ़ेगी।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि कृषि सामग्री की क्षमता बढ़ाने के लिए रिसर्च को मजबूत करना चाहिए। क्या हम उत्तर प्रदेश के अन्दर इस बात पर बल दे रहे हैं कि वे सामग्री उपलब्ध करें और बटे। वह कैसे खर्च हो जिससे उसकी क्षमता बढ़ जाय। इस पर खोज का रुख बदला नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मन्त्री जी उस खोज को ऐसा रुख दें जिससे कि हम उतनी ही सामग्री से आगे आने वाले सालों में कई गुना पैदा करें। श्रीमन्, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि कृषि सामग्रियों की दरें बढ़ती चली जा रही हैं। अभी यादवेन्द्रदत्त जी कह रहे थे कि बिजली की दरें पहले से ही सब प्रदेशों से ज्यादा थीं दो एक को छोड़कर। सन् ६२ में सौ फी सदी ड्यूटी बढ़ गई है। इसके अलावा माननीय कृषि मन्त्री ने एक बिल पेश किया कि ड्यूटी बढ़नी चाहिए। मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार चाहती है कि उनकी रेवेन्यू महफूज रहे कृषि की उन्नति हो या न हो। सरकारी नलकूप एक-एक फर्लांग पर हो सकता है लेकिन एक कृषि का नलकूप बिजली से चलने वाला सरकारी नलकूप के पास नहीं होगा। मेरे पास किताब रक्खी हुई है टैक्नो इकानामिक सर्वे आफ इंडिया जिसमें श्रीमन्, सिंचाई विभाग ने बताया है कि इस प्रदेश के अन्दर चार लाख एकड़ फुट पानी मौजूद है जो खींचा जा सकता है। और उसमें से २ लाख एकड़ फीट पानी ही हम आबपाशी के लिये ले रहे हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि पानी की कोई कमी नहीं है। इंजीनियरों ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखा है। मैंने मिसाल पेश कर दी कि सरकार इसको करना ही नहीं चाहती इसलिये सरकारी नलकूप तो पास पास मौजूद हैं फिर क्या वजह है कि निजी नलकूपों को कायम करने के लिये बिजली नहीं दी जाती है। कारण यह है कि सरकार पैदावार का ध्यान नहीं रखती है बल्कि अपने रेवेन्यू का ध्यान रखती है कि कहीं वह घट न जायं।

इसी प्रकार से फर्टिलाइजर्स का दाम भी १ फरवरी, १९६६ से माननीय कृषि मंत्री जी ने बढ़ा दिया है और फर्टिलाइजर का दाम वसूल करने में आप तीन तीन जगह सूद वसूल करते हैं। एक जब दिल्ली आपको देती है तब फिर आप डी०सी० डी०ए फ० को देते हैं और फिर वह किसानों को देता है। श्रीमन्, इस प्रदेश के अन्दर रहट बनाने के लिये एक टीन का तख्ता भी नहीं दिया गया है। लोग ब्लैक से लेकर बनाते हैं जिसका अधिक मूल्य किसानों को वहन करना पड़ता है बहुत से फेब्रीकेटर्स को लोहा और दूसरे साधन आपने दिये हैं। जिनसे कृषि यंत्र तैयार होंगे लेकिन सारे कृषि यंत्र उन्हीं दामों में किसानों को मिलते हैं जो कि ब्लैक से कच्चा माल लेकर बनाये जाते हैं।

डबल क्रापिंग के सिलसिले में यादवेन्द्र दत्त जी ने कहा कि हमारे प्रदेश में जितना सिंचित क्षेत्र है उसके केवल १० प्रतिशत में ही डबल क्रापिंग होती है। और खाद्यान्न का इतना ऊंचा भाव होने पर भी हमको विदेशों से भीख मांगनी पड़ रही है। क्यों नहीं कृषि विभाग इस क्षेत्र में ५०-६० प्रतिशत तक डलब क्रापिंग कर देता है। दोहरी फसल का जो क्षेत्र है उसमें १२ १/२ प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है और बाकी असिंचित है।

मेरा ऐसा खयाल है कि अगर आपका प्योर सीड ऐक्ट असल में आ जाय तो आपकी पैदावार १५ प्रतिशत बढ़ सकती है। बीज तो सब लोग डालते ही हैं लेकिन उस ऐक्ट के आ जाने के बाद

[श्री शिवराजसिंह]

लोग अच्छा बीज डालेंगे और उससे अवश्य ही पैदावार बढ़ जायगी। मुझे तकलीफ है कि आपने मेकेनाइज्ड फार्म्स को पशुपालन विभाग को दे दिया है, फाउन्डेशन सीड के उत्पन्न करने के लिये ब्लाक फार्म्स आपने प्रदेश में स्थापित नहीं किये हैं, आप रजिस्टर्ड ग्रोअर्स की संख्या भी कायम नहीं कर सके और इसका कारण यह है आपने उनको समुचित मूल्य नहीं दिया। आप किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य देने के लिये अश्योर कीजिये। अगर फसल के दाम आलू के दामों की भांति गिर गये तो बड़ी दुर्गत होगी। आगरा में १ जनवरी, १९६६ को आलू का दाम ४५ रुपया प्रति क्विंटल था जब कि फरवरी में १५ रु० उसका दाम हो गया और यह सरकार स्कीमें ही बनाती रही। और आज तक कोई लाभ किसानों को आलू के संबंध में नहीं मिला।

गन्ने की बड़ी चर्चा कृषि मंत्री जी ने की, कि उन्होंने उसका बहुत सा क्षेत्र बढ़ाया है। मैं उस संबंध में केवल २ आंकड़ों को पढ़ देना चाहता हूं। गतवर्ष सिंचित क्षेत्र और ट्यूबवैल्स का क्षेत्र कितना रहा और इस वर्ष कितना रहा? वह इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस साल एक एकड़ की सिंचाई में समय भी ज्यादा लगा और आबपाशी भी महंगी हुई है। आप को बिजली ने भी धोखा दिया और नलकूपों की भी रिपेयर वक्त से नहीं हुई और वे बेकार पड़े रहे और नतीजा यह हुआ कि एक तो सूखा था ही और बुरा असर इसका पड़ा।

अब मैं एक बात और कहूंगा माननीय कृषि मंत्री जी से कि उनके काल में गन्ने की काश्त पर बहुत अधिक चोट पहुंची है। आप जानते हैं कि हमारे यहां कुल गन्ने की काश्त का दो तिहाई हिस्सा रिजर्व क्षेत्र के बाहर है और जो नान रिजर्व क्षेत्र हैं उसकी जो योजना थी वह केन विभाग ने वापस ले ली है जितनी केन यूनियन की योजनायें थी वह वापस ले ली हैं। मैं उन से अनुरोध करूंगा कि वह जिस तरह से रिजर्व क्षेत्र का खयाल करते हैं उसी तरह से नान रिजर्व क्षेत्र का भी खयाल करें और यह खंडसारी उद्योग तो प्रदेश की नाक है। हम खंडसारी दूसरे सूबों को देते हैं इस तरफ भी सोचें। इस तरह से जो योजना केन विभाग ने वापस ली है उन को शीघ्र ही वह पुनः चालू करायें।

इसके अलावा मैं चाहता हूं कि खाद और कम्पोस्ट की तरफ भी मंत्री जी विशेष ध्यान दें। आजकल आप देखते होंगे कि लखनऊ की सड़कों पर किस तरह से पत्ते जगह जगह जलाये जा रहे हैं, देहात में आज भी कोई इंतजाम कम्पोस्ट के लिये नहीं है, कितना ही गोबर पहले की तरह जलाया जाता है, कोई नये फ्युअव की या नये चूल्हे की स्कीम वहां सक्रिय रूप से नहीं चलाई गई है। आज भी पहले की तरह ही खाद घुलकर तालाबों में पहुंच जाती है। इसके अलावा आप स्पष्ट घोषणा करें कि क सरकार की नीति होगी कि कृषि उपज को ठीक मूल्य किसानों को दिलाई जाय और खाद आदि की कीमतें उन के हित में घटाई जायंगी।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, संसद में डाक्टर राम मनोहर लोहिया के भाषण के बाद इस सरकार को पता हुआ कि भारत में परकेपिटा इनकम १५ आना है या ३ आना और उसकी योजना किस स्थिति में है।

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

और तभी सरकार को अकल आई कि उसकी योजनायें धरातल पर हैं या आसमान में उड़ रही हैं। उस दशा में सरकार का ध्यान गया कि किस तरह से योजनाओं में सुधार किया जाय। कृषि की भी हालत यही हुई है कि जब खाद्यान्न की कमी हुई और भुखमरी फैली। तब सरकार का ध्यान गया कि विदेशों से गल्ला मंगाया जाय और तभी यह स्थिति आई कि सरकार कृषि की तरफ कुछ अग्रसर और सतर्क हुई। इसमें सन्देह नहीं है कि कृषि में बहुत सुधार की आवश्यकता है। अब कृषि मंत्री जी ने बजट की एक बड़ी रकम कृषि पर व्यय करने की बात सोची है। लेकिन केवल पैसा खर्च करने से इन अर्थहीन योजनाओं के द्वारा देश का कल्याण

नहीं हो सकता, मैं समझता हूं कि इतने से हम पैदावार नहीं बढ़ा सकते । वही घिसीपिटी योजनायें और वही पुराना स्टाक जो कल तक आप के कार्यकाल में उनको चलाता रहा है वह क्या कर सकेगा । मैं यह एकानामिक रिव्यू के आंकड़े दे सकता हूं कि आज से दस साल पहले कृषि, सिंचाई और पैदावार में जहां हम थे वहां आज भी है, कहीं भी हम बढ़े नहीं हैं पीछे ही हटे हैं । तो अब हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप के यह अधिकारी अबकी बार आप के इस बजट से सब कुछ पूरा कर लेंगे । जो यह तकावी या ऋण आप किसानों को देते हैं उससे उनको कोई समुचित लाभ नहीं होता । आप चन्द रुपयों का अनुदान कृषि के नाम पर देते हैं उससे तो एक भिक्षा वृत्ति ही किसानों में बढ़ती है और उनका नैतिक स्तर ही आप गिराते हैं । साथ ही इससे किसानों और कर्मचारियों के बीच में एक भ्रष्टाचार करने का मौका बढ़ जाता है । बोरिंग की बात ही आप ले लें सरकार की तरफ से कोई बोरिंग की समुचित व्यवस्था नहीं है, तमाम नलकूप बेकार पड़े हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता केवल दिखावटी रूप में आंकड़े दिखा दिये हैं जाने वह काम जो सरकार के नियंत्रण में होता है लोक लेखा परीक्षा के १९६४ के प्रतिवेदन से पता चलता है कि १९५८ में एक नलकूप की योजना बनायी गयी । यह ६ वर्ष तक बराबर चलती रही तब जाकर कहीं यह इतने अर्से के पश्चात् कामयाब हुयी । तो जब सरकार की ही योजनाओं का यह हाल है तो उन बेचारे किसानों की क्या हालत होगी जिनको आज कोई पूछने वाला नहीं है ।

उन्नतिशील, बीज जो आप किसानों को देते हैं उससे भी किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है । उत्तर प्रदेश की लोक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६३ में दिया हुआ है कि प्रमुख ग्राम क्षेत्रों में पशुओं के लिए रातिब (फीड) तथा चारे संसाधनों के विकास के लिए आपने १९५९-६० में १०-१० एकड़ के ६ प्रदर्शन प्लाटों में योजना आरम्भ की । केन्द्र माधुरी कुंड, मंझरा, मरारी, चक गंजरिया, झांसी, मेरठ, कानपुर तथा आगरा जिलों में ४ प्रदर्शन प्लाट । इनमें जितना भी रुपया खर्च हुआ वह व्यय निष्फल सिद्ध हुआ । माधुरी कुंड में खाद्य तथा चारे के बीज की पैदावार नहीं हुयी । मंझरा में निधियों का प्रदर्शन न किये जाने के कारण १९६०-६१ में खेती नहीं की गयी थी । झांसी, मरठ आदि में कोई घास तथा बीज बोया नहीं गया था । जिला बिजनौर में आलमपुर गुनानी में स्थिति प्रदर्शन प्लाट में सिंचाई की सुविधाओं की कमी के कारण १९६०-६१ के दौरान में खेती करना रोक दिया गया । तो आपके जो प्लाट हैं, उनकी यह हालत है ।

उन्नतिशील बीज का जहां तक सम्बन्ध है, वह खुले बाजार में कानपुर में बेचा गया है । वहां पर २५-२५ बोरे बीज के बेंच दिए गये और वही उन्नतिशील बीज दुगुने दामों में बाजार में बेंच दिया गया है । उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के माध्यम से पकड़ा गया । वहां पर एक स्थानीय सेठ के पास से २० बोरे पकड़े गये । यही नहीं आपके डिप्टी डायरेक्टर आदि का एक बहुत बड़ा गुट है जिसमें आपके डी० पी० ओ०, जिला एग्रीकल्चर अधिकारी, डी० पी० ओ० आदि सब उसमें सम्मिलित हैं । खेती के उन्नत के बीज के अतिरिक्त जो आप के कृषि यंत्र हैं वे भी अधिक कमीशन लेकर किसानों को जबरन दिये गये । कालपी में एक भगवान इन्डस्ट्रीज खुली और उसके जरिये वे मुनाफा कमाते रहे । फिर डी० पी० ओ० डायरेक्टर आफिस में पहुंच गये । परिणाम यह हुआ कि उसी डी० पी० ओ० के इशारे पर रिपोर्ट लिखनी पड़ी कि प्रमाण सही नहीं पाया गया ।

मुर्गियों के पालन की हालत क्या है । १९४९ में अंग्रेजों के जमाने में इसकी कीमत निर्धारित की गयी । १९४९ में उसकी कीमत १५ रु० तय कर दी गयी । बाद में यह रिपोर्ट हुयी कि इसकी कीमत ज्यादा है तो सरकार ने यह तय किया कि मुर्गियों की कीमत ५ रू० प्रति के जोड़े के हिसाब से कर दी गयी । उसमें १० रु० सरकार भुगतान करेगी । पी० ए० सी० कमेटी के सामने यह केस आया और यह देखा गया कि मुर्गियों की बिक्री में १३ लाख रुपये का

[श्री शिवनाथसिंह]

सरकार को घाटा हुआ। यै सबकी सब मुर्गियां खा ली गयीं। तो यह स्थिति बड़ी असन्तोष-जनक है।

रासायनिक खाद का जहां तक सम्बन्ध है इससे मोटे तौर पर किसान कोई लाभ नहीं उठा पाता है। आपके यहां पर जो कोआपरेटिव के जरिए से किसान को खाद दिया जाता है उसमें कोयलेकी राख मिला दी जाती है। और यह खाद भी उनको जबरन दी जाती है जो कि इसका सदुपयोग नहीं करना चाहते हैं। पिछले सालों किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गयी थी कि बिल्हौर से यह रसायनिक खाद सैकड़ों, हजारों बोरियां में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात भेजी गई और इसमें लाखों रुपया लोगों ने कमाया और किसानों के नाम फर्जी भर कर उनसे खाद का रुपया वसूल किया गया। परिणाम यह है कि रासायनिक खाद, कृषि यंत्रों को लेकर सरकारी अधिकारियों और तस्कर व्यापारियों का एक गिरोह संगठित है जो चोरी से इन चीजों को बेंचता है। आपने पढ़ा होगा कि श्री लक्ष्मीचन्द्र अग्रवाल कानपुर का टोन की चादरों से संबंधित गोलमाल पकड़ा गया जिसको वह पाकिस्तान भेजा करते थे। लाखों टन सीमेंट बाहर भेज दी गई। कहां से गई ? यही बड़े-बड़े अधिकारियों द्वारा भेजी गई जो कि लघु सिंचाई और कृषि यंत्रों के लिये टोन दी जाती है उसको चोरी से बेंचा जाता है। यह देश द्रोहियों का काम है। इसी तरह से भीतारगांव में उन्नतिशील बीज बेचा गया। अगर आप चाहते हैं कि किसान का हित हो तो उसके ऊपर टैक्स का बोझ कम करें। आप किसान की भिक्षा मनोवृत्ति को रोकें और उसके लिये यह जरूरी है कि समय से उसके साधन जुटायें और तकाबी लम्बे समय के लिये दें। इसी प्रकार उसकी पैदावार का दाम लागत और खर्च के हिसाब से उचित रूप से बांधें। क्या वजह है कि आप के यहां आलू की पैदावार बढ़ गई ? किसान ने सोचा कि आलू की पैदावार से ज्यादा पैसा पैदा कर सकते हैं इसलिये उसने आलू ज्यादा पैदा किया। इसमें सरकार को कोई श्रेय नहीं है। यह किसान की मनोवृत्ति है कि जिसमें उसको अधिक दाम मिलता है वही चीज अधिक पैदा करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसान खाने के लिये अच्छा गल्ला पैदा करे तो उसके उचित दाम बांधें। अगर उसको उचित मूल्य मिलेगा तो वह वह अवश्य पैदा करेगा।

मेंड़ बन्दी का सुधार बहुत आवश्यक है। अगर किसान की जमीन को आप उपयोगी बना दें तो वह अधिक पैदा कर सकता है। हमारे यहां की जमीन ऊसर होती चली जा रही है, लेकिन सरकार का ध्यान उस ओर नहीं है। अगर सरकार ऐसी जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिये कदम उठाये तो इससे किसानों का अधिक लाभ हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रघुबीरसिंह (जिला एटा)--

(श्री जगवीर सिंह का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, कल उधर के तीन सदस्य लगातार बोल चुके हैं, इसका आप जरा ध्यान रखें।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होने पर हम अन्न में आत्म-निर्भर नहीं हैं यह लज्जा की बात है और उस समय जबकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। उस समय जब कि हमारे मंत्री स्वयं एक कृषक हैं, उस समय जब कि हम बहुत ही बल देते हों इस बात पर कि हमें इसमें आत्म निर्भर होना है, उस समय हम आत्म निर्भर न हो सकें, यह बहुत ही शर्म और लज्जा का विषय हो जाता है। हमें बहुत आशा थी कि कम से कम अभी तक अगर

कुछ न कर पाये हों तो माननीय गेंदासिंह के समय में हम बहुत कुछ कर सकेंगे। मैं यह नहीं कहता कि हम उनके कार्यकाल में आगे नहीं बढ़ पाये हैं या उन्होंने कुछ काम नहीं किया लेकिन मुझे उनसे जो आशा थीं उसमें निराशा अवश्य हुई। मैं समझता था कि समाजवादी ढंग से कुछ क्रान्तिकारी बातें वह लायेंगे लेकिन उनको लाने में वह असफल रहे हैं। उसका कारण सेक्रेटेरियट, पुराने कर्मचारी हो सकते हैं या ऐसे दोस्तों के बीच में वह फंस गये हैं जो उनको ठीक से काम करने में बाधा उत्पन्न करते हों। हो सकता है कि उनको कुछ इस किस्म की परेशानियां हों जो हम ठीक तरह से न जानते हों।

मैं उनको सब से पहले स्वायल कंजरवेशन के कार्य पर बधाई देता हूं। जिस प्रकार उनके महकमे ने स्वायल कंजरवेशन का कार्य किया है वह सराहनीय है। मेरे जिले में मेड़बन्दी का काम जिस तरह से वह हो रहा है वह बहुत अच्छा है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है।

अब मैं कुछ कमियों की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। शिवराजसिंह ने कहा कि गन्ने को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। मैं अधिक विस्तार में न जाकर संक्षेप में ही कहूंगा कि अगर कोई चीज ऐसी है जो किसान के ईमान को खराब कर रही है, जो किसान की नेक कमाई को खराब कर रही है तो वह गन्ने का महकमा है। मैंने पहले भी इस सदन में कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि भगवान विष्णु जब यह देखते थे कि कोई बहुत जोरों से पूजा कर रहा है और उनकी गद्दी हिल जायगी तो वह उसके चारो ओर नाचने के लिये अप्सरा भेज देते थे उसकी तपस्या को भंग करने के लिये और इस प्रकार उनकी गद्दी बनी रहती थी। इसी प्रकार जब गन्ने के मुहकमे वाले को फिक्र होती है कि किसान की ईमानदारी से कमाये पैसे, रात तथा दोपहरी के कमाये पैसे की तो गन्ने की पर्चियां शुरू होते ही उसे वे बेईमान बना देती हैं और मैं जानना चाहता हूं कि उस बेईमानी को रोकने के लिये क्या माननीय मंत्री जी कोई कदम उठाने जा रहे हैं। वे नाकामयाब रहे हैं। उनको गन्ने के काम में अच्छी महारत हासिल है और मैं सोचता था कि वह इस बेईमानी को रोकने के लिये कोई न कोई कदम अवश्य उठायेंगे परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कोई कदम नहीं उठाया गया और आज भी जब किसान कांटे पर अपना गन्ना लेकर जाता है तो कम तोला जाता है। उनको यह अंडर वेमेंट रोकना चाहिये। अगर इसको रोकने के लिये उन्होंने एक भी कदम उठाया है तो मैं अपनी गलती मान लूंगा।

खेती के लिये जहां पानी की आवश्यकता है वहां प्योर सीड की भी आवश्यकता है। शिवराजसिंह जी ने बताया कि १५ प्रतिशत पैदावार केवल प्योर सीड से बढ़ जाती है। मैं यह कहूंगा कि विभागों में कोआर्डिनेशन नहीं है। आज सरकार ने बीजों की व्यवस्था कोआपरेटिव को दे दी है। क्या मंत्री जी का विचार है कि जिस समय कृषि विभाग के पास बीज गोदाम थे आज कोआपरेटिव डिपार्टमेंट भी उतना ही प्योर सीड दे रहा है जितना कि कृषि विभाग देता था? एक मेरा निश्चित मत है कि नहीं मिलता है। अगर ठीक तरह से पैदावार बढ़ाने की बात है तो कृषि विभाग को अपने हाथ में जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन प्योरिटी आफ सीड पहले आज से कहीं अच्छी थी। सीड की प्योरिटी को मेनटेन करने के लिये सीड स्टोर्स को आपको अपने विभाग में लेना चाहिये। जिस समय सीड स्टोर्स आपके पास थे तो आपका आदमी वहां रहता था जो यह देखता था कि सीड प्योर आया है या नहीं। लेकिन कोआपरेटिव विभाग में ऐसा कोई आदमी नहीं है। अगर आप इसको अपने विभाग में लेने में किसी कारण से असमर्थ हैं तो यह तय हो जाये कि आपके विभाग का कोई जानकार आदमी वहां रखा जाये जो बीज की शुद्धता को देखे। अगर आप किसान को शुद्ध बीज पहचायेंगे तो किसान की बहुत तकलीफ दूर कर सकेंगे और पैदावार बढ़ाने में सहायक होंगे। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, ५ मिनट और दे दें।

श्री अधिष्ठाता---

इस के लिये आप क्षमा करें। आप के पास २ मिनट का समय है।

श्री जगवीरसिंह---

श्रीमन्, चकबन्दी के बाद हमें आशा थी कि ट्यूबवेल लगेंगे लेकिन हमारे साथ अन्याय हुआ है। ४ फर्लांग की कैद को हटा दें और जब सरकारी ट्यूबवेल पास हो सकते हैं तो किसान भी ट्यूबवेल लगा सकता है। बिजली की दर कम करनी चाहिये। कम कीमत पर फर्टिलाइजर्स दीजिये, किसान को इंसेटिव दीजिये और गल्ले की कीमत तय कीजिये जिससे किसान आश्वस्त हो सके कि उसको ठीक कीमत मिलेगी। इसके अलावा आप क्राप इंश्योरेंस कर दें। हो सकता है कि इसमें सरकार को नुकसान हो जाये लेकिन इसके करने से किसान को विश्वास रहेगा कि ईश्वर का कहर पड़ने पर वह बच जायेगा। इसलिये गेहूं का क्रोप इंश्योरेंस जरूर कर दीजिये।

मंडी का जो विधेयक बनाया है वह बहुत अच्छा है। उससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। आप इसको जल्दी से जल्दी लागू कीजिये। इससे वह दूकानदार के अन्याय से बच जायेगा। किसान को अपने गल्ले की ठीक कीमत मिल सकेगी और किसानों के साथ जो ज्यादती होती है वह नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं मांग का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्दन सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

अधिष्ठाता महोदय, जब मैं मंत्री जी को देखता हूं तो मुझे मेरठ और मुजफ्फरनगर के टाउन हालों की याद आ जाती है। उन्होंने हम लोगों को उकसाने का काम और मांगों का मनवाने का बहुत काम किया है। लेकिन जब से मंत्रिपद पर आये हैं तब से वे कच्चो कुइयां खुदवाने की ओर चले गये या कोठियों में सब्जी उगवाने की ओर चले गये। मैंने एक चीज कही कि जंगल में काफी जमीन है। अगर उसको लिया जाये तो काफी उपज बढ़ सकती है और हमारे प्रदेश में इतनी उपज हो सकती है कि यह स्वयं खा सकता है और बाहर भी भेज सकता है। मैंने कई दफा कहा कि खेती के लिये खाद, पानी, बीज और जुताई सब से जरूरी चीजें हैं। फसल को जो कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं उनको स्प्रे द्वारा मरवा दिया जाय तो उपज अपने आप बढ़ जायेगी। यह जो कैद इस वक्त लगी हुई है कि प्राइवेट ट्यूबवेल नहीं लगाया जा सकता है, आप मुख्य मंत्री से कहें कि यह शर्त हटा दी जाय और काश्तकारों को फ्री कर दिया जाय कि वे अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगा सकें। एक इंजीनियर साहब ने इस संबंध में मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट ट्यूबवेल्स से हमारे ट्यूबवेल्स को नुकसान पहुंचता है लेकिन जब वे गहराई में गये कि सरकारी ट्यूबवेल को बोरिंग तो साढ़े ४ फीट पर होती है जब कि प्राइवेट ट्यूववेल को बोरिंग ६०-१२० फीट पर ही होती है जिससे सरकारी ट्यूबवेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।

जुताई के लिये काश्तकारों ने कुछ ट्रैक्टर्स खरीदे हैं। उसके तेल के लिये काश्तकार इस कदर परेशान हैं कि वह मिलता ही नहीं और अगर कहीं मिलता भी है तो बहुत मंहगे दामों पर मिलता है। आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे ट्रैक्टर के तेल के लिये काश्तकारों को कुछ सबसिड़ी दें। आपके इस अनुदान के विरोध में मैं नहीं बोलता हूं बल्कि अगर आप उपज बढ़ाना चाहते हैं तो इस अनुदान को कुछ और बढ़ा लें लेकिन ट्रैक्टर के तेल के लिये और बीज के लिये कुछ छूट दें।

बीज के संबंध में जैसा कि माननीय जगवीर सिंह ने कहा, कि आप बीज स्टोर करें और वह आपकी तरफ से हम लोगों को मिले। माननीय मंत्री जी कृषि के लिये चार चीजें बहुत जरूरी हैं-सिंचाई, बिजली, गन्ना और कोआपरेटिव सोसाइटी। ट्रैक्टर के पीछे एक ट्राली बंधी रहती है जिस पर किसान मैन्योर, बीज, गन्ना आदि लाता है। एक दिन एक इंस्पेक्टर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने उसे पकड़ लिया और कहा कि यह गैर कानूनी है। मैं समझता हूं कि जब सारे प्रदेशों में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में और हर जगह ट्रैक्टर ट्राली फ्री हैं तो हमारे यहां वह फ्री क्यों नहीं है। बहुत दिनों पहले जब माननीय मंत्री जी मेम्बर ही थे उन्होंने स्वयं कहा था कि ट्राली को फ्री होना चाहिये। अब आप जबकि मंत्री पद पर हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप उपज बढ़ाना चाहते हैं तो हम खेती करने वालों को इस प्रतिबन्ध से छुटकारा दिला दें क्योंकि हम तो आपके खादिम हैं।

अभी कुछ दिन पहले गन्ने में डालने के लिये जो फर्टिलाइजर मिलता था उसका भाव ३४५ रु० टन था जिसे बढ़ा कर अब फैक्टरी वालों ने ५५५ रु० टन कर दिया। अगर काश्तकार गेहूं का भाव ३८ रुपये मन कर दे तो कहा जायगा कि वह बेईमान है, निकम्मा है, बदमाश है लेकिन फैक्टरी वाले अपनी चीजों के दाम दुगना बढ़ा देते हैं तो उसको कोई कुछ नहीं कहता है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि काश्तकार को उपज बढ़ाने के लिये जिस चीज की भी जरूरत हो वह उसे मिलनी चाहिये और सस्ते दामों पर मिलनी चाहिये। अगर गवर्नमेन्ट उपज बढ़ाने के लिये हमें छूट नहीं देना चाहती तो कम से कम इतना प्रबन्ध कर दे कि वह गन्ने के लिये हमें ८ पानी देगी और गेहूं के लिये तीन पानी देगी। अगर इतना भी प्रबन्ध सरकार कर दे तो हमारी उपज बढ़ सकती है। मेरा निवेदन यह है कि अपनी पुरानी बातों को ही याद रख कर काम करें तो उनका ज्यादा मान होगा। क्योंकि कृषि के ऊपर ही देश का सारा दारोमदार है, इसलिये आपसे मेरी प्रार्थना है कि हमारे जो तीन चार संकट हैं उनको आप दूर करें। एक तो यह कि जहां रिजर्व्ड एरिया है वहां बाहर से गन्ना आ रहा है और वहां जो खांडसारी पैदा करते हैं वह यू० पी० के बाहर नहीं जा सकती है। गुड़ बाहर नहीं जा सकता है। गन्ना जो इस वक्त खेतों में खड़ा है, अगर जल्दी उनकी पेराई न हुई तो इस साल हमारे यहां पानी की इस कदर कमी है कि हम गन्ने के बीज की सिंचाई करेंगे, या नये गन्ने की सिंचाई करेंगे या खेतों में जो गन्ना खड़ा है उसको पानी दे सकेंगे। अगर खेतों में खड़े गन्ने को पानी न मिला तो उसमें से चौथाई गन्ना भी मिलना मुश्किल हो जायगी। इसी वजह से इस साल मिलों को काश्तकार अधिक गन्ना देना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप कृषकों की ओर देखें और ट्रैक्टर्स के लिये तेल में कुछ छूट दें, बीज का प्रबन्ध करें और ट्यूबवेल के लिये जो प्रतिबन्ध लगा है उसे हटवा दें। मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपनी पुरानी बातों को याद रखें जो पहले हम लोगों से कहा करते थे।

श्री रघुवीरसिंह—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार के सम्पूर्ण विभागों में कृषि अपना एक अद्वितीय स्थान रखता है। श्रीमन्, यह अपने ही देश की बात नहीं है बल्कि समस्त विश्व के मनुष्य, पशु, पक्षी और विभिन्न प्रकार के प्राणीमात्र के जीवन का एकमात्र सहारा कृषि उपज है। इसलिये ऐसे महत्वपूर्ण विभाग की तरफ सरकार को बड़ी सतर्कता एवं तत्परता से देखना चाहिये और उसके साथ सहानुभूति पूर्वक न्याय भी करना चाहिये। मैं यह भी कहूंगा कि जो कृषि मंत्री और जो उनका स्टाफ यहां बैठा हुआ है, वे हमारे जितने भी सदस्य इस सदन के हैं चाहें इधर के हों या उधर के उन सबकी आलोचना और सुझावों को उदारतापूर्वक सुन कर उनके संबंध में यथा संभव प्रयास करना चाहिये।

श्रीमन् कल से मैंने कई एक माननीय सदस्यों के भाषण सुने, अधिकांश सदस्यों का यह कहना है कि हमारे मंत्री महोदय और उनका स्टाफ निष्क्रिय है और मुख्य रूप से यह भी कहा गया कि कभी भी कृषि उत्पादन लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पायी। श्रीमन्, मैं स्वयं एक किसान हूं, मैं यह समझता हूं कि कृषि एक ऐसा व्यवसाय है कि इसके खाद्यान्न या विभिन्न प्रकार के उत्पादन

[श्री रघुवीरसिंह]

का न्यूनाधिक हो जाना न तो किसान के ऊपर थोपा जा सकता है और न सरकार के ऊपर आरोपित किया जा सकता है। उदाहरण के लिये बड़े प्रयास के साथ और बड़े परिश्रम के साथ किसान ने अपने खेतों में काम किया, उसके खेत लहलहाते दिखाई दे रहे हैं, सरकार ने भी अपने यथा सम्भव साधन पहुंचाये, लेकिन दैवयोग से कहीं ओले पड़ गये, तो सरकार या किसान कोई कर क्या सकता है। तो क्या किया जाय, कोई भी विरोधी सदस्य उत्तर दे। माननीय भानुप्रतापसिंह कह रहे थे कि दैवी प्रकोपों की आड़ में सरकार उत्तरदायित्व से बचना चाहती है वह ही उत्तर दें कि क्या किया जाना चाहिये। कभी पाला पड़ गया, बीमारी फैल गयी, कीड़े मकोड़े लग गये तो उसमें हम और हमारी सरकार क्या कर सकती है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि आजकल दो हफ्तों से जो तेज हवा चल गयी है, उसमें १० फीसदी खेती का निश्चित नुकसान हो गया है, इसको कौन रोके। तो मेरा कहना है कि जितने भी दैवी प्रकोप हैं, उनमें अनावृष्टि ही एक ऐसी चीज है, जिसमें सरकार यदि चाहे और ठीक प्रकार से प्रयत्न करे तो ७०–७५ फीसदी तक खेती को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इस संबंध में वास्तविकता नहीं छिपाना चाहता हूं कि सरकार ने यथा संभव सर्तकता के साथ काम नहीं किया।

मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि हम आजकल योजनाओं के युग में चल रहे हैं। हमारी तीन योजनाएं समाप्त हो चुकी हैं। हमको यह देखना चाहिये कि आया सरकार ने सिंचाई के ऊपर कितना धन खर्च किया क्योंकि सिंचाई खेती के उत्पादन का सबसे मुख्य साधन है। श्रीमन् मैं आपके माध्यम से सबसे पहिले कृषि मंत्री से कहना चाहूंगा कि इन योजनाओं के युग में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति २४ रुपया व्यय किया जब कि अन्य राज्यों ने ४० रुपया व्यय किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो योजना पर व्यय किया वह ३४ रुपया है जब कि अन्य राज्यों का ५२ रुपया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की सरकार ने योजना पर प्रति व्यक्ति ६८ रुपया खर्च किया जब कि अन्य राज्यों ने ९२ रुपया किया। अब इसी के साथ-साथ यह देखें कि केन्द्र ने क्या किया। केन्द्र से प्रत्येक प्रदेश को जो सहायता मिलती है, उसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को पहली पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति के हिसाब से १४ रुपया मिला जब कि अन्य राज्यों को २५ रुपया प्रति व्यक्ति मिला, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को १८ रुपया मिला और दूसरे राज्यों को २७ रुपया मिला, तीसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति ४७ रुपया के हिसाब से मिला और अन्य राज्यों को ५६ रु० मिला। इस बात के साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि हमें अपनी योजनाओं में कितना पैसा लगाना चाहिये था, उतना नहीं लगाया गया और उसी का यह परिणाम रहा कि हमें खेती पर जितना व्यय करना चाहिये था उसकी कितनी वरीयता दी जानी चाहिय थी नहीं दी गयी। यह निर्विवाद बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसमें ८० प्रतिशत लोग खेती या उससे संबंधित व्यवसाय में अपने जीविकोपार्जन के हेतु लगे हुए ही हैं। इसलिये योजनाओं का प्रभाव सबसे अधिक इस वर्ग पर पड़ा। पैसा ज्यादा नहीं मिला तो खेती की उन्नति नहीं हो सकी।

दूसरी बात मुझे आपके माध्यम से यह कहना है जिसका प्रभाव कृषि पैदावार को कम करने की दिशा पर पड़ा है। बिजली की दरें जो कृषि कार्य के लिये हैं और जो उद्योग के लिये हैं, उनमें बड़ा अन्तर है। जब सरकार यह जानती है कि किसान वर्ग जो है वह उद्योगपतियों के मुकाबले में काफी गरीब है, तो यह कौन सी समाजवाद की बिचारधारा है कि उद्योगपतियों को बिजली कम रेट पर दी जाय और किसानों को ज्यादा रेट पर दी जाए।

साथ ही साथ ऋण के संबंध में देख लिया जाए, खेती के लिये सूद की दर नियम और सुविधाएं और हैं उद्योग के लिये और हैं। यही नहीं, यदि उद्योग फेल हो जाएं तो ऋण और टैक्स आदि में उनको छूट मिल जाती है, किन्तु किसानों की जब कहीं आधे से भी अधिक फसल नष्ट हो जाय तब कुछ लगान में छूट मिलती है। वह भी खरीफ की फसल में नहीं दी जाती

भले ही किसान की पूरी फसल नष्ट हो जाय। ऐसी दशा में लगान रबी की फसल के लिये मुल्तवी कर दिया जाता है।

इसी प्रकार श्रीमन्, मुझे कहना है कि जो आजकल खाद्यान्न की चिल्लाहट है, वह क्यों है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार ने अब तक खेती की जितनी भी फसलें हैं उनका मूल्यांकन नहीं किया है। हम देख रहे हैं कि कैश क्राप यानी नकदी वाली क्राप में किसान को ज्यादा लाभ मिलता है, इसलिये किसान खाद्यान्न कम पैदा करता है और नगदी वाली फसलों की जैसे गन्ना, तम्बाकू, मूंगफली, आलू आदि ज्यादा पैदावार करता है।

वर्ष १९५२-५३ की उपज को --खाद्यान्न और नकदी उपज को अगर १०० माना जाए तो उसके आगे के वर्षों में आप देखेंगे कि शनैः शनैः नकदी की उपज अधिक और खाद्यान्न की उपज कम होती गयी।

		खाद्यान्न	नकदी फसलें	सामान्य फसलें
(५२-५३-१००)	.. ६०-६१ ..	९०.६	१३२.२	९९.९
	६१-६२	८५.८	१३६.७	९७.१
	६२-६३	८४.१	१५३.४	१००.५
खाद्यान्न के भाव बढ़ोत्तरी	.. ६३-६४ ..	९६.४	१८१.५	११५.८
	६४-६५	१३६.४	२०३.१	१४७.४

इससे यह मालुम पड़ता है खाद्योत्पादन की स्थिति क्या हो रही है, किसानों की प्रवृत्ति क्या है। और यदि यही स्थिति रही तो इसका क्या परिणाम होगा। हमारी सरकार को विवेक करना पड़ेगा कि खाद्यान्नों की कीमतें कम से कम कितनी होनी चाहिये, जिससे अन्नोउत्पादन करने के लिये किसानों में रुचि बनी रहे और उन्हें उचित प्रोत्साहन मिलता रहे।

(लाल बत्ती होने पर)

कितना समय मुझे अभी और मिल जायगा। श्रीमन्, मुझे कुछ आवश्यक बातें करनी हैं। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जो सरकारी कृषि फार्म्स हैं उनके ९ साल के आंकड़े मैंने इकट्ठे किये हैं और उनके माध्यम से देखा है कि एक मन का उत्पादन व्यय कितना आता है।

सरकारी कृषि फार्मों का सन् ५२-५३ से ६०-६१ तक गेहूं का प्रतिमन उत्पादन व्यय

फार्मों के नाम:--

भरारी--- रुपया १८ आ० ५
निवलेट--- रुपया १४ आ० १३
नीलगांव--- रुपया १८ आ० ४
मंझरा--- रुपया १३ आ० ४
माधुरी कुन्ड--- रुपया १३ आ० ३
बाबूगढ़--- रुपया १२ आ० १४
हस्तिनापुर--- रुपया २०

इन सरकारी फार्मों को भूमि का लगान नहीं देना होता और सिंचाई का खर्चा भी अपेक्षाकृत कम है। अब इन सातों फार्मों का इकट्ठा करके अनुपात लगाया तो १५ रुपये १३ आने प्रतिमन उत्पादन व्यय आता है लगान लगाया जाए तो मैं कह सकता हूं निसन्देह रुप से कि यह प्रति मन जो व्यय है वह २० रुपये मन से कम नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से होड यह लगी है कि जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उद्योगपति हैं, शहरों में रहने वाले लोग यानी जिनका खेती से कोई संबंध नहीं है १५-१६ रुपये मन में जहां ऊपर गेहूं का दाम उठना शुरू हुआ वे चिल्लाने लगते हैं। मैं यह

[श्री रघुवीरसिंह]

कहना चाहता हूं, इसके लिये सदन भले ही मुझ से कहे कि मैं स्वार्थपरता की बात कह रहा हूं, किसान को अपने लागत व्यय से जब तक ड्योढ़ा मूल्य नहीं मिलेगा वह आलू, गन्ना और तम्बाकू का उत्पादन करेगा, अनाज का उत्पादन कतई नहीं करेगा।

इसके साथ-साथ मुझे सबसे जरूरी बात यह कहनी है कि आप यह जानते हैं कि जो सरकार कर सकती है वह कर रही है, मैं यह भी नहीं कह सकता कि सरकार हमारे घर में करके रख देगी, करना हमें ही है, मेहनत हम करेंगे, उत्पादन हम अपना बढ़ायेंगे, लेकिन सरकार सिर्फ सिंचाई और रासायनिक खाद को मदद देती है। हमारे यहां ५० लाख एकड़ से कम ऊसर नहीं होगा, जो व्यर्थ ही पड़ा हुआ है। जो भूमिहीन, अलाभकर जोतवाले हैं या हरिजन वर्ग के लोग हैं वही अब नयी जोत के पट्टे ले सकते हैं जिन लोगों के पास साढ़े १२ एकड़ से अधिक भूमि है वह पट्टे पर अतिरिक्त भूमि नहीं ले सकते। जो छोटे किसान हैं, जिनके पास हल बैल नहीं हैं या क्षमता नहीं है वह अभी नहीं कर सकते कि ऐसे ऊसर को तोड़ने के लिये अपने घर का पैसा लगायें और दो-चार वर्ष कुछ पैदा न हो फिर भी करते रहें ऐसा तो वे ही लोग कर सकते हैं जिनके पास साधन हैं, जिनके पास ट्यूबवेल्स हैं और जिनके पास निजी ट्रैक्टर्स हैं। मैं जानता हूं कि इसमें अकेले कृषि मंत्री जी कुछ नहीं कर सकते उनको माल मंत्री जी से परामर्श करना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि वह कृपया माल मंत्री जी से परामर्श कर लें और भूमि व्यवस्था अधिनियम में ऐसा संशोधन आ जाय कि केवल ऊसर भूमि को सुधारने के लिये ऐसे किसान जो साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा के हैं उनको पट्टा लेने का अधिकार मिल जाय।

श्री अधिष्ठाता--

आप का समय समाप्त।

*श्री खयालीराम (जिला लखनऊ)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर समय दिया। मान्यवर, मैं सबसे पहले सरकार से जो सबसे अधिक सराहनीय कार्य किया है उसकी चर्चा करना चाहता हूं। आजादी के बाद इस प्रदेश के भूमिहीन हरिजनों को बसाने के लिये पीलीभीत में, लखीमपुर में सरकार ने पुनर्वासन योजना बनायी जिसका उद्देश्य था कि भूमिहीनों को उनमें आबाद किया जाय। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उसने वितरण की व्यवस्था में बुद्धिमानी नहीं दिखाई। आप जानते हैं कि हाई स्कूल पास लड़के पैंट और बुशर्ट से कम नहीं पहनते और खेती में कार्य करने की क्षमता नहीं रखते, खेती के पास जाना नहीं पसन्द करते क्योंकि वहां उनकी बुशर्ट और पैन्ट गन्दी हो जायगी। उनको तीस-तीस को एकड़ भूमि एलाट कर दी गयी है। वह जमीन या तो बटाई पर उठाई है या वैसे ही पड़ी हुई है। इसके अलावा जो १० एकड़ के अलाटमेन्ट किये गये हैं उसमें से अधिकांश ऐसे लोगों किया गया है जिनका खान्दान हाथ से खेती का कार्य करना वर्जित समझता है और यह एलाटमेन्ट नेताओं और मंत्रियों की सिफारिश से किया गया है। यह एलाटमेन्ट भी भूमिहीनों को कतई नहीं किया गया है। मान्यवर मैं गेंदा सिंह जी से निवेदन कर दूं क्योंकि वे हमारे नेता बहुत दिनों तक रहे हैं और बहुत बड़े समाजवादी भी हैं कि वे एक कमीशन बैठायें जो इस बात की जांच करें कि वह जमीन किनके पास है। मैं चुनौती देती हूं कि जितने एलाटमेन्ट हुए हैं वे अधिकांशतः ऐसे लोगों में हुआ है जिनके पास १० बीघा से ४०० बीघा तक जमीन है। खेतिहर मजदूर जब से यह योजना बनी है तब से वहां पड़े हैं उनको आज तक जमीनें नहीं मिल पायीं। इस दौरान में २५ फरवरी को सन् १९६५ को चेयरमैन, पुनर्वासन योजना से आग्रह किया गया कि भूमि उनको दी जाय जो भूमिहीन हरिजन हैं, जिनके घर पर जमीन नहीं है और जिनके पास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई ठिकाना नहीं है। इन्होंने कुछ एलाटमेन्ट किये। माननीय गेंदासिंह जी बहुत बड़े समाजवादी हैं। उन्होंने भी उस एलाटमेन्ट को नहीं माना और कहा कि लेवरर्स को जमीन नहीं दी जायगी। जो काम चोर हैं उसको तो जमीन आप देंगे १० एकड़, २० एकड़ लेकिन जो मेहनत करने वाला है और जिनके बल पर उत्पादन संभव है उनको सवा तीन एकड़ ही देते हैं। मैं माननीय गेंदासिंह जी से निवेदन करूंगा कि लेबर को आप जमीन न दें और अगर देते हैं तो १० एकड़ से कम न दें। इस जमीन पर वह जिन्दगी आराम से बिता सकते हैं। यह ३। एकड़ जो आप दे रहे हैं इसको बन्द कर दें। मान्यवर, यहां से अधिकतम जोत सीमा का विधेयक पारित किया गया और उसको पास किये कई वर्ष हो चुके हैं लेकिन उस उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत आज भी हजारों एकड़ के वहां पर काश्तकार हैं। इन काश्तकारों से लेकर हरिजनों को १०, १० एकड़ जमीन वहां दी जाय। यह जो ३। एकड़ की बात है इसको बन्द करें। मैं सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि जिन लोगों के पास हजारों एकड़ भूमि है उन्होंने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इसलिये उनसे उस जमीन को लेकर हरिजनों को दिया जाय। मैं मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि १० एकड़ से कम जमीन लेबर को आप न दें क्योंकि लेबर की उन्नति उसी के ऊपर निर्भर करती है।

इस खेती के विषय में कुछ दूसरी बातों का जिक्र कर देना भी उचित समझता हूं। मेरा मंत्री जी से निवेदन यह है कि इस विभाग के अधिकारियों में भी कुछ परिवर्तन करने की कृपा करें तो ज्यादा अच्छा होगा और उससे खेती की पैदावार उन्नति हो सकती है। मान्यवर, कल हमारे कृषि मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कुछ सरकार की तारीफ की और अपनी तारीफ भी कर डाली कि हमने सब्जी बहुत ज्यादा पैदा करदी और आलू अधिक पैदा कर दिया जो सस्ता बिक रहा है। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आपको श्रेय नहीं है। यह किसानों ने शास्त्री जी के सन्देश के आधार पर किया है जो पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के युद्ध के समय उनको शास्त्री जी ने दिया था। इसी कारण काश्तकार ने अपने देश की रक्षा के लिये जुटकर सब्जी पैदा की और नाना प्रकार की सब्जी पैदा की। यह किसी मंत्री को इसका श्रेय नहीं है। यदि सरकार काश्तकारों को खाद सस्ता देती और सस्ते साधन काश्तकार को उपलब्ध कराती तो इसका श्रेय सरकार को हो सकता था लेकिन मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान जो खाद थोड़े दिन पहले १५ रुपये १७ पैसे में ५० किलोग्राम मिलता था वह अब उसको १८.५० रुपये में मिल रहा है। ३६ रुपये में जो अमोनियम सलफेट मिलता था अब वह ४०-५० रुपये का हो गया है। जहां से वह इसको प्राप्त करते हैं वहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है। यही नहीं जो स्टोर के इन्चार्ज हैं वह इसमें शामिल हैं इसमें विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। लखनऊ से १४ मील के फासले पर गुसाईगंज ब्लाक में धान की फसल अच्छी हुई थी। मैं वहां के बारे में कह सकता हूं कि वहां पर किसानों को बोने के लिये अच्छा बीज नहीं मिला। धान नम्बर ५२ का बीज वहां गया वह किसानों को नहीं मिल पाया। उसको ऊंचे भाव पर बेचा गया। उसमें से कुछ अधिकारियों के पास भी आया है। जहां तक मुझे जानकारी है निदेशक भी उसमें शामिल हैं। मैं इसको इसलिये समझता हूं कि ए० डी० ओ० अवस्थी जी का, जो वहां पर हैं, उनका तीन बार ट्रान्सफर किया लेकिन हमारे डाइरेक्टर साहब ने उसको रुकवा दिया। दो बार सन् १९६२ में रोका गया। एक महीने तक होरीलालसिंह नैनीताल से आकर रहे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया लेकिन वह एक महीना भी नहीं रह पाये कि इनको हटाकर उसी भ्रष्टाचारी अवस्थी को फिर वहां पर रखा। यह इस बात का प्रमाण है कि डाइरेक्टर इसमें शामिल हैं। और खाद में भी यही हो रहा है। मैंने गेंदा सिंह जी को एक चिटठी लिखी थी, शायद उनको मिली हो। मैंने लिखा था कि आप दौरा कर के देखिये कि जो कैल्सियम खाद का भाव १७

[श्री खयालीराम]

रुपये हैं आपके हिसाब से वह बाजार में २१, २२, २३ और २४ रुपये की बोरी बिकती है। मैंने लिखा था कि ऐसा क्यों हो रहा है इसे आप देखिये। जब एक ए० डी० ओ० को बहुत दिन तक एक ब्लाक में रोकना ही ठीक नहीं है तो फिर उसका ट्रान्सफर होने के बाद उसे रोकना कहां तक ठीक है? इसलिये मैं आपके द्वारा इस सरकार से और खास तौर से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करें जो सचमुच ही किसानों से सहानुभूति रखते हों और उनको कृषि का अनुभव हो।

*श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आपने इस विवाद में मुझे भी भाग लेने का मौका दिया। सर्व प्रथम मैं माननीय कृषि मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिये कि जब से उन्होंने इस विभाग को सम्हाला, किसानों की उनके प्रति आस्था बढ़ी है और किसानों में एक भरोसा हुआ है कि अब हमारा रहनुमा, हमारी मुसीबतों को दूर करेगा। मैं इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं कि काश्तकार के प्रति आपके दिल में जो दर्द है उस दर्द को केवल आप ही समझ सकते हैं या जो आप के प्रदेश का किसान है वह समझ पाता है। मान्यवर, हम लोग, जो इस सदन के सदस्य हैं, उनकी भी आपके प्रति आस्था बढ़ी है और हमारी एक उम्मीद बढ़ी कि आपके मंत्रित्वकाल में हमारे प्रदेश में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एक नया रेवोल्यूशन आयेगा।

मान्यवर, आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश में लगभग ७५ प्रतिशत लोग जो काम धंधा करते हैं वह खेती से संबंधित रहता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो कि सारे देश के अन्दर कृषि के मामले में अपना अलग स्थान रखता था, आज वह भी खाद्यान्न के मामले में दूसरे प्रदेशों या केन्द्र के ऊपर मुनहसिर है और उसके ऊपर एक बोझ बना हुआ है। मैं मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे उपाय जो इस सदन में माननीय सदस्यों द्वारा आपके समक्ष रखे गये हैं, ऐसे सुझाव जो आपके सामने माननीय सदस्यों द्वारा लाये गये हैं उन पर यदि आपकी सरकार अच्छी तरह से अमल करेगी तो निश्चित रूप से मैं ऐसा समझता हूं कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

मान्यवर, यह भी बड़े दुख की बात है कि सारे देश के अन्दर केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां की आय ६० प्रतिशत केवल खेती से आती है, जबकि सारे देश में इस प्रकार की आय का औसत ४८ प्रतिशत है। फिर कौन से ऐसे कारण हैं, कौन-सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण हम खाद्यान्न के मामले में स्वावलम्बी नहीं हो सके। इसके लिये आपको और आपकी सरकार को अवश्य ही कोई कारगर कदम उठाना चाहिये।

कृषि का जहां तक सम्बन्ध है, मैं मंत्री जी के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहूंगा इसलिये नहीं करना चाहूंगा कि आपके ऊपर वह सब विभागों की जिम्मेदारी नहीं है जो कि कृषि से सम्बन्धित हैं। क्योंकि कृषि को बढ़ाने या कृषि के डेवलपमेंट में अनेक फैक्टर्स हैं जो कि सहायक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इरिगेशन सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक इरिगेशन के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश उन्नति नहीं करेगा तब तक कृषि में हम पिछड़े रहेंगे। इसलिये इरिगेशन के साधन जुटाने में सरकार को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिये। हमारी ३–४ फसलें पानी के अभाव में बरबाद हो गयीं। कभी सूखा, कभी अनावृष्टि, कभी पानी कम मिला जिस से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके। एक किताब विभाग के द्वारा वितरित की गई है, "उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास"। उसके अनुसार कुछ फसलों को छोड़कर हर चीज में हर साल गिरावट ही हम पाते रहे। इसका कारण यह है कि कुछ बाधायें आ गई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं प्राकृतिक, उनसे हमें मुकाबला करना चाहिये और कृत्रिम साधनों की ओर ध्यान देना चाहिये। मेरा मंत्री जी से यह सुझाव है कि हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स हैं उनक. टेम कर लें, बांध बना दें ताकि वक्त जरूरत प्रकृति के साथ मुकाबिला कर सकें और पानी की सुविधा प्रदान करा सकें। पिछले जनरल बजट की बहस के अवसर पर मैंने सरकार का ध्यान दिलाया था कि गोला डैम नैनीताल जिले में जिसका प्रपोजल सरकार के सामने है, अगर उसे सरकार नहीं बतायेगी तो तराई भावर का इलाका १०-२० साल के अन्दर ऊसर हो जायगा और जो लक्ष्य रखा है किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का वह कभी पूरा नहीं हो पायेगा।

दूसरी बात मैं आपके जरिये से मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं, वह है जमींदारी अबालीशन के सिलसिले में। माननीय मंत्री जी, आपने जमींदारी अबालीशन इसलिये किया कि उससे किसानों को प्रोटेक्शन मिले, हक मिले, वह अपनी जमीन में ज्यादा से ज्यादा खुले दिल से बिना दबे हुये नये तरीकों से जमीन को जोते, बोयें और उस पर अच्छा उत्पादन करें। लेकिन मुझे खेद है कि सरकार की जमींदारी जो तराई-भावर में है जिसमें सरकार का खुद खास-एस्टेट के नाम से अपनी जमींदारी बनाये हुये हैं, उसे सरकार ने खत्म नहीं किया। सरकार ने जब दूसरी जमींदारी को खत्म किया वह बड़ा अच्छा काम किया, तो अपनी जमींदारी को भी समाप्त करके वहां के किसानों को उसे प्रोटेक्शन देना चाहिये ताकि वह पट्टेदार ही न रह जायं, बल्कि उनको भूमिधरी के राइट्स मिलें और जो ऋण की और अन्य सुविधायें जमींदारी अबालीशन में किसानों को प्राप्त हैं वह उनको भी उपलब्ध कर सकें और खेती में जो आपका लक्ष्य है उसमें आपकी मदद दे सकें।

मान्यवर, पर्वतीय भागों में उत्थान और विकास का जहां तक सम्बन्ध है वह भी इसी मंत्रालय के अधीन रखा गया है। कुछ दिनों पहले जब आप इस विभाग के मंत्री नहीं थे, शायद इसे इंडस्ट्रीज के अन्दर रखा गया था। मान्यवर, कृषि विभाग से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जहां से किसानों को पेड़ सप्लाई किये जाते हैं उससे मुझे शिकायत है। वह पेड़ जिस स्टैन्डर्ड के होने चाहिये, उस स्टेन्डर्ड के नहीं होते। जब वे पेड़ कुछ बड़े होते हैं और बेकार निकल जाते हैं तो किसानों को बड़ी निराशा हो जाती है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी इस ओर उचित ध्यान दें।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय कृषि मंत्री जी से किछा फैक्टरी के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वे उसे शीघ्र चलवाने की कृपा करें। वह कई वर्षों से पड़ी हुयी है, उसके बारे में कई लोग भी उनसे मिल चुके हैं, मैं भी कई बार उनसे मिला हूं। मंत्री जी इसके लिये प्रयास भी कर रहे हैं और केन्द्रीय मंत्री से भी वे बातचीत करने वाले हैं। मेरा यही निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आज हमारे प्रदेश की खाद्य स्थिति इतनी चिन्तनीय है कि उसके ऊपर सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। मान्यवर, आपने पढ़ा होगा कि इंगलैन्ड के प्रसिद्ध पेपर में भी एक खबर यह निकाली गयी कि आजकल हिन्दुस्तान में जैसा अकाल पड़ा है वैसा पिछले १०० सालों में कभी नहीं पड़ा। इसके लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के महा मंत्री श्री ऊथांट ने भी एक संयुक्त हस्ताक्षर से सभी देशों से अपील की है कि वे भारत की अन्न के सम्बन्ध में सहायता करें। ईसाई धर्म के सब से बड़े गुरु पोप ने भी धर्म के नाम पर इसी सम्बन्ध में अपनी अपील की है। आज १८ साल के बाद भी यह सब देख कर ऐसा लगता है कि इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिये और हो नहीं

[श्री ऊदल]

सकती। माननीय कृषि मंत्री जो ने किसी एक साल के लिये कहा कि पैदावार बढ़ी है। मैं उनके सामने अनाज की पैदावार के आंकड़े रखना चाहता हूं। १९०१ में फी एकड़ गेहूं की पैदावार १३.२ मन थी, वह १९६२ में घटकर ८.५ मन रह गयी, चावल की पैदावार १९०१ में प्रति एकड़ १०.४ मन थी, वह घट कर ६ मन रह गयी। इसी तरह जो कि पैदावार १४ मन से ९ मन रह गयी, चने की पैदावार ७.७५ से घटकर ६.२५ मन रह गयी। यह स्थिति आज तीन योजनाओं के पूर्ण होने के बाद की है। मैं नहीं समझता कि कैसे मंत्री जी कहते हैं कि पैदावार बढ़ी है।

मान्यवर, ९० करोड़ रुपया जो सिंचाई के ऊपर खर्च किया गया और उत्पादन केवल दो फीसदी से कम बढ़ा है। उन्नत बीज जिसका माननीय मंत्री जो ने जिक्र किया हमारे प्रदेश में कुल का १५ फीसदी है और ज्यादा से ज्यादा २० फीसदी की व्यवस्था है और उसमें भी बोगस और फाल्स और बाजार से खरीदकर बीज भंडारों में रखा जाता है। मैं चार्ज करता हूं माननीय मंत्री जी के ऊपर कि इतना रुपया खर्च करने के बाद आज हमारे यहां एक तिहाई जमीन की सिंचाई होती है। तीस फी सदी और ७० फी सदी जो जमीन है वह असिंचित है। यह हालत आज हमारे प्रदेश की है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, अगर आप गौर से देखें तो कृषि की पैदावार के लिये किन-किन चीजों की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी पूर्ति में कदम उठाया गया। रासायनिक खादों का प्रयोग आज दुनिया के तथा हमारे देश में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले इसका प्रयोग हुआ है दो पौंड से भी कम फी एकड़। तो पूरे देश के मुकाबले हमारे प्रदेश में सबसे कम उन्नत बीजों का मैंने जिक्र किया १५ फीसदी और उसमें भी फाल्स, बोगस, फर्जी बीज बाजारों से खरीद कर रखे जाते हैं। उन्नत विधियों का जहां तक सवाल है अब भी बाबा आदम के जमाने के बबूल के हल इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने ग्राम सेवक कितने ए० डी० ओ० या बी डी० ओ० ने उस हल की मुठिया को पकड़ने वाले हैं या पकड़ा है। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, कीटाणुनाशक अच्छी दवायें, कृषि सुधार के लिये अनुसंधान का प्रबन्ध, कर्ज देने के लिये प्रभावकारी कार्य और मंडियों का विकास, खाद्यान्न के भाव के विषय में अभी चिल्ला कर चौधरी साहब ने कहा कि लागत के बाद उसका मूल्य तय करना और भूमि के सम्बन्धों तथा उसकी मालगुजारी के सम्बन्ध में, अगर इन बातों को कसौटी पर जिनका उत्पादन से निकट का सम्बन्ध है, कृषि विभाग को देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कृषि विभाग अपने कार्य में फेल रहा है और यह केवल ढोल पीटाना मात्र है कि कृषि पैदावार आपके प्रयत्नों से बढ़ गई। यह भी उसी तरह से है जिस तरह से अधिक अन्न उपजाओ उत्पादन योजना का ढोल सन् ५६ से पीटा जा रहा था। ५४ से ६१ के बीच जितने सिंचाई के साधन थे, छोटे तालाब, बन्धियां और तालों को ले लें, एक लाख कच्चे या पक्के कुयें जो थे वे बेकार हुये और सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया जब कि वे सब बेकार हो गये और सब पट्टे पर उठा दिये गये। इसके बाद पिछले साल सरकार का ध्यान १८ साल के बाद अब जा रहा है कि अब कच्चे कुयें खोदे जायं और माइनर इरिगेशन की व्यवस्था की जाय। उसकी क्या हालत है। केवल ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है और हमारे इस सूबे में बैंकों द्वारा १८ सौ करोड़ रुपया उद्योगों में दिया जाता है। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये पिछले साल १० करोड़ था इस वर्ष उससे कुछ ज्यादा है। यह हालत है आपकी कृषि की।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार को इन सब सवालों पर सोचना चाहिये। अब हमारे देश में जो अन्न की आयात होती है यह साठ सत्तर लाख टन के करीब होती है। मैं यहां माननीय गेंदासिंह जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा केवल माननीय उग्रसेन बिल्ली नहीं पालते, मैंने कहा कि बिल्ली पालकर क्या करेंगे जब दूसरे के घर चली जायेगी वह चूहे तो नहीं खायेगी। आज हमें साठ सत्तर लाख टन की आवश्यकता है। (उपाध्यक्ष महोदय, तीन मिनट और दे दीजिये)। मान्यवर, हमारे प्रदेश में चूहों से, चिड़ियों से और ये जो कीड़े-मकोड़े हैं उनसे नुकसान होता है लेकिन आज तक कोई प्रभावकारी कदम इन कीड़े मकोड़ों

को मारने के लिये कृषि विभाग ने नहीं किया है। हमारे पूरे देश में ८ फीसदी अनाज की कमी है और अमेरिका से जो गल्ला आता है वह फी व्यक्ति १ नये पैसे का पड़ता है। १२९ लाख टन गल्ला देश में चूहे कीड़े मकोड़े नुकसान कर देते हैं। यदि प्रभावकारी कदम उठाकर इसे रोका जाय तो इस संकट से पार पाया जा सकता है। चूहे हमारे यहां दो अरब के करीब पैदा हो गये हैं, इनके प्रभावकारी ढंग से मारने के लिये सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है, आज सरकार के ऊपर अंग्रेजों की गुलामी की जहनीयत मौजूद है जिसे हमने ठोकर मारकर दूर किया। वही जहनीयत सरकार के दिल और दिमाग पर तथा सरकारी विभागों पर भी मौजूद है और उसके ऊपर अमरीका का भूत छाया हुआ है और इसी कारण कृषि की पैदावार बढ़ाने की तरफ उसका ध्यान नहीं है। हमारे सुब्रामनियम साहब शुद्ध रूप से अमरीका-परस्त हैं, इस पर इस सरकार को गौर करना चाहिये। इसका साफ प्रमाण यह है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के हमले के समय जब वह अमरीका गये तो वहां एक फर्टीलाइजर का समझौता उन्होंने किया। जिसमें २० साल तक के लिये उन कम्पनीज अपने मनचाहे भावों पर हिन्दुस्तान के किसानों को फर्टीलाइजर को छूट दी है। इसका नतीजा यह होगा हिन्दुस्तान का किसान उठ नहीं पायेगा और अमरीका का गुलाम हो जायगा। यह अमरीकी बीमारी सन् ५६ के बाद से आई० पी० एल० ४८० के रूप में आई। तब से लेकर हमारे देश में दसवां समझौता हुआ है और उसके मुताबिक हम रोजाना २०,००० टन के हिसाब से उनका गल्ला लेते हैं। मैं चेतावनी देता हूं कि अमरीका का यह गुलाम होने जा रहा है। इस आयात का फल यह हो रहा है कि अमरीका भारतीय मुद्रा के एक बड़े अंश का मालिक हो गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इन सब बातों को सोचे।

माननीय गेंदासिंह जी का एक बयान मैं ले आया हूं। कल उनसे जिक्र आया था। उन्होंने सन् ६२ में एक बयान दिया था कि १० साल में चीनी का मूल्य २७ रुपये मन से बढ़कर ४२ रुपये मन होगा किन्तु गन्ने का मूल्य उलटे कम हो गया है। हाटा देवरिया की बात उन्होंने कही है। चीनी एवं गन्ने के मूल्य के बारे में आपने कहा कि ५१–५२ में गन्ने का मूल्य पौने दो रुपया मन था और चीनी का मूल्य २७ रुपये मन था। आज चीनी ४२ रु० मन बेची जा रही है, फिर भी गन्ने का मूल्य डेढ़ या एक रुपया दस आने मन ही है। बेचारे किसानों की कमाई की मालिक सरकार और मिल मालिक बन बैठे हैं। गल्ले के मूल्य पर नियंत्रण है लेकिन मिल मालिक द्वारा उत्पादित माल पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह अन्धेरपूर्ण नीति है। इस कांग्रेस सरकार को निश्चित ही फेल होना है। वर्तमान समय में उसकी कर नीति ही उसके लिये घातक होगी। मालूम होता है कि कांग्रेस सरकार की अन्तिम घड़ी निकट आई है। जिस प्रकार तीन उड़ान में तीतर पकड़ा जाता है उसी प्रकार कांग्रेस की दशा आ रही है। तो अगर माननीय गेंदा सिंह जी की यह राय है कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है उनकी मेहनत और लागत का और वह सरकार और मिल मालिकों द्वारा लूटे जाते हैं, तो उसके लिये आपने सरकार में हो कर क्या किया ?

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त। (श्री बैजनाथसिंह वैद्य का नाम पुकारे जाने पर)।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो माननीय सदस्य हर बजट पर बोलें उन्हीं को आप अवसर दे रहे हैं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

आप उठकर चले जायेंगे और उपाध्यक्ष जी आपकी जगह पर आकर बैठ जावेंगे। जो नाम उनकी लिस्ट में हैं वही आपकी लिस्ट में हैं। तो क्या किसान कार्य-कर्त्ताओं को भी कुछ मौका मिल सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप दोनों माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। आपको भी अवसर मिलेगा।

*श्री बैजनाथसिंहवैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों के लिये माननीय मंत्री जी और उनके उपमंत्री जी को हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही उनके विभाग को भी देता हूं कि उसने दत्त-चित्त हो कर कार्य किया और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नियत सही है, अगर हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि पैदावार बढावें और उसके लिये हम अपने सीमित साधनों का इस्तेमाल करें, तो फिर भावनात्मक भाषणों से काम नहीं चलेगा। अगर हम सारी दुनिया के नक्शे में एक ही गांव को देखने की कोशिश करें तो कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। जैसा ऊदल जी ने कहा कि दुनिया के लोगों ने कह दिया 'पादरियों ने कह दिया' कि हिन्दुस्तान में भुखमरी आ गई है, यह कभी भी नहीं हो सकता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी ज्यादा व कभी कम, कभी आराम और कभी तकलीफ, यह हमेशा हुआ है और होता रहेगा। अगर आप इस ढंग से विचार करें कि खेती के मुख्य साधन क्या हैं और सरकार उनको उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय कर रही है तो आपको कोई शर्म नहीं आवेगी और न आप भावनाओं में बहेंगे और इलेक्शन की स्पीच आप शुरू कर देंगे।

आप जानते हैं कि खेती ५ चीजों पर आधारित है, जमीन, पानी, औजार, खाद और बीज। अगर ये ५ वस्तुएं किसान के पास हैं तो कोई कारण नहीं है कि खेती की पैदावार न बढ़े। कांग्रेस सरकार को सबसे पहले तो हम इस बात पर ही बधाई देंगे कि उसने जमीन का मालिक किसानों को बना दिया है। आज उसके दिमाग से यह भय खत्म हो गया कि जमीन उसकी नहीं है। श्रीमन्, जमींदारी के जमाने में किसान एक साल खेत को जोतता था दूसरे साल उससे वह छीन लिया जाता था। अब वह जमीन के मामले में निश्चित हो गया है। अगर उसको पानी, औजार और बीज मिल जाते हैं तो उसकी सारी कठिनाई दूर हो जायेगी। हमारे माननीय मंत्री जी ने थोड़े दिनों में ही बहुत ज्यादा प्रयत्न किया है। आज कलेक्टरों से बातचीत कीजिये। सब परेशान हैं, गांव गांव दौड़ रहे हैं और कुयें बनवा रहे हैं। सरकार खेत-खेत पर कुयें बनवा कर किसानों को पानी की सुविधा पहुंचाना चाहती है। अब किसान नहर और ट्यूबवेलों के आश्रित नहीं रहेगा। इससे यह साफ सिद्ध हो जाता है कि विभाग की नीयत खराब नहीं है। लेकिन यह बात जरूर है कि किसानों को तकावी और रुपया मिलने में असुविधा जरूर होती है। उसके लिये किसान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है। वही पुराना तरीका है। लेखपाल रिपोर्ट दे, कानूनगो के पास जाओ, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ० के पास जाओ। यह सब खुराफात उसको अनुदान के मिलने में होती है। कहीं कहीं लेन देन की बात भी आ जाती है, ऐसे बेईमान अधिकारी भी होते हैं। माननीय मंत्री जी जिलाधीश को आर्डर कर दें और वह जिले के स्थान पर जाकर अपने सामने उस रुपये को बटवा दें अगर ऐसा हो गया तो ६ महीने में सारे कुयें बन जायेंगे। माननीय मंत्री जी स्वयं किसान हैं, उन्होंने हल चलाया है, कुदाल चलाई है, फावड़ा चलाया है, अपने जानवरों को भूसा घास भी खिलाया होगा, उनको अमेरिका और रूस की बातें कह कर बहकाया नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसा ड्राइव मंत्री जी चलायें कि ६ महीने के अन्दर सारे कुयें तैयार हो जायं, प्रत्येक किसान के जमीन में कुआं हो। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको पी० एल० ४८० की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, बाहरी गेहूं की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। जितना रुपया आप पी० एल० ४८० पर खर्च करते हैं उसमें जो उत्तर प्रदेश का भाग आता है उतना आप कुओं पर खर्च करके किसानों को सिंचाई का साधन दे दीजिये, आप अन्न की समस्या को हल कर देंगे। हम कभी भुक्खड़ नहीं हो सकते हैं अगर हमारी असुविधायें दूर हो जायं। हमें उधर के आंकड़े सुनकर ताज्जुब हुआ, पता नहीं वह यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

आंकड़े कहां से ले आये। हमारे पास भी यह बहुत से आंकड़े मौजूद हैं जो अधिकारपूर्ण आंकड़े हैं। चावल की पैदावार सन् ५०–५१ में १९.६७ लाख टन थी और वह बढ़कर ६४–६५ में ३२.७१ लाख टन हो गई। कितना फर्क हो गया यह आप देखें। अब गेहूं का सुनिये। सन् ५०–५१ में २६.७८ लाख टन पैदावार थी और वह ६५–६६ में बढ़कर ४४.५३ लाख टन हो गई।

(श्री शारदानन्द का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)––

श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इस अनुदान पर अभी काफी सदस्य बोलने वाले हैं। इससे पहले एक बार माननीय उपाध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि यदि लोग अपने भाषण लिख कर भी दे देंगे तो उसको प्रोसीडिंग का भाग बना दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता––

आप चिन्ता न करें, अभी उपाध्यक्ष महोदय आ रहे हैं। आप उन्हीं के सामने यह मामला पेश करें।

*श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)––

जो कटौती का प्रस्ताव कृषि अनुदान के सम्बन्ध में पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। आपके माध्यम से मैं माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में ७५ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं ....

(इस समय २ बजकर ३१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुये।)

श्री मैनेजरसिंह––

श्रीमन्, अभी आपके आने से पहले हमने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उस पर माननीय अधिष्ठाता ने कहा कि वह आपके सामने उठाया जाय। मैं आपकी व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि आज इस कृषि के अनुदान पर बहुत से हमारे माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, ऐसी हालत में एक बार आपने विशेष कृपा करके व्यवस्था दी थी कि चूंकि ज्यादा लोग अभी बोलना चाहते हैं इसलिये सदस्यगण चाहें तो लिखित दे दें और वह कार्यवाही में शामिल कर दिया जायगा। क्या आप कृपा कर ऐसी ही कृपा अब भी कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष––

ऐसा लोक सभा में हुआ था और वह ऐसी चीजों के बारे में था कि सब अपने अपने यहां की सड़कें, नहरें या रेलवे के बारे में लिख कर दे दें, वह सब चीजों के बारे में नहीं था, वह रेलवे के बारे में था। कृषि उसमें नहीं है।

श्री शारदानन्द––

मैं यह कह रहा था कि हमारे सूबे में ७५ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं। आज लगभग १८ वर्ष बीत गये लेकिन हम जहां पर थे वहीं पर हैं, हमारी खेती की उपज में किसी तरह की कोई उन्नति नहीं हुई, जिसका नतीजा यह है कि आज हम दूसरे देशों में भुक्खड़ के नाम से पुकारे जाते हैं। आज मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदानन्द]

आज सरकार की धारणा बन गयी है कि उत्तर प्रदेश का जो किसान है वह आज मालामाल है, उसकी माली हालत बहुत अच्छी है, इसलिए उसके ऊपर तरह तरह का बोझा डाला जा रहा है। यहां पर कुछ दिन पूर्व, एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा था कि आज किसान के पास अधिक पैसा है। उन्होंने यह भी एक बात कही थी कि आज उसके पास साइकिल हो गयी है, पक्के मकान हो गये हैं। इससे पता लगता है कि उसके पास अधिक पैसा है। आज मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर इतना बोझा है कि उसके पास अपने बैल नहीं हैं, अपनी जमीन नहीं है, उसके पास अपना पानी नहीं है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं और मैं जानता हूं कि सरकार यह जवाब देगी कि इन सब चीजों का प्रबन्ध किसान के लिए किया गया है। वे कहेंगे कि हमने ब्लाकों के जरिये से यह सुविधा किसानों को दे रखी है। वह वहां से बैल के लिए तकावी ले सकता है, खाद के लिए रुपया ले सकता है, पानी की सुविधा के लिए पैसा ले सकते हैं। आज खेती के लिए जो अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनका हमने प्रबन्ध कर दिया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब तक किसानों के पास अपनी पूंजी नहीं होगी, तब तक किसान अपनी पैदावार को नहीं बढ़ा सकता है। जब अंग्रेजों का समय था तो किसानों को गांव के महाजन का कर्जा देते थे और वे उनके कर्जदार रहते थे। आज गांवों के किसान उन महाजनों के स्थान पर सरकार के कर्जदार बनते जा रहे हैं। तो जब तक यह किसान की स्थिति, रहेगी, उसके पास इन सब कामों के लिए पैसा नहीं होगा तब तक वह खेती में कोई उन्नति नहीं कर सकता है, यह मेरी स्वयं की निश्चित राय है। आज प्रदेश के किसानों की दशा क्या है। आज प्रदेश का कौन ऐसा किसान होगा जो यह नहीं चाहेगा कि हम उन्नति न करें, अपनी खेती की पैदावार न बढ़ावें। आज सभी उन्नति करना चाहते हैं।

यह देखते हुए कि किसान कोई उन्नति नहीं कर पा रहा है यही अनुमान लगता है कि उसका एक कारण सरकार की अनिश्चित नीति, कृषि के विषय में भी है। किसानों के पास यद्यपि अपनी भूमि हो गयी है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसे यह विश्वास नहीं कि उसके जो खेत हैं, वे उसके पास रहेंगे अथवा नहीं। सरकार कभी कहती है कि हम कोआपरेटिव फार्मिग चलायेंगे, कभी किसी प्रकार का स्लोगन देती है तो जो बातें आप किसानों के सामने रखते हैं, उसमें एक अनिश्चितता पैदा हो गयी है। वे नहीं समझते हैं कि उसकी खेती महफूज है अथवा नहीं। आज कोआपरेटिव के जरिए से लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि उनको लालच देकर फंसाया जा रहा है। आज उन्हें कहीं-कहीं पर यह कहा जा रहा है कि तुम्हें सब प्रकार की सुविधायें मिलेंगी यदि तुम कोआपरेटिव फार्मिग करोगे। इस सम्बन्ध में मैं एक राय देना चाहता हूं कि अगर उनको (सरकार को) इस प्रकार के प्रयोग करने ही हों तो यह प्रयोग उस समय किया जाय जब कि हम अपने खेतों से अधिक अन्न पैदा करने लगेंगे। या जो सरकार के पास जमीन है वे अपने साधनों से जहां पर खेती करवाते हैं, वहां पर इस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। पर मैंने जो आंकड़े देखे, मैंने जो किताबें देखी हैं, जहां कहीं भी सरकारी खेती होती है, उसमें वे सब जगह असफल रहे हैं। तो आज यह अनिश्चितता किसान के मन में पैदा है जिसके कारण वह आज खेती में लग नहीं पा रहा है, बल्कि आज वह नौकरी के लिये शहरों की तरफ भाग रहा है।

आज खेती के लिये ३, ४ चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। सबसे पहले तो पानी होना चाहिये। यहां पर कई साल से मैं देखता आया कि यह मांग की गई है कि कृषि और सिंचाई के विभाग एक ही मंत्री के अधीन हों। पर आज ऐसा नहीं है जिसके कारण आज किसान को समय से पानी नहीं मिल पा रहा है और अगर मिलता भी है तो काफी महंगा मिलता है। अंग्रेजों के समय में सिंचाई की दर आज से बहुत कम थी। इसलिये आज किसान पानी नहीं ले सकता, और अगर कोई लेना भी चाहे तो उसको समय से पानी नहीं मिल रहा है। आज नहरों की लम्बाई तो बढ़ा दी गई है लेकिन उनसे पानी उचित मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनकी

तरफ आप को ध्यान देना चाहिये भले ही वह विभाग आपके पास न हो। आज हमारे पास उन्नत बीज नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि काश्तकार को बीज कातिक में चाहिये लेकिन समय पर उसको नहीं मिलता। उसके पास इतना पैसा नहीं जो बीज बाजार से लेकर अपनी खेती में लगाये। बीज गोदामों से उसको बीज नहीं मिलता। अगर मिलता है तो जिसकी पहुंच है उसको अच्छा मिल जाता है, गरीब को नहीं मिलता है। और समय से नहीं मिलता है। मैं अपने ब्लाक की बात बताता हूं, सीतापुर जिले में अहिया ब्लाक है कातिक में बीज चाहिये लेकिन वह अगहन में मिलता है। खाद जो आप दे रहे हैं वह काफी महंगी है और उस पर तीन जगह टैक्स लगता है जिससे उसके दाम बढ़ जाते हैं जो काश्तकार की पहुंच के बाहर हो जाते है। कैसे इतनी महंगी खाद को काश्तकार इस्तेमाल कर सकता है और अगर करता है तो उसके उत्पादन का दाम उसकी लागत और खर्चे से कम पड़ता है इसलिये वह खाद का इस्तेमाल नहीं करता। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन में खड़े होकर घोषणा करें कि हम अपने प्रदेश को दूसरे के आश्रित नहीं होने देंगे। एक सुझाव देना चाहता हूं कि हम सब मिल कर इस प्रकार का ड्राइव चलायें कि सारे देश के गांव-गांव में पहुंच करके किसान की जो हालत है उसको देखें और उसके अनुसार सब मिल कर के प्रयत्न करें ताकि हम इस मुसीबत से छुटकारा पा सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

चूंकि बोलने वाले सदस्य बहुत हैं इसलिये मेरी राय है कि ५, ५ मिनट का समय कर दिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा यह निश्चित मत है कि सदन का समय आज दो घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

साढ़े ६ बजे आज एक फंक्शन है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य के लिये ७ मिनट का समय काफी रहेगा।

श्री महेशसिंह (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष महोदय, कल कृषि मंत्री जी ने सदन में यह घोषणा की थी कि यदि कोई भी भारतवर्ष में खाद्यान्नों में आत्म निर्भर होगा तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा नहीं रहेगा। अगर गौर से देखा जाय तो उनके कथन की पुष्टि हो जाती है क्योंकि हमारे प्रदेश में काफी साधन उपलब्ध हैं और निश्चित ही हम अपने प्रदेश को अगले ५ सालों में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आप देखें जितनी उपजाऊ भूमि हमारे प्रदेश में है, जैसी जलवायु हमारे प्रदेश में है उसको देखते हुए हम खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ा सकते हैं लेकिन एक कमी पर हमको प्रयास करना है। योजनागत जो काम हुए हैं उनको गौर से देखें तो यह बात साफ नजर आती है कि १५ प्रतिशत से अधिक किसान उससे लाभान्वित नहीं हुआ है और ८५ प्रतिशत किसान उसके प्रभाव से अछूता रह गया है। कल कुछ आंकड़े मंत्री जी ने पेश किये विशेष कर साग सब्जी के और उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आप देखें कि २ करोड़ ७० लाख पौधे बांटे गये। प्रदेश में १ करोड़ किसान परिवार रहता है। अगर ३, ३ मिर्च और १ मूली हर एक को दे दें तो क्या उससे होने वाला है? फिर जो पौधे बांटे गये क्या वे सीधे देहातों में किसानों तक पहुंचे भी?

इंडियन कौंसिल आफ एग्रिकल्चरल रिसर्च की तरफ से जांच की गयी, कितना फर्टिजाइजर किसान लेता है और किसकी सलाह से लेता है? सारे देश में ३ जिले छांटे गये और उनमें बाराबंकी जिला एक था। वहां कमेटी के सामने बतलाया गया कि ९ प्रतिशत फर्टिलाइजर

[श्री महेशसिंह]

किसानों के लिये, वह भी सामुदायिक विकास योजनाओं के कर्मचारियों की सलाह पर और बाकी ने अन्य की राय से लिया। लिहाजा बड़े भारी प्रयास की जरूरत है तभी खेती में हम आत्म निर्भर हो सकते हैं और मेरी समझ में इसके लिये जितनी सरगर्मी बढ़नी चाहिये उतनी नहीं बढ़ी है। ३० लाख एकड़ भूमि अपवे प्रदेश में वाटर लाग्ड है। फ्लड कंट्रोल के लिए बहुत सा रुपया दिया लेकिन किस काम में वह खर्च हो रहा है? लखनऊ में २ करोड़ रुपया उसे फ्लड से बचाने के लिये खर्च किया जा रहा है जहां पर २० साल में एक दफा फ्लड आया। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और यह बात समझ में नहीं आ सकी कि फ्लड कंट्रोल का रुपया लखनऊ बचाने के लिये खर्च किया जाय।

कृषि विभाग के अन्दर २०० बड़ी स्कीमें हैं और बहुत सी छोटी मोटी हैं। लेकिन हम जो भी स्कीम लेते हैं उस पर ठीक तरह से काम नहीं होता है। एक पैकिंग स्कीम अलीगढ़ में चल रही है। उसने भी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है, अभी केन्द्रीय सरकार की एक रिपोर्ट छपी थी उसमें कहा गया था कि इसमें प्रोग्रेस बहुत कम हो रही है और जो काम हम आगे बढ़ाने वाले थे वह पूरा नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है कि जो नमूना बनाने वाला काम था उसमें हम पिछड़ रहे हैं।

मैं एक आध उदाहरण देना चाहता हूं जैसे आलू का मामला है। जब हमारे ऊपर कोई आपदा आती है तभी हम ध्यान देते हैं। पहले से तैयार नहीं होते हैं। प्लानिंग का काम है कि हमें कि पहले से तैयार होना चाहिये। सरकार को पहले से तैयार होना चाहिये और योजनायें बनानी चाहिये। जैसे हरिजनों के लिये इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई है उसी तरह से हरिजनों के लिये फार्म्स भी बनाये जायें और लोगों को सुविधायें दी जायं।

पशुओं की संख्या इस प्रदेश में काफी है। अन्य देशों में पशु या तो भोजन के काम आते हैं या दूध के काम आते हैं। लेकिन यहां पर पशु हम लोगों को खाने जा रहे हैं। पांच साल में इनके लिये चारा पैदा करने तक की जगह नहीं रह जावेगी और न ही हम उनका पेट भर सकते हैं। इस ओर सरकार को कदम उठाना चाहिये और पशुओं की जनसंख्या को भी कम किया जाये। केवल अच्छे और दूध देने वाले जानवर ही रहने चाहिये। काम लायक जानवर रखे जायं और रद्दी जानवरों को खत्म कर दिया जाय।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मेरा खयाल किया। मान्यवर, हमारे प्रदेश की आबादी में से ८० प्रतिशत देहात में रहती है जो खेती पर निर्भर करती है या खेती से संबंधित रोजगार पर निर्भर करती है। लेकिन यह अंग्रेजों के जमाने में भी तिरस्कृत तथा उपेक्षित रहे और हमारे कांग्रेसी शासन में भी इसका तिरस्कार और उपेक्षा की गयी है। अगर पाकिस्तान के हमले के समय अमरीका गेहूं के देने में आनाकानी न करता और सहूलियत मिलती रहती तो सरकार का ध्यान इधर न जाता। लेकिन खुशी की बात है कि अमरीका के इस रवैये से सरकार की आंखें खुल गईं और सोचा कि हमें अपनी कृषि की उन्नति करनी चाहिये। दूसरे देशों पर खाद्य के मामले में निर्भर नहीं रह सकते हैं और कभी हमें धोखा पड़ सकता है। लेकिन लेक्चरों के देने से कोई सुधार नहीं हो सकता है। इसमें बेसिक परिवर्तन होना चाहिये। जैसे उद्योग धंधों के लिये सरकार सहूलियत देती है उसी तरह से किसानों को भी सहूलियत देनी होगी। मेरी एक मंत्री जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसान के ऊपर जितना बोझा डाला जायेगा उतनी ही ज्यादा मेहनत के साथ किसान अपने खेत पर काम करके पैदावार बढ़ायेगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ ऐसा उनका खयाल है कि जितना किसान पर बोझा डाला जायगा उतनी ही ज्यादा किसान मेहनत करेगा और उतनी ही पैदावार बढ़ जावेगी। उनका खयाल है कि खेती के धंधे में कोई पैसे वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ मेहनत कर देने ही से खेती का धन्धा अपने आप हो जाता है। मिल मालिकों के ऊपर सरकार के करोड़ों और लाखों रुपये सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और बिजली टैक्स के रूप में बाकी पड़े रहते हैं, फिर भी सरकार उनको २-३ और डेढ़

रुपये सैकड़े ब्याज पर रुपया उधार देती है और हमारी सरकार खेती-बारी करने वालों पर, प्रदेश के निवासियों की जिन्दगी मुनहसिर करती है, सवाई लगान बढ़ा दिया है, आबपाशी की दर बराबर बढ़ाती जाती है तथा गन्ने की सिंचाई दर को भी बढ़ा दिया है। साथ ही किसानों के मुकाबले बड़े-बड़े पूंजीपतियों को सस्ते दर पर लोन देती जाती है और फिर यह कोशिश की जाती है कि इस तरह से किसान अपने धंधे को ज्यादा से ज्यादा अपनावे और उत्पादन बढ़ावे। मैं जानता हूं कि तमाम रुपया देने से और किसानों के ऊपर कर्जा लाद देने से ही खेती की तरक्की नहीं हो सकती है जब तक कि किसान के दिल व दिमाग से कर्ज का भार अलग नहीं होता है न तब तक वह खेती के काम में अपना मन नहीं लगा सकता है। हमारे प्रदेश में इस वक्त किसानों के पास जो साधन हैं और जो टेक्निकल और पुराना तरीका वह खेती करने का जानता है उनके रहते हुए अगर एक बार केवल पानी का अच्छी तरह इन्तजाम कर दिया जाय तो जो कमी हमारे देश या प्रदेश में अन्न के सिलसिले में है, वह हो ही नहीं सकती। अगर पानी का अच्छी तरह से इन्तजाम हो जाय तो किसान के पास जो भी खेती करने के तरीके हैं, उन तरीकों से ही वह खेती की पैदावार को बढ़ा सकता है, इसमें कोई शक व शुबहा की बात नहीं है। परन्तु पानी के इन्तजाम के साथ ही साथ हर माननीय सदस्य जानता है और सरकार भी जानती है कि अधिक उपज के सिलसिले में खेती के लिये मजबूत गाय, बैल, भैंस और भैंसा का होना भी बहुत जरूरी है। उसके लिये बैल और भैंसों की बहुत मजबूत होना चाहिये। सरकार उस सिलसिले में कुछ काम कर रही है?

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के सौजन्य से मुझे गंजरिया फार्म देखने का मौका मिला और जब मैंने वहां के जानवरों को देखा तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई। इसके पहले माधुरी कुंड फार्म के जानवरों को मैंने देखा तो उनको देख कर मुझे बड़ी निराशा हुई। गंजरिया फार्म के अधिकारियों से बातचीत करने से मुझे मालूम हुआ कि यहां से जो दूध निकलता है वह कोआपरेटिव सोसाइटी को दे दिया जाता है और जो हम लोगो को ९६ पैसे लीटर के हिसाब से दारुलशफा और रायल होटल में सप्लाई किया जाता है। कोआपरेटिव सोसाइटी को वहां से ८१ पैसे लीटर के हिसाब से दूध मिलता है और इस तरह से कोआपरेटिव सोसाइटी बीच में १५ पैसे लीटर के हिसाब से मुनाफा कमा लेती है। बतलाया गया कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, डिस्ट्रिब्यूशन और तमाम इस्टेबिलशमेंट आदि में १० पैसे लीटर के हिसाब से खर्चा निकाल लें तो भी ५ पैसे लीटर के हिसाब से सरकार को ४०-४५ हजार रुपये अधिक की आमदनी हो सकती है। माननीय मंत्री को चाहिये कि वह इस पर ध्यान दें।

एक बात मैं अपने जिले की कह देना चाहता हूं कि मेरे जिले के एक किसान को सन् १९५९ में धान की अधिक फसल पैदा करने के लिये १०० रुपये का इनाम मिला और इस सम्बन्ध में मैंने बराबर लिखा पढ़ी की लेकिन आज तक उसे वह इनाम का रुपया नहीं मिला। सर्टिफिकेट उसके पास मौजूद है और इस सम्बन्ध में मैंने जिला अधिकारी, डाइरेक्टर और असिस्टेंट डाइरेक्टर को पत्र लिखा लेकिन वहां से कोई जवाब तक नहीं आया। ७ वर्ष हो गये लेकिन अभी तक उसको वह इनाम का रुपया नहीं मिल सका है, मैं सम्बन्धित कागजात माननीय मंत्री जी के पास भेज दूंगा, वे इसे देख लेंगे और आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

(श्री बलदेवसिंह आर्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जे० पी० मिश्र—

आप हम लोगों को मौका दीजिये तब गवर्नमेंट को बुलाइये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये। एक बात मैं आपको बता दूं कि जिनको एक दफा भी टाइम नहीं मिला है उनको मैं पहले टाइम दूंगा।

श्री जे० पी० मिश्र—

आप दो घंटे का समय बढ़ा दें लेकिन हमें समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। टाइम बरबाद न कीजिये।

श्री जे० पी० मिश्र—

१०, १० मेम्बर, १०, १० बार बोल चुके हैं इसी सदन में, उसका नाम बारबार पुकारा जाता है और बुलवाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं तो बैठ ही जाऊंगा लेकिन यह उचित नहीं है।

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

कृषि सम्बन्धी इन अनुदानों पर सदन में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और बड़े ठोस सुझाव दिये हैं और कुछ रचनात्मक आलोचनायें भी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हमारे प्रदेश के सामने है वह अन्न अधिक पैदा करने का है। प्रदेश का कोई भी व्यक्ति इससे इन्कार नहीं कर सकता कि हमें अपने प्रदेश में इतना अन्न पैदा करना चाहिये जिससे कि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। हमारे यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमारे देहात के भाइयों में एक यह सबसे बड़ा दोष है कि वे पुराने खयालों में पड़े हुये हैं ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि उनकी विचाराधारा बदल नहीं रही है, किन्तु अभी तक भाग्य के सहारे बहुत सारे लोग जिन्दा रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे इधर और सामने बैठने वाले भाई भी जानते हैं वह उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन करने का है। जो कृषि के नये आधुनिक तरीके हैं उनको वे सीखें और उनको अपनाने की कोशिश करें। अगर वे इन नये तरीकों को अपना लें तो निश्चित रूप से उनको कृषि की तरक्की में सफलता मिलेगी और हमारे प्रदेश में अन्न ज्यादा पैदा होगा।

अधिकांश माननीय सदस्यों को शिकायत है कि तीसरी योजना भी समाप्त होने को है परन्तु अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो इतना नहीं जो प्रदेश की जनता के लिये पूरा हो सके। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हम मैक्सिमम और मिनिमम को ले लें। पहली योजना में मैक्सिमम ३०.६९ टन गल्ला और मिनिमम १०७.७ टन, दूसरी योजना में १११.८२ टन मिनिमम और मैक्सिमम १४२.५७ तथा तीसरी योजना में ११६.०९ टन मिनिमम, और १५०.३८ टन मैक्सिमम गल्ला हमने पैदा किया है। तो पहले, दूसरे और तीसरे प्लान्स में मैक्सिमम और मिनिमम को आप देखें तो दोनों में हम आगे बढ़े हैं। और साथ ही यह भी देखिये कि जब प्रदेश के किसानों ने नयी विधियों को अपनाना आरम्भ किया है तो निश्चय रूप से उनको सफलता मिली है। हमारे प्रदेश में जिले के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर फसलों की प्रतियोगिता होती है। जिन किसानों ने आज के वैज्ञानिक तरीकों को स्वीकार कर लिया है और अपने खेतों में उनका प्रयोग किया है निश्चय ही उनको अधिक अन्न पैदा करने में कामयाबी मिली है। हमारे यहां जो किसान फसल प्रतियोगिता में प्रदेश के स्तर पर शामिल हुये उन्होंने गेहूं की पैदावार में ४५ मन ६ सेर से ७८ मन ६ सेर तक प्रति एकड़ पैदा किया। इसी तरह से जौ ४६ मन २० सेर से ७० मन १९ सेर प्रति एकड़ पैदा किया। इसी तरीके धान ५९ मन २० सेर से ९६ मन ६ सेर

तक प्रति एकड़ पैदा किया। इसी प्रकार से मटर ४१ मन ३७ सेर से ८२ मन १७ सेर तक प्रति एकड़ पैदा किया है। इस आंकड़े से स्पष्ट है कि जिन्होंने कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के बताये हुये तरीकों को अपनाया है और उनके मुताबिक अपने खेतों में कृषि का काम किया है उनको निश्चय ही कामयाबी मिली है। अब में आपके सामने प्रति एकड़ के आंकड़े पैदावार के रखना चाहता हूं। हम इस तरीके से अपने खेतों की पैदावार को बढ़ाने की किसानों से कोशिश करा रहे हैं। १९५०-५१ में गेहूं की पैदावार ८.६१ मन प्रति एकड़ था जो सन् १९६४-६५ में ११.३१ मन प्रति एकड़ हो गया। इसी तरह से धान की पैदावार १९५१-५२ में ५.२७ मन प्रति एकड़ थी, जो १९६४-६५ में ८.०७ मन प्रति एकड़ हो गई। इसी तरह से चने की पैदावार १९५०-६१ में ६.४६ मन प्रति एकड़ थी जो १९६४-६५ में ७.९५ मन प्रति एकड़ हो गई। इस तरह से यह पैदावार बढ़ती गई।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

यह जो आप आंकड़े दे रहे हैं यह इस किताब से नहीं हैं जो यहां पर बांटी गई है। इसमें तो प्रति एकड़ घटी बताई गई है। इसके आंकड़े में और जो आप दे रहे हैं इसमें फर्क है। तो हम कौन से आंकड़े सही मानें?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैं जो आंकड़े पेश कर रहा हूं, अगर माननीय सदस्य गौर से देखें तो मैं १९६४-६५ के आंकड़े पेश कर रहा हूं। और शायद माननीय सदस्य को इन आंकड़ों से भ्रम हो गया है।

श्री रियासत हुसैन—

इन्होंने ५०-५१ के भी आंकड़े पेश किए और ५०-५१ में ७३१ पौण्ड गेहूं है और ६२-६३ में ७०४ पौण्ड हुआ है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जब आपको मौका मिले तो आप अपनी बात कह लीजिएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को शिकायत है कि पैदावार ज्यादा क्यों नहीं बढ़ रही है। कल भानु प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि सरकार मौसम की खराबी का बहाना लेकर आरोप से बचना चाहती है। ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश में मोटे तौर से लगभग ७० प्रतिशत जमीन ऐसी है जो असिंचित है, जिस को पानी की आवश्यकता है। तो अगर समय पर बारिश न हो, समय पर धूप न हो और प्रकृति साथ न दे तो फिर किसान की मेहनत करने के बाद भी पैदावार बढ़ेगी कैसे? सरकार की ओर से कुएं, ट्यूबवेल, रहट आदि बना कर इन्तजाम किया जा रहा है कि किसानों के लिए अधिक पानी की व्यवस्था हो, लेकिन जो सब से बड़ा सवाल सरकार के सामने है वह यह है कि जब तक हमारे पास इतने साधन उपलब्ध न हों जिन के जरिए हम सारे किसानों की जरूरत को पूरा कर सकें तब तक यह सम्भव नहीं है कि ७० प्रतिशत भूमि को जो पानी की आवश्यकता है, उसे हम पूरा कर सकें। और उसे हम सघन खेती में बदल सकें। यह कहा गया कि बीज अच्छे किस्म का नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

यह हमारी इधर के बैठने वालों की जिम्मेदारी है कि इतनी भूमि असिंचित पड़ी है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे किस्म का बीज किसानों तक पहुंचाने के लिए पूरी-पूरी कोशिश सरकार कर रही है। जो अधिक यील्ड देने वाले बीज हैं मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। अच्छे किस्म का धान हम ४.५ लाख एकड़ में बोने का विचार रखते हैं, गेहूं ४ लाख एकड़ में बोने का विचार है, यह गेहूं मैक्सिको, सोनारा आदि का है। हाई ब्रीड ज्वार १०,००० एकड़ में बोने का प्रोग्राम है, हाई ब्रीड बाजरा ७५ हजार एकड़ में और हाई ब्रीड मेज एक लाख एकड़ में और ल्पस मेज टाइप, ४१·०२ लाख एकड़ में बोने का विचार है। इसी प्रकार से ११ लाख ३५ हजार एकड़ में अच्छे किस्म का धान और गेहूं बोने का विचार है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या आप के पास इतना शुद्ध बीज भी है?

श्री दलदेवसिंह आर्य—

है और इसीलिए यह पढ़ कर सुना रहा हूं। हमारे प्रदेश में धीरे-धीरे दो फसली क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इससे भी हमारे अन्न के उत्पादन में प्रगति हो रही है। सन् ५०–५१ में हमारे पास ९०,१८,५४२ एकड़ दो फसली जमीन थी जो ६४–६५ में बढ़ कर १,१९,५२,२४६ एकड़ हो गयी। इस तरह से २९,३३,७०४ एकड़ अधिक भूमि में दो फसली का क्षेत्र बढ़ा है जिसमें किसान अधिक अन्न पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यह कहा गया कि सरकार के १९९ फार्म हैं। सन् ६१–६२ में ४४ ऐसे थे जो मुनाफे पर चल रहे थे। सन् ६३–६४ में उनकी तादाद बढ़कर ८३ हो गयी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

इनके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्रियों के लिए तो नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)

जिन्होंने कटमोशन पेश किया उन्होंने ४५ मिनट ले लिए।

श्री बलवानसिंह—

एक घंटा समय बढ़ा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

जो नियम लोक सभा में हैं वह तो मानने पड़ेंगे। १० आदमी खड़े होंगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। पहले बलदेवसिंह जी का स्पीच खत्म हो जाय।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैं जल्दी समाप्त करूंगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप लोग बीच में न बोलिए।

श्री बलदेवसिंह आर्य––

मैं निवेदन कर रहा था कि सरकारी फार्मों में नुकसान धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। एक बात माननीय सदस्यों के विचार के लिए निवेदन करना चाहता हूं। वह यह है कि इन फार्मों की भूमि कहीं कहीं खराब है, सिंचाई का पूरा इन्तजाम नहीं है। लेखा-जोखा रखने का एक विशेष तरीका है, उससे हम यह नहीं बता सके कि हम मुनाफे में चल रहे हैं लेकिन हमें विश्वास है कि अगले ३ साल में हमारे फार्म मुनाफे पर चलने लगेंगे। वहां प्रति एकड़ ८.६ मन पैदावार है।

उपनिवेशन की कुछ चर्चा हुई है। पीलीभीत और खीरी, दो उपनिवेशन योजनाएं सन् ५४–५५ में प्रारम्भ हुई। पीलीभीत उपनिवेशन में योजना थी कि हम ६२५ परिवारों को जिन में ६०० भूमिहीन मजदूर और ७५ शिक्षित बेरोजगारों को बसाने का इन्तजाम करें यह योजना बनायी थी और १० हजार एकड़ जमीन तोड़ कर उसको हमवार करके प्लाट बना करके इन बेरोजगार शिक्षितों और भूमिहीन मजदूरों को देने चाहिए थे। हमने ४५४ भूमिहीन को १० एकड़ प्रति परिवार, शिक्षित बेरोजगार को २० एकड़ प्रति व्यक्ति प्रति परिवार के हिसाब से इस भूमि को दिया। इसके साथ-साथ ४५४ रुपया . . . .

एक सदस्य––

कितने शिक्षितों को दिया यह भी स्पष्ट कर दें।

श्री बलदेवसिंह आर्य––

हमें सुन लीजिए। ४५४ रुपया बैल खरीदने के लिए और बीज क्रय करने के लिए भूमिहीन मजदूर को दिया और ८५४ रुपया जो शिक्षित बेरोजगार था उसको शुरू में ऋण दिया गया। इसके अतिरिक्त पक्के निवास स्थानों की व्यवस्था की गयी जिसका मूल्य १,३०० कुछ रुपया होता है जिसमें से ८४६ रुपया तो ऋण के रूप में, तकावी के रूप में और ५०० रुपए का उसको अनुदान दिया गया। इसी तरह से पीलीभीत उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत हमने करीब ५,३०० एकड़ भूमि को तोड़ कर उसमें ५६० भूमिहीन परिवारों को बसाया है जिनमें ४६ शिक्षित बेरोजगार भी हैं। उनको कुछ आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान की गयी हैं जिसमें सड़क, स्कूल, चिकित्सा, ट्यूबवेल आदि मुख्य हैं। इस योजना के पूर्ण होने में कुछ समय और लगेगा। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि इस योजना में जो मजदूर उपनिवेशन क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको ३ १/२ एकड़ जमीन भी दी जाय और उनको बसाया जाय। खरीफ की फसल तक हम १६५ मजदूरों को भूमि दे देंगे और अगले आर्थिक वर्ष में २८५ मजदूरों को बसाने की योजना पर हम विचार कर रहे हैं। और भी लोगों को जो अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं, उनको भूमि देकर वहां बसाने का हमारा विचार है। यह सब इसलिए हम कर रहे हैं ताकि अन्न उत्पादन में वे लोग सहायक हों। इस योजना के लिए हमने ८५ लाख ५० हजार खर्च करने की योजना बनायी है जिसमें से इस वर्ष के अन्त तक करीब ६७ लाख ९२ हजार खर्च हो जायगा।

खीरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत भी ६११ भूमिहीनों को बसाया गया है, इसमें ७७ शिक्षित बेरोजगारों को भी बसाया है। सन् ५८ से इसका सारा प्रबन्ध हमने जिलाधीश के सुपुर्द कर दिया है। एक पुल भी १९६६–६७ तक बन कर तैयार हो जायगा और शीघ्र ही लखीमपुर खीरी उपनिवेशन योजना पूरी हो जायगी।

इस तरह से देखा जाय तो अन्न उत्पादन की दिशा में हमने बड़ा कदम उठाया है। जिन माननीय सदस्यों ने उन क्षेत्रों को देखा है उनको पता होगा कि किस तरह से हमने भूमिहीनों को

[श्री बलदेवसिंह आर्य]

वहां बताया है। माननीय खयालीराम जी ने कहा कि ऐसे लोगों को भूमि दी गयी है जिनके पास भूमि थी। उनका यह कहना गलत है।

(व्यवधान)

इस वक्त मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं कि कितने हरिजन भूमिहीनों को जमीन दी गयी, पर काफी ऐसे लोगों को दी गयी है। वे आंकड़े माननीय सदस्य मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं। सभी जातियों में भूमिहीन होते हैं और सभी के लिए यह योजना बनायी गयी है। हर जाति में भूमिहीन मिलेंगे। यह योजना भूमिहीनों के लिए ही बनायी गयी है। मेरा खयाल है कि इसमें प्राथमिकता हरिजनों को ही दी गयी है और उनकी तादाद काफी है।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन--

तमाम राजाओं की जमीन वहां दी गई है। हरिजनों को कहां दी गई है?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

उपाध्यक्ष महोदय, रासायनिक खादों के मूल्य बढ़ जाने के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने शिकायत की है। मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने एक फर्टीलाइजर कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी ने दो सिफारिशें की थीं। एक तो खाद के वितरकों को अधिक कीमत मिल सके। दूसरे रेलवे स्टेशनों के बाहर रहने वाले किसानों को उचित मूल्य पर मिल सके। इसको ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने एक फरवरी, ६६ को यह भाव बढ़ाया है जिससे खाद के वितरण से पूरा लाभ हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपका कुछ समय ले लिया है। माननीय सदस्यों को बड़ी उद्विग्नता है कि उनको समय मिलना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि उनको समय मिले। वैसे मेरे पास अभी पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में भी सामग्री है।

श्री मैनेजरसिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का टाइम एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

कुछ थोड़ा सा टाइम बढ़ा देंगे।

कृषि मन्त्री (श्री गैंदासिंह)--

कैबिनेट की एक मीटिंग पांच बजे से है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, माननीय मित्रों की इस मांग पर आध घंटा बढ़ा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि सदन का समय आध घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री बलवानसिंह---

श्रीमन्, चाहता तो मैं यह था कि सदन का समय एक घंटा बढ़े लेकिन मन्त्री जी ने पता नहीं कैसे आधा घटा कर दिया। श्रीमन्, आज यह जो दो रोज से बहस है उसमें सबका, चाहे वे किसी भी दल के हों, यही कहना है कि यू० पी० में कृषि की पैदावार बढ़ी नहीं है। मैं अगर आंकड़े दूं तो बाम्बे में २०० रुपया क्विंटल अनाज या गेहूं का दाम है और ३०० रुपया का दाम है, चावल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का कलकत्ते में और यू० पी० में, पंजाब में कैसे-कैसे दाम हैं, इस तरफ मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपके एक साल के अन्दर अनाज के दाम जो बढ़े हैं वह यू० पी० के अन्दर बढ़े हैं और दूसरी सुबों के अन्दर बढ़े हैं, इसके ऊपर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। अभी आपकी तरफ से जो कृषक समाज की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में खास तौर से यह कहा गया है कि अगर अढ़तिया ६० प्रतिशत से ज्यादा मुनाफा लेता है एक साल के अन्दर और काश्तकार जो मेहनत करता है उसको फसल के समय कम दाम पर मन्डी में जाकर बेच देना पड़ता है। आपको यह देखना चाहिए कि जब वह मन्डी में अपने अनाज को ले जाता है तब सक क्या भाव होता है और बुवाई के समय उसका क्या भाव होता है। क्या १८ साल के बाद सरकार इस काबिल नहीं कि वह खेती के दामों को मुकर्रर कर सके? जब आप यह कह रहे हैं कि मुनाफा खोरों द्वारा लूट हो रही है तो क्या आप कृषि विशेषज्ञों से बैठकर बातचीत करके रेम्युरेटिव इंसेंटिव और जितना भी दाम उसका खेत के अन्दर आता है उसे दिलवाने की व्यवस्था नहीं कर सकते। क्या जो सरकार के पास आंकड़े हैं कि जब विरोधी दल के नेताओं की तरफ मिनिस्टर के साथ हुई, कानपुर शहर के अलावा २० रुपया मन गेहूं का दाम आ रहा था। और मुझे डर है कि अगर गेहूं के दाम १८ रुपए मन तक चला गया जैसा कि आलू साढ़े छै रुपया मन से लेकर ८ रुपया मन तक बिका है। क्या आप सोचते हैं कि केन्द्रीय सरकार आलू के अन्दर दामों को कम करके आत्म-निर्भरता ला सकेंगी? काश्तकार लाखों एकड़ जमीन में वही चीज पैदा करने की कोशिश करता है जिसमें उसको अच्छे से अच्छा दाम मिलता है। जब आपके पास फूड ग्रेन्स की कमी है तो फिर उस पर आप पूरा ध्यान क्यों नहीं देते। आपको यह निश्चित कर लेना चाहिए और अपनी एक निश्चित नीति निर्धारित कर देनी चाहिए कि कितने एकड़ जमीन पर आप कौन-सी चीज पैदा करना चाहते हैं। कितनी एकड़ पर गेहूं, कितनी पर जौ और कितनी पर चना। श्रीमन्, १६६ रुपया के करीब ग्रास इनकम खेती की यहां यू० पी० में है, पंजाब में २६६ रुपया के करीब के, है और आस्ट्रेलिया में तो ४ हजार के करीब है। विदेशों के अन्दर अगर चार हजार रुपया इन-कम आयी खेती से तो यू०पी० के अन्दर वह १६६ रुपया है। तो क्या सरकार इस बात को सोचने के लिए तैयार है कि आखिरकार यह कमी कहां है।

अभी-अभी हमारे दोस्त आर्य साहब ने कहा और यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सरकार दो साल से हाई ब्रीड सीड के बारे में चिल्ला रही है। आपके पास गन्ने का सीड कितना है? एग्रीकल्चर विभाग में जिसका एक काम रह गया है बीज पैदा करना, क्या उसके पास हाई ब्रीड का सीड मेज का, बाजरे का और व्हीट का है? मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि १५ प्रतिशत हाई ब्रीड सीड के लिये कहा गया कि उनके पास तैयार हैं पर मैं कहता हूं कि यू० पी० सरकार के पास नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के पास आबपाशी का इन्तजाम नहीं है। आज हम कोआपरेटिव को इल्जाम देते हैं। इल्जाम कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट पर नहीं है। आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट की यह प्राइमरी ड्यूटी थी कि वह बीज पैदा करे। पर एग्रीकल्चर विभाग बीज पैदा करने में फेल रहा। आज मैं क्या सरकार से पूछ सकता हूं कि यू० पी० में जितने एग्रीकल्चर फार्म्स हैं उनकी क्या हालत है? आस पास के गांवों से जब हम एग्रीकल्चर विभाग की पैदावार का मुकाबला करते हैं तो एग्रीकल्चर फार्मों की पैदावार को उन गांवों की पैदावार से कम पाते हैं। क्या कृषि मंत्री जी इस बात को कहने के लिये तैयार हैं कि इस गरीब टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया अगर इन एग्रीकल्चर फार्म्स के चलाने में खर्च होता है तो क्यों न इस बात का प्रयास किया जाय कि जहां एग्रीकल्चर फार्म हों वहां पैदावार अच्छी हो? मुझे खास तौर से मंत्री जी से पूछना है यू० पी० की सरकार के पास जो कुछ क्विन्टल गन्ने का बीज है उससे वह हाई ब्रीड तैयार करने को तैयार है। जब मैसूर और हिन्दुस्तान की

[श्री बलजान सिंह]

और स्टेट्स में हाई ब्रीड सीड्स तैयार हो सकते हैं तो यू० पी० में क्यों नहीं हो सकता ? अभी-अभी एक सम्मेलन हुआ था। उसमें मैसूर और महाराष्ट्र के कुछ लोग आये थे उन्होंने कहा कि हमारे पास धान का एक बीज ऐसा है जिस से एक एकड़ में तीन टन धान पैदा होता रहा है। महाराष्ट्र में भी मक्का ८० मन एक एकड़ में होता है जब कि यू० पी० में केवल १० मन भी नहीं होता। आखिरकार मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सीड यू० पी० के अन्दर क्यों नहीं लाया जाता।

श्रीमन्, एक चीज और कहना चाहता हूं। मंत्री जी फर्टिलाइजर्स के ऊपर ध्यान दें। फर्टिलाइजर यू० पी० में दूसरी स्टेटस के मुकाबले में सबसे कम आ रहा है। मेरा ऐसा खयाल है कि शायद शिवराज सिंह जी ने कहा हो या न कहा हो ? आपकी जितनी वेराइटीज हैं उन वेराइटीज के मुताबिक फर्टिलाइजर आपको नहीं मिला है। त्रिवन के लिये मेंज के लिये वे फर्टिलाइजर देने को तैयार हैं जब कि यू० पी० में फर्टिलाइजर सबसे कम है तो आपकी पैदावार कैसे बढ़ेगी ? मेरा आपसे यह कहना है कि अगर आप तीन चीजों की तरफ ध्यान दें तो यू० पी० के अन्दर पैदावार बढ़ सकती है। आपके बीज की वेराइटीज अच्छी आयें। २—खाद आये। ३—यह जो जुताई के साधन हैं वे बहुत पुराने हैं। ट्रैक्टर्स की कीमत मार्केट में जो साढ़े तीन-तीन हजार की है वही ट्रैक्टर साढ़े ९ हजार तक काश्तकार को मिलता है। इस तरह से काश्तकार को लूटने से क्या फायदा है ? फर्टिलाइटर, आबपाशी और बीज की कीमत ज्यादा है।

*श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश की कृषि की प्रगति को धूमिल बताया गया है मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में पानी की व्यवस्था की जरूरत है जैसा कि भाई शिवराजसिंह जी ने भी कहा है और जैसा इस किताब में टैक्नोइकानामिक सर्वे आफ उत्तर प्रदेश में भी है कि गंगा के आस पास के प्रदेश में पांच लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है और हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकता है। क्योंकि हमारे यहां बिजली का अभाव है इसको देखते हुए हमारे यहां जो जो बड़ी योजनायें हैं उसके अन्दर विद्युत की परियोजना बनाई गई जिससे हमारी क्षमता एक हजार मैगावाट बढ़ गई है। जिसमें माइनर, मेजर और मीडियम तीन प्रकार के प्रोजेक्ट आते हैं। उनका जाल बिछाया गया है।

श्रीमन्, श्रीपालसिंह जी से मैं इस बात में एग्री करता हूं कि गेहूं की खेती के लिए ३–४ पानी की आवश्यकता है और उसके बाद भी मुझे बड़ा आश्चर्य तब होता है जब ३–३, ४–४ फ्लांग की कैद लगायी जाती है और कृषकों की पूर्ण सुविधा नहीं दी जाती। ज्यादा से ज्यादा कुएं अपने अपने खेतों पर बनाए जा सकते हैं। १४६ लाख एकड़ सन् ६४ में सिंचाई होती थी, अब १७८ लाख एकड़ में होती है और ५१ में १२७ लाख एकड़ में होती थी। इस प्रकार से सिंचाई में तरक्की हुई है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें भी पूरा पानी नहीं पहुंचता है। २५ लाख एकड़ जमीन ऐसी रह जाती है जिसमें पानी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है। यह इसलिए हुआ कि आपस में विभागों में कोआपरेशन नहीं है। यही कारण है कि हमारे यहां प्रति एकड़ आय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और प्रान्तों से बहुत कम है। जब तक हम उस आय को नहीं बढ़ायेंगे तब तक हम सम्पन्न नहीं हो सकते। यह तभी हो सकता है जब हम किसानों को क्रेडिट फैसेलिटी देंगे, उसको खाद को और बीज की सुविधा के साथ-साथ पानी की सुविधा देंगे। क्रेडिट फैसेलिटी के बारे में किसी ने भी प्रकाश नहीं डाला। अगर ५० रुपया प्रति एकड़ लगाया जाय तो हमको करीब २६८ करोड़ रुपए की जरूरत होगी जबकि हमारे यहां दूसरी और तीसरी दो योजनाओं में केवल ३० करोड और ८० करोड़ रुपया रखा गया था। जब हम किसानों को क्रेडिट फैसेलिटी नहीं देंगे किसान साहूकारों की मर्जी पर रहेगा। मेरा विचार है कि आप लैंड मारगेज बैंक को लैंड डेवलपमेंट बैंक कर दें तो बहुत अच्छा होगा। जिला बिजनौर में ३४ लाख रुपए की मांग कुओं के लिए की गई और यह सितम्बर मास में की गयी। लेकिन उनको केवल ४ लाख रुपया दिया गया। जबकि सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि रबी के अभियान में कुएं बनायेंगे जायेंगे। यदि वह रुपया पूरा दे दिया जाता तो हमारा सिंचाई का क्षेत्र बढ़ जाता और हमारी पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ जाती।

आज भी हालत यह है कि ब्लाक-वाइज आंकड़े हमारे पास नहीं हैं। हमें आज यह मालूम नहीं है कि वह कौन से क्षेत्र हैं जिनमें पैदावार कम हो रही है। आज भी पंचायतों में ब्लाक्स में लोगों को नहीं पता है कि आप के साधन क्या हैं, पिछले साल कितनी पैदावार हुई, पंचायतों को या किसी को इस का पता नहीं है इसलिए लक्ष्य बनाए जायं और उन से सब को अवगत कराया जाय और एक सामूहिक रूप से स्वायल इरोजन, वाटर लागिंग एलकलाइन स्वायल को ठीक करने के अभियान चलाए जायं। सब को बता दिया जाय कि क्या चीज कहां बोई जाय। मैं माननीय शिवराज सिंह से सहमत हूं कि कोआपरेटिव केन सोसाइटीज के माध्यम से उन के अनुदान से कुएं वगैरा बनाने का काम किया जाय। लेकिन हमें दुख है कि जब से यह काम केन विभाग में आया है तब से बड़ी असुविधा हो गई है और इन लैंड मारगेज बैंक्स के द्वारा तो बहुत ही अधिक असुविधा हो गई है। ६-६ और आठ-आठ मास तक लोगों को निराशा लौटना पड़ता है। मैं समझता हूं कि कृषकों को हर तरह की क्रेडिट फैसीलिटीज देना चाहिए ताकि वह उन्नत यन्त्र और उन्नत बीज आदि का प्रयोग ठीक वक्त से कर सकें। आज जिस हिसाब से कृषकों को आप ४-८ छट्टांक देते हैं उस से काम चलने वाला नहीं है। जिस तरह से आज पंजाब में लुधियाना यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी में पूसा इन्सटीट्यूट से लाभ उठाकर सब चीजें उन्नत की गई हैं उसी तरह से हम चाहते हैं कि आप के रुद्रपुर यूनिवर्सिटी में और कानपुर के कालेज में उन्नत चीजें चालू की जायं। अगर यह संस्थाएं इस कार्य को अपने हाथ में नहीं लेंगी तो आप के यहां उन्नत बीज पैदा नहीं हो सकता।

गन्ने के बारे में मैं बड़े दुख के साथ कहूंगा कि यह हमारे यहां की एक बड़ी मेजर इन्डस्ट्री है लेकिन इस की भी पैदावार कम होती चली जायगी जब तक हमें सिंचाई के लिए खास तौर से साधन नहीं मिलेंगे। इसके अलावा मैं कहूंगा कि जिन गन्ना फैक्टरी में क्रशिंग कैपेसिटी नहीं है उन को लाइसेन्स न दिए जायं जैसे कि हमारी बिजनौर की फैक्टरी है जिस की क्रशिंग कैपेसिटी कुल २७ हजार मन की रह गई है जबकि पास में ही सिवारा, धामपुर वगैरा की १ लाख मन की है। हमारे क्षेत्र में गन्ना मई और जून तक पड़ा रहता है। इस के अलावा बहुत सी फैक्टरीज ऐसी हैं कि जो अनुदान नहीं दे रही हैं और इस कारण से पैकेज स्कीम खत्म हुई जा रही है। मैं चाहता हूं कि फैक्टरीज को लाइसेन्स ही उस हालत में दिया जाय तो उनके लिए अनिवार्य कर दिया जाय कि वह विकास के लिए पूरा अनुदान देंगी और उन की क्रशिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। इन केन सोसाइटीज को भी गन्ने की उपज को हर तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए।

*श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि माननीय सदस्यों ने यहां जहां तक बजट का सम्बन्ध है बहुत से आंकड़े दिए हैं लेकिन मैं अधिक आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। मैं आप के द्वारा माननीय कृषि मन्त्री जी से केवल इतना ही अर्ज करूंगा कि आजकल सरकार की जो कृषि नीति है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है और उसके बाद ही पैदावार में उन्नति हो सकती है। यह निश्चित ही समझिए कि जब तक हम अपने समाज में और अपनी सरकार में कृषकों को एक उचित सम्मानजनक स्थान नहीं देंगे तब तक आप चाहे जितनी योजनायें बनायें कृषि की उन्नति नहीं हो सकती। यह अंग्रेजी की एक बुकलेट है, इसमें श्री चेस्टर बाउल्स के एड्रेस का एक उद्धरण यह है कि

"The record of the last 20 years in Asia, Africa and Latin America demonstrates that unless most of the cultivators are given a sense of personal participation and dignity, production will lag, democracy will be undermined and there will be no security for anyone."

मुझे एक बात का खेद है कि कृषि मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है उस पर हमारे श्री भगवान सहाय भाई ने यहां बड़ी रिवीलिंग फिगर्स दी थीं। उसका ७८.६४ प्रतिशत रुपया एस्टेब्लिशमेंट में जाता है। शेष जो २१.२६ रहा वह आपके बजट का डेवलपमेंट प्लानों में जायगा। इस सम्बन्ध में मैं कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा और इस सरकार से भी निवेदन करूंगा कि हमें एग्रीकल्चर को प्रायरिटी देने के लिए यह जरूरी है कि हम उसके प्रोपोर्शन को उसी हिसाब से रखें और बड़े और छोटे के फर्क को निकाल दें।

दूसरी कमी जो इस विभाग में आज देखी जाती है वह यह है कि इसमें किसी प्रकार का कोआर्डिनेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि जैसे हमारा इर्रीगेशन का विभाग है, विद्युत का विभाग है, जिसके ऊपर माननीय सदस्यों ने काफी रोशनी डाली है, वे सब ऐसे विभाग हैं जिनमें एग्रीकल्चर विभाग से काफी कोआर्डिनेशन होना चाहिए। यहां पर २–४ मर्तबा पहले भी सुझाव आ चुके हैं कि ये विभाग और सहकारिता का विभाग है एक ही मन्त्री के नीचे रहने चाहिएं, तभी इनमें पूर्ण रूप से कोआर्डिनेशन हो सकेगा।

मैं माननीय मन्त्री जी से यह भी प्रार्थना करूंगा कि वे इतना करें कि हर ५० या ४० एकड़ के क्षेत्र में एक-एक कुआं खुदवाकर उन पर रहट लगवा दें। तभी आपकी खेती में उन्नति हो सकती है। आपकी जो बड़ी-बड़ी प्लान्स हैं, या जो आप टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च करते हैं, उनसे कोई उन्नति नहीं हो सकती है। फर्टिलाइजर से भी कोई उन्नति नहीं हो सकती है, उसको पौप्युलराइज नहीं किया जा सकता है। जयपुर के सेशन में कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को माना है कि यदि पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं है तो फर्टीलाइजर से भी उन्नति नहीं हो सकती है। मुझे अफसोस है कि हमारे माननीय मन्त्री जी ने इसके बावजूद भी उधर ध्यान नहीं दिया है।

एक बात के बारे में और माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इनका टैक्निकल स्टाफ है इसके लिए यह कहा गया कि पे के बारे में जी० ओ० निकल रहा है लेकिन आजतक वह जी० ओ० नहीं निकला है और जो पे वेतन अभिनवीकरण समिति ने भी मंजूर की है, वह भी उन्हें नहीं मिली है। आपके जितने भी टैक्निशियन्स हैं, चाहे वे एनिमल हस्बेन्डरी विभाग के हों या कृषि विभाग के हों, उनके ऊपर बजट का ७८ प्रतिशत खर्च होता है, लेकिन फिर भी उनके अन्दर सम्मान की भावना नहीं है। जब तक उन्हें सरकार के अन्य अधिकारियों के समान सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक कोई कृषि की उन्नति नहीं हो सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आज सरकार ने और उसके अधिकारियों ने, इतनी प्लानिंग के बाद इस बात को मंजूर किया है कि देश में अनाज की कमी है और इस कमी को दूर करने के लिये उन्होंने प्लान्स बनाये। प्लान्स का किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। अगर हमारी सरकार ने उनके इम्पलीमेंटेशन पर ध्यान दिया होता तो यह हालत, जो आज हमारी है, नहीं हो सकती थी। पूरे संसार में हम आज भिखमंगे हो रहे हैं और संसार के बहुत से देशों से कहा जा रहा है कि हमारी मदद करो। मेरी राय में यह जो कुछ हुआ है इस प्लान के ठीक से इमप्लीमेंट न करने के कारण हुआ है और इसके लिये हमारे अधिकारी जिम्मेदार हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार को प्लान को ठीक से इमप्लीमेट कराना चाहिये। जहां और ऐक्सपेरीमेंट इस विभाग में हो रहे हैं वहां एक और ऐक्सपेरीमेंट मंत्री जी करें और वह यह है कि जो अधिकारी की पोस्ट्स पर हैं डेवलपमेंट स्कीम्स में अगर वे हमारे टार्गेट को एक मर्तबा में पूरा नहीं करते तो उनको वार्निंग दी जाय और अगर अपने काम में दो, तीन मर्तबा फेल होते हैं तो उनको हटा दिया जाय। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे हमारी कमी पूरी नहीं होगी। हमने देखा कि संविधान में कई मर्तबा संशोधन हुए। आज हमको अनाज की जरूरत है इसके लिये अगर जमींदारी अबालीशन ऐक्ट में फिर से संशोधन करना पड़े तो करना चाहिये और इसकी जरूरत मैं यों समझता हूं क्योंकि रेवेन्यू और कृषि विभाग ऐसे खिचड़ी वाले विभाग हैं कि इनमें कितनी ही अक्ल वाला आदमी जाय वह परेशान हो जाता है। इसलिये इसमें बहुत से अमेडमेंट्स की जरूरत है। दो तीन संशोधन मैं बताऊंगा शायद, मैं शायद कह रहा हूं, उन से कुछ सुधार हो। यह भी देखा जा रहा है कि कहीं अनाज ज्यादा इकट्ठा किया जा रहा है, यह बुरा है। हमारे यहां कमी है। कौन सा विभाग अनाज को लायेगा, कौन सा विभाग अनाज की कमी को पूरा करेगा यह सरकार के सोचने की बात है।

जमीन के बारे में मेरा सुझाव है कि सर्विस क्लास के जो लोग हैं, मंत्री जी इस पर विचार करें, या जो बिजनेस में है या जो अपनी जमीन आप्शन से दे सकते हैं अगर वे जमीन अपनी आप्शन पर देते हैं तो उनकी जमीन नहीं निकलती। मिलिटरी वाले, अपंग या बच्चे अपनी जमीन किसी दूसरे को देते हैं तो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट के अनुसार उनकी जमीन उनके हाथ से नहीं निकलती हैं, इसी तरह से अगर आप्शन पर जमीन दे दी जाय तो उससे अनऐम्प्लायमेंट की प्रौबलम साल्व होगी और प्रोडक्शन भी बढ़ जायगा और जो अनाज की भीख हमको मांगनी पड़ रही है उसमें शायद कुछ कमी पड़ जाय। दो, तीन केस मैंने खुद किये हैं, मैं जानता हूं कि अगर मिलिटरी में कोई जवान है और वह प्रधान के यहां दरख्वास्त देता है तो उसको जमीन मिल जाती है। लेकिन गरीब आदमी को कोई प्रधान जमीन नहीं देगा क्योंकि प्रधान के खेत पर काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिये सरकार को इसमें संशोधन करना चाहिये कि प्रधान के पास यह पूरी ताकत न रहे, बल्कि यह ताकत जिलाधीश के पास रहे। अगर किसी गांव में प्रधान जमीन नहीं देता है तो जिलाधीश अगर चाहे तो उस को जमीन दे दे। चरागाह किसी दूसरे की जमीन पर नहीं रख सकते, और चरागाह की जरूरत २, ३ महीने रहती है। शेष महीनों में हम उस जमीन पर अनाज पैदा कर सकते हैं।

पहले पटवारी जो था वह खाना कैफियत में लिख देता था कि इसका कब्जा नहीं है और उसको कानूनगो ठीक कर देता था लेकिन अब कानूनगो जो लिख देता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सोहन लाल धुस्सिया]

है डिप्टी कलेक्टर भी अगर मौके पर जाकर जांच करता है और गलत इंट्री पाता है तो वह भी उसे दुरुस्त नहीं कर सकता जब तक कि किसान कोर्ट में न जाय। कोई गरीब आदमी है और वह कोर्ट नहीं जा सकता है तो खेत उससे निकल जायगा। माननीय मंत्री जी ऐसे केसेज को एग्जामिन करके इसमें संशोधन भी करेंगे।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, देश और प्रदेश की प्रगति खेती पर निर्भर करती है। ऐसी अवस्था में इसमें प्रगति लाने के लिये सरकार की तरफ से जो प्रयत्न हुये हैं साधनों को देखते हुए उनमें संतोष की कुछ मात्रा आ सकती है लेकिन जो हमारे प्रदेश की आवश्यकतायें थीं उनको पूरी करने में यह सरकार असफल रही है और जन जीवन को संभालने में यह सरकार उतनी सफल नहीं हो सकी जितनी कि होनी चाहिये थी। ऐसी खेती जैसा कि सब जानते हैं सबसे प्रथम आवश्यकता है और उसके लिये भूमि की आवश्यकता पड़ती है। यदि अच्छी भूमि है तो उस पर अच्छी पैदावार हो सकती है, उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और उसके रखरखाव को ठीक तरह से देखा जा सकता है। लेकन भूमि अगर अच्छी नहीं है तो अच्छी खेती नहीं हो सकती। इसलिये इस संबंध में सरकार की तरफ से जो प्रयत्न हुए हैं उनमें बहुत कमियां है।

माननीय फूलसिंह बतला रहे थे कि फर्टिलाइजर के सम्बन्ध में भी हमारे प्रयत्न नाकाम रहे। केन्द्रीय सरकार से जो फर्टिलाइजर मिलता है उसको ही हम प्रयोग में नहीं ला सके और न भूमि को अधिक उपजाऊ बना सके।

पानी की व्यवस्था का भी सवाल है उसे भी हम नहीं कर पाये। १८ साल के निरन्तर प्रयास के बावजूद ६ लाख एकड़ ही भूमि में अगर हम अधिक आबपाशी कर सके तो इसी से हम अपनी प्रगति का अन्दाजा लगा सकते हैं। इतनी प्रगति के आधार पर हम जनता को कैसे संतोष दिला सकते हैं?

(लाल बत्ती होने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे बहुत कम वक्त मिला है।

श्री उपाध्यक्ष—

दो मिनट और हैं।

श्री खेम चन्द—

दो ही मिनट हैं तो मैं बैठे जाता हूं।

श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जो आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मंत्री महोदय ने कल अपने भाषण में खेती को उपज बढ़ाने के लिये तथा प्रगति लाने के लिये जिन बातों का जिक्र किया उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा मुझे आपके द्वारा इस सदन से यह कहना है कि हमारे यहां खेती में बहुत तरक्की हो रही है और इसके बारे में मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने काफी सुझाव दिये हैं। मुझे केवल इतना ही कहना है कि सब कुछ इस प्रदेश में विभागीय सहयोग से हमारे किसानों के लिये हो रहा है। लेकिन एक खास बात यह है कि जो लोग हमारे यहां खेती करना चाहते हैं उनके पास खेती करने के लिये भूमि ही नहीं है। उनके लिये मुझे यह कहना है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत दिनों से भूमिहीन होने का प्रमाण-पत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ले रखा है और अपनी दरख्वास्तें नैनीताल के जिलाधीश को दे रखी हैं। इन लोगों के बारे में कई बार कहा जा चुका है। लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिये मेरा कहना यह है कि इन लोगों को यथाशीघ्र भूमि दिये जाने का इन्तजाम किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप कृपया माइक पर बोलिये।

श्री खुशीराम--

श्रीमन्, गरीबों के साथ बड़ा अन्याय और अत्याचार हुआ है। उनके लिये उचित कदम उठाये जाने चाहियें। इसके अलावा कुमायूं की तराई, अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल, बाजपुर और रामनगर में बाहर के लोगों को जमीन दी जा रही है। वहां के जो निवासी हैं उनको जमीन दी जानी चाहिये। हमारी सरकार ने जमींदारी उन्मूलन करके बड़ा उत्तम काम किया है। इसी प्रकार से हमारे यहां भी ध्यान रखा जाये।

एक बात मुझे यह कहनी है कि जंगलात महकमें ने बहुत सी जमीन प्लांटेशन के नाम पर घेर रखी है। यह भी एक जमींदारी का रूप है, इसके लिये सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी छानबीन होनी चाहिये। वैसे जंगल हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। लेकिन इस जगह में अनाज पैदा हो सकता है। कुमायूं में बहुत सी जगह टनकपुर से लेकर कोटद्वार तक, रामनगर बहुत से लोग पशुओं सहित गोष्ठों में बसे हुये हैं। पहले वहां के लोग मलेरिया से परेशान थे। अब वहां यह बीमारी बहुत कम हो गई है और वहां के लोग अब खेती करना चाहते हैं। आज कल हमारे प्रदेश में और देश में अधिक अन्न उपजाओ का आन्दोलन बड़े जोरों से चल रहा है। इसलिये इनका ध्यान रखा जाये। इनको खेती करने के लिये जमीन दी जानी चाहिये। मेरी प्रार्थना है कि जमींदारों और बड़े २ फार्मों के पास जो जमीन रह गयी है वह उनसे निकाल कर भूमि हीनों को जमीन दी जाय। जैसे हमारे यहां जमींदारी लगी हुई है वैसे ही इस सदन में भी जमींदारी आ गयी है और वह है अधिक बोलने वालों की। वे लोग क्षमा करेंगे, वे लोग अधिक बोलते हैं और हम लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता है, जैसे हम लोगों को जमींदारी के समय सीरतान की तरह से माना गया था, वैसे ही यहां भी हो रहा है। यह मेरी शिकायत है। इसलिये यह होना चाहिये कि जो भूमि मिले वह भूमि-हीनों को दी जाय और साथ ही साथ यह भी प्रबन्ध हो कि हम लोगों को भी यहां बोलने का मौका मिले। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, आज कृषि अनुदान पर जो विवाद हो रहा है, मैं भी कृषि के विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। कृषि का विषय वह विषय है जिसके ऊपर आज प्रदेश की ८० प्रतिशत जनता निर्भर करती है लेकिन इसके सम्बन्ध में सरकार ने जो योजनायें बनायी हैं कि इस तरह से हम कृषि के उत्पादन को बढ़ायेंगे, सरकार ने सभी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश की है। परन्तु सारी बातों को देखने से पता चलता है कि ये सब योजनायें कृषि का उत्पादन बढ़ाने में निष्फल रही हैं। कृषि योजना के अन्तर्गत कई विभाग खोले गये हैं जिनमें से एक है विकास का। विकास विभाग के खोलने से आज यह प्रतीत होता है कि हमारे देश के अन्दर वह विनाश सिद्ध हो रहा है, इसलिये कि विकास के अन्दर जो कर्मचारी हैं वे कृषि की बाबत जो भी आंकड़े लिख कर देते हैं वे सब बिलकुल फर्जी और गलत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री घूमप्रसाद]

होते हैं। जैसे कि कहीं धान या गेहूं की फसल लाइन में बोयी गयी ६ एकड़ में लेकिन उसे वे लिख देते हैं ६०० एकड़ और ६०० एकड़ को लिख देते हैं ६ लाख एकड़। इस तरह से देखा जाय कि पैदावार के आंकड़े भी वे गलत ही लिख कर भेज दिया करते हैं, जो कि जिले में और जिले के ऊपर हमारे प्रदेश के विभाग में आते हैं और दिखलाया जाता है कि पैदावार बहुत बढ़ गयी है लेकिन वह सब गलत है।

जहां तक खाद की समस्या का सम्बन्ध है, कहा जाता है कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये खाद का डालना बहुत आवश्यक है। खाद डालने से खेती की पैदावार जरूर बढ़ती है लेकिन जिन खेतों में आपने खाद डाली और दूसरी फसल में खाद किसी वजह से नहीं डाली तो भूमि की जो शक्ति रहती है वह भी नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। इसलिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि अगर खाद की व्यवस्था की जाती है तो उन किसानों की खेती के लिये समय-समय पर खाद पहुंचाने की कोशिश की जाय, जिससे अनाज के उत्पादन में हमारे किसानों को साधन मिल सकें और उत्पादन बढ़ सके।

सरकार ने सिंचाई के साधन उपलब्ध किये हैं लेकिन उसका लाभ वही लोग उठाते हैं जिनके हाथ में पैसा है, जिनके हाथ में लाठी और डंडे का बहुमत है। जुलाई के महीने में खरीफ की फसल पर जब दैवी प्रकोप हुआ और वर्षा नहीं हुई तो उन्हीं की फसल की सिंचाई हुई जिनके हाथ में पैसा था या जिनके पास लाठी और डंडे थे। लाठियां चला कर ट्यूबवेल से पानी लिया गया और उन छोटे काश्तकारों की सिंचाई नहीं हो पायी और उन बेचारों के खेत असिंचित ही रह गये तथा उनकी खेती सूख गई। जो बड़े-बड़े काश्तकार और जमींदार थे उन्हीं के खेत लाठी डंडे के बल पर सींचे जा सके। माननीय मंत्री जी को चाहिये कि वे इसकी उचित व्यवस्था करें और उनको इसके आंकड़े दिये जायं कि छोटे काश्तकारों की कितनी जमीन सींची गयी, तो इससे वे भी अपने उत्पादन में लाभ उठा सकते हैं। और जो यह सरकार ने कहा है कि दैवी प्रकोप पड़ जाता है, तो पिछले साल दैवी प्रकोप खरीफ पर हुआ। हमारे फैजाबाद जिले में खंडसारी जो परगना है, जहां पर नहरें गयी हैं, वहां पर नहरों से पानी नहीं पहुंचा तो वहां के लोग बौखला गये, क्योंकि वहां पर नहरों में इतनी नालियां नहीं थीं कि वह नहरों के पानी को अपने खेतों तक ले जा सके। जब वह बौखला गये तो गांव वालों ने नहरों की पेढ़ी को जाकर काट डाला और उसके कट जाने पर पानी ज्यादा चला गया और सरकार उसकी रोकथाम नहीं कर पायी। जहां पर पानी की एक छींट तक भी नहीं पहुंची वहां पर सिंचाई टैक्स को वसूल ने में सरकार ने इतनी सख्ती की कि वहां के लोग आज भी देते देते ऊब गये हैं। जिन बेचारों ने नहीं सींचा है, उनसे जबरदस्ती पैसा वसूल किया गया है, यह सरकार का एक अत्याचार नहीं तो क्या है? मैं चाहता हूं कि उसकी जांच की जाये।

भूमिहीनों को भूमि दी जाय, जिससे वह खेती करके अपनी जीविका चला सकें और अन्न की उपज में बढ़ोत्तरी कर सकें, जहां पर नलकूप नहीं हैं, वे बनाये जायं। जहां तक चक बन रहे हैं और जहां पर किसानों के छोटे-छोटे बेतरतीब चक हैं, वह यह प्रबन्ध किया जाये कि बेचारे किसानों के चक इस प्रकार बनाये जायं कि उनमें आसानी के साथ सुविधा से पानी पहुंच सके। वहां पर नाली बना ली जाये, जिससे वह अपनी सिंचाई कर सके। नालियां या पंपिंग सेट लगाकर उनको पानी देने की व्यवस्था की जाय, जिससे छोटे बड़े सभी किसान अपने चक में पानी ले जा सकें और उत्पादन बढ़ा सकें।

श्री यशपालसिंह वर्मा (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का टाइम दिया है। मैं अपनी बात कहने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो हमारा समय डिस्टर्ब करके लिया है, वह हमारे समय में जोड़ दिया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, जो कृषि

अनुदान हमारे माननीय मंत्री महोदय ने सदन के सम्मुख पेश किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। कृषि एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर जितना रुपया भी खर्च किया जाय और यह माननीय सदन जितना भी रुपया हमारे माननीय कृषि मंत्री महोदय को दें वह कम है। परन्तु, मान्यवर, हमारी कान्शेंस यह तकाजा नहीं करती कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुये हम उसका समर्थ न करें। तीन पांच साला योजनायें जो समाप्त हुई हैं, उसमें माननीय सदन में जो आंकड़े पक्ष और विपक्ष से पेश किये गये हैं, उनको देखते हुये मेरा दिल नहीं कहता कि मैं उन अनुदानों का समर्थन करूं। न करूं तो एक जबरदस्त समस्या सामने आ जाती है, वह यह है कि इसके बिना देश को एक अराजकता का सामना करना पड़ेगा। इसलिये मैं इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यह तो नितान्त सत्य ही है कि हमारे प्रदेश में अन्न की जबरदस्त कमी है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से बहुत से आंकड़े पेश हुये और पक्ष की ओर से आंकड़ों के जरिये से यह साबित करने की कोशिश की गयी कि गल्ले की पैदावार हमारी दिन प्रति दिन हर योजना में बढ़ती जा रही है। हमारे कृषि मंत्री ने यह पेश किया कि हमारी पैदावार जो है वह बढ़ती चली जा रही है प्रति एकड़ भी और टोटल भी। लेकिन, मान्यवर, मैं बहुत से आंकड़े पेश करके बहुत सबूत नहीं देना चाहता। केवल एक बात है कि "जबाने खल्क, नक्कारे खुदा।" आज प्रदेश में और इस माननीय सदन में भी हो हल्ला मचा हुआ है, और वह बात किसी से छिपी भी नहीं है कि इस प्रदेश में गल्ले की बहुत कमी है। जब तक यह कमी पूरी नहीं होगी तब तक हमारे प्रदेश की रीढ़ की हड्डी मजबूत नहीं हो सकेगी और वह बिगड़ी ही रहेगी। गल्ले की पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में सरकार ने यह तसलीम किया है कि ३० एकड़ से ज्यादा भूमि वाले अलाभकर जोत वाले हैं और इसी प्रकार ५ एकड़ से जो कम हैं वह भी अलाभकर हैं। लिहाजा हमारी सरकार ने ३० एकड़ से ज्यादा भूमि के लिये तो सीलिंग कर दी और अलाभकर जोत को खत्म कर दिया परन्तु ५ एकड़ को बदस्तूर रखे हुये हैं। इसलिये अलाभकर जोतों को तुरन्त खत्म कर देना चाहिये। यह मेरा निश्चित मत है।

(लालबत्ती होने पर) अभी तो मैंने पहला प्वाइन्ट ही कहा है और चार साल में सिर्फ यह ढाई मिनट।

दूसरी बात जो मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं, ७५ फीसदी आबादी कृषि पर निर्भर है। जब तक वह कम नहीं की जायगी पैदावार नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती, कि प्रदेश आत्म निर्भर हो सके यह मेरा निश्चित मत है। जब तक उसको घटाकर ५० फीसदी नहीं कर दी जायगी और बाकी आबादी को दूसरे धन्धों की तरफ नहीं लगाया जायगा तब तक एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ कर आत्म निर्भरता के स्तर तक नहीं जा सकता।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन यह भी है कि जब कृषक द्वारा उत्पादित वस्तुओं का कास्ट आफ प्रोडक्शन कम नहीं होगा और उसकी पैदावार का मूल्य उसको अधिक नहीं मिलेगा तब तक पैदावार नहीं बढ़ेगी। लिहाजा कृषि मंत्री अपने भाषण में यह बतायें कि आपने कास्ट आफ प्रोडक्शन को कम करने के लिये क्या-क्या सहूलियतें काश्तकारों को दी हैं।

इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर से खेती करने वालों के लिये यह भी कठिनाई हो गयी है कि डीजल की कीमत बढ़ गयी है। अभी माननीय बलवानसिंह जी ने बताया कि ट्रैक्टर साढ़े ३ हजार रुपये का है वह ९ हजार रुपये में बाजार में मिलता है। इसी तरह से और भी कृषि में काम आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ते जाते हैं। काश्तकार इनके बोझ में दबता जाता है।

[श्री यशपालसिंह वर्मा]

इसके अलावा किसान पर जो डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट ट्रैक्सेज की भरमार है क्या वह उसे उत्पादन बढ़ाने के लिये उत्साहित करता है ? मेरा निश्चित मत है कि उन टैक्सेज को कम किया जाना चाहिये और जो लेवी पिछले वर्ष इमरजेन्सी के नाम से लगायी गयी थी उसे हर सूरत में अविलम्ब खत्म किया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त ।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन तमाम दोस्तों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है और मैं तमाम उन दोस्तों का भी आभारी हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सजेशन देकर मेरे कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया है। इस दिशा में मैं खास तौर से माननीय शिवराजसिंह का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने कुछ बेशकीमती सुझाव इस सदन के सामने रखे । मैं राजा चैतन्यराज सिंह का भी बहुत आभारी हूं इस वजह से कि उन्होंने पे रेशनलाइजेशन कमेटी के विषय में कहा। मेरी इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि अमुक व्यक्ति को ज्यादा तनख्वाह मिले और अमुक व्यक्ति को कम तनख्वाह मिले लेकिन एक उसूल का सवाल बहुत बड़ा है और वह यह है कि आज देश को अधिक पैदावार की आवश्यकता है। ऐसी हालत में हमारे यहां साइन्टिस्ट या किसी टेक्नीशियन को किसी कदर कम तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिये। मैं माननीय गेंदासिंह जी की खिदमत में यह सुझाव रखना चाहता हूं और वह इस पर गौर करें और पूरी तवज्जह करें कि आपके यहां कोई भी साइन्टिस्ट या टेक्नीशियन तभी आ सकता है और टिक सकता है जब उसको इस देश के अन्दर अच्छे तरीके से रखा जायगा, उनके साथ अच्छा बरताव होगा, और सम्मान होगा और उनके लिये अच्छी कंडीशन्स होगी। तो यहां पर वह आपकी सर्विस में आयेंगे और रहेंगे ।

एक सदस्य—

जमीन के बटवारे पर कहें ।

श्री भगवान सहाय—

बहरहाल, मैं जमीन के बटवारे के पक्ष में हूं, लेकिन उसी वक्त जब दूसरी चीजों यानी पूंजी का बटवारा हो। पूंजी का बटवारा न हो और वह दौलत एक जगह रहे तो इस तरह से मैं जमीन के बटवारे को नहीं मानता हूं। मैं माननीय गेंदासिंह जी से एक बात की दरख्वास्त करूंगा और वह यह कि हम लोगों ने आज बजट के ऊपर अपने दृष्टिकोण से सुझाव रखे। उनके ऊपर आप गौर करें और सोचें। इस प्रदेश की तरक्की में हमारा और आपका दोनों का हिस्सा है और इसकी तरक्की से हम दोनों ही प्रभावित होंगे। अगर कोई गलत कदम उठेंगे तो उनका खमियाजा हम और आप दोनों को बरदाश्त करना होगा । इसलिये हमारी गुजारिश यह है कि आप हमारे क्रिटिसिज्म पर गौर करें और सोचें कि हम कहां तक सही कहते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये जो चार मांगें रखी गई हैं उनको आप नया पहलू दें। रिसर्च की बड़ी आवश्यकता है हमारे देश में। शिवराजसिंह जी ने सुझाव रखा है, उसकी मैं बड़ी कदर करता हूं। आज हमारे यहां हर एक चीज की कमी है। इस बात की सर्च होनी चाहिये कि हम फर्टीलाइजर और पानी किस तरह से काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं किस तरह से ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जरूर तवज्जह करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे यू० पी० एग्रीकल्चर सर्विस में जो साइन्टिस्ट और टैक्नीशियन्स हैं उनकी कमी नहीं है लेकिन उनकी उपयोगिता कुछ नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं उनसे काम लिया जाय। उनको काम करने के लिये ही विभाग में रखा गया है और उनको काम देना और उनसे काम लेना आपके विभाग का काम है। उनसे आप काम लीजिये और उनको राइट का डाइरेक्शन दीजिये। और वह बहुत सी चीजें हैं जिन के लिये आप को प्रायरिटी फिक्स करना चाहिये कि किस चीज में रिसर्च हो और किस में न हो। आज जो हमारे बर्निंग प्राबलम्स हैं, जैसे खाने की समस्या है, उस के लिये जल्दी और काफी रिसर्च होनी चाहिये ताकि कम सामान में ज्यादा से ज्यादा पैदावार की जा सके। अब सवाल यह है कि रिसर्च में हम प्रायरिटी किस को दें। सीरियल हमारी पहली मांग है। गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देना चाहिये, उस पर आप रिसर्च कीजिये और उसे उन्नत कीजिये।

दूसरी बात मैंने यह कही थी कि जितनी देश में अनुसंधानशालायें हैं उनसे आपका एक्टिव कोआपरेशन होना चाहिये। एक बात मैं हार्टिकल्चर के सिलसिले में कहना चाहता हूं। उस में रिसर्च हुई है और अच्छी-अच्छी चीजें निकली हैं, उनकी अहमियत भी है, लेकिन अगर उसे हम आज टाल दें तो कोई हर्ज नहीं है। सेव की बड़ी अहमियत है, उस का उत्पादन हम बढ़ायें यह भी ठीक है, लेकिन अगर खरबूजे और तरबूज पर रिसर्च हो तो वह मैं समझता हूं कि आज और आगे आने वाले जमाने के लिये बड़ी देन होगी। उस का बड़ा उपयोग होगा। वे अपनी मिठास के लिये पूरबी और पछियाव हवाओं पर निर्भर करते हैं। अगर पछियाव चल जाता है तो खरबूजे और तरबूज मीठे होते हैं लेकिन अगर पुरवाई चल जाती है तो उनकी मिठास नष्ट हो जाती है। वे फीके पड़ जाते हैं। तो इन हवाओं के चलने न चलने के बावजूद भी अगर वे अपनी मिठास रिटेन कर सकें तो यह हमारे लिये इकानामिक दृष्टिकोण से बड़ा उपयोगी होगा और लोगों की खाने की आदत के हिसाब से इसकी बड़ी अहमियत है। इससे क्रांति पैदा की जा सकती है खाने की आदत में। दूसरे, मैं सिवाड़ा की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे देहातों में बहुत से तालाब हैं, उसके अलावा भी जो जमीन मौजूद है उसे आप छूते नहीं। इसके लिये जो पोटेंशियल बेकार पड़ा हुआ है उसका आप इस्तेमाल करें और उसकी ज्यादा फसल पैदा करने की कोशिश करें। यह हमारे देश को खाने की समस्या को हल करने में बड़ा सहायक होगा और यह बड़ा प्रमुख स्थान ले सकता है सिंघाड़े के लिये अभी तक कोई रिसर्च भी नहीं हुई है। इसी तरह से हमारे यहां फूल हैं। रिसर्च हुई है लेकिन विलायती फूलों पर ही रिसर्च हुई है। जो हमारे देशी फूल हैं, कमल है, कुमुदनी है, बेला है, चमेली और गुलाब है, उस पर कोई रिसर्च नहीं हुई है। ये सुगंध के लिये बड़े मशहूर थे। यह ठीक है कि हम बाहरी चीजों पर रिसर्च करें। लेकिन जो हमारी इंडिजिनस चीजें हैं उनको कम से कम भूल न जायं। उन पर भी ध्यान दें।

मैं माननीय गेंदासिंह जी से यह भी निवेदन करूंगा कि जब वह जवाब दें तो आंकड़े जवाब देने के साथ एक बात और भी ध्यान में रखें। जो हमारी पैदावार बढ़ी है उसके साथ हमारी जमीन का रकबा भी बढ़ा है। पहले हमारे पास ३८६ लाख एकड़ जमीन थी, अब ६०-६१ में ४०९ लाख एकड़ जमीन है। इसके बाद के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। और ये फिगर्स मैं इंडियन सोसाइटी आफ ऐग्रिकल्चरल इकोनामी जो कि १९६०-६१ का पब्लिकेशन है बम्बई का उससे कोट कर रहा हूं (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। एक बात और कहकर खत्म करूंगा। अगर और साधन नहीं बढ़ा सकते हैं तो जो साधन हैं आपके पास, उनकी पूरी जानकारी कर लीजिये और उन साधनों का मैक्जीमम एडवांटेज लीजिए। हालैंड, डेनमार्क इन दो देशों की शायद संयुक्त गोरखपुर जब था तो उससे कुछ ज्यादा

[श्री भगवान सहाय]

आबादी रही होगी। वह डेरी प्रोडक्ट वगैरह में सारे यूरोप को लीड करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में भी जाते हैं। उनका एक तरीका कोआपरेशन का है कि काश्तकार अपने यहां अच्छी चीजें पैदा करें और अगर थोड़ा भी गल्ला बच जाता है तो उसको वह मार्केट में भेज सकें।

अब मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आप कैबिनेट के मंत्री हैं, आप हावी होइये कि बिजली, इरिगेशन, कोआपरेशन और जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें खेती को बढ़ाने के लिये जिन चीजों की आवश्यकता है वह आपको मिलनी चाहिये। आप अनुरोध कीजिये कि फलां फलां लाइन पर इतने ट्यूबवैल लगने हैं और फलां बिजली की लाइन पर इतने ट्यूबवेल्स को कनेक्शन मिलने चाहिये। कोई वजह नहीं है कि बिजली डिपार्टमेंट आपकी बात को स्वीकार न करे। इसी तरह से नहर को डिक्टेट कीजिये। जिस जिस फसल के लिये जहां जहां पानी की जरूरत हो वहां के लिये कोआर्डिनेशन करके प्रबन्ध कराइये। फर्टीलाइजर जितना भी मिल सकता है उसके लिये तय कीजिये कि किस इलाके में कितना कितना भेजना है। ऐसे ऐसे बाटिलनेक्स होते हैं जहां काश्तकार को लोहा, सीमेंट ६-६ महीने साल साल भर में मिलता है ऐसा रेक-टेप चलता है उसको खत्म कीजिये। अगर ऐसा करेंगे तो यह प्रदेश आपका आभारी होगा।

श्री गेंदासिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बहस कल से कृषि अनुदान पर चल रही थी उसमें बहुत से माननीय माननीय मित्रों ने भाग लिया, मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं और उनके जो सुझाव हैं ....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जानना चाहूंगा। जो भी इनके विभाग का प्रोग्राम है वह तो है ही। लेकिन जबसे ये कृषि मंत्री हुए तो कृषि मंत्री होने पर अपनी ओर से यह ४ करोड़ की जो योजना शुरू होने वाली है इसमें स्वतः आपका क्या प्रोग्राम है, खुद क्या इंनिशिएटिव लिये हैं उस पर हम सुनना चाहेंगे। यह प्रांत जानना चाहेगा कि भाई गेंदा सिंह जी ने अपनी ओर से कौन-कौन सी नयी योजनायें चालू कीं।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, जिन उपयोगी सुझावों को माननीय सदस्यों ने दिया है, एक सुझाव को छोड़कर, बाकी सभी सुझावों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा। जो मुहकमें ज्यादा करने की मांग है वह मैं उचित नहीं समझता।

माननीय भगवान सहाय ने बड़े उपयोगी सुझाव दिये। जहां तक उत्पादन के संबंध में प्रश्न है। मैं समझता हूं यह उन्हीं का नहीं बल्कि सभी माननीय सदस्यों का वही विचार है जो उन्होंने व्यक्त किया है। मैं समझता हूं माननीय सदस्यों को जरा इस प्रश्न पर कुछ दूसरे दृष्टिकोण से सोचना चाहिये। वे इस पर जरा फिर से विचार करें। आखिर यह तो सही बात है कि खेती के नीचे कुछ जमीन बढ़ी। सरकार ने अपना कर्त्तव्य यदि मान भी लें कि पूरा नहीं किया, माननीय शिवराजसिंह और ठाकुर फूलसिंह जो नहीं हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, मगर सभी इसको तो मानेंगे कि जो जमीन नयी तोड़ी गयी उससे कुछ उत्पादन बढ़ा? जो आबादी हमारी बढ़ी और जो काम करने वाले आदमी बढ़े उन्होंने भी कुछ उपज को बढ़ाया ही है। सरकार ने अगर अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया तो आप इसी को मान लीजिये कि इसके कारण कुछ उत्पादन बढ़ा है। जब यह कहा जाता है कि पानी बढ़ाना चाहिये, तो जो पानी बढ़ा है उसके कारण कुछ तो उत्पादन बढ़ा है? तो इसके कारण जो उत्पादन बढ़ा है उसी को मानिये। (व्यवधान)

मैं समझता हूं श्रीमन्, कि जो प्रगति हुई है और उसका जो परिणाम हुआ है हमें उसको भी अपने ध्यान में रखना चाहिये । जब आप आंकड़े पेश करते हैं तो उसके उत्तर में भी आपको आंकड़ों को सुनना पड़ेगा । (व्यवधान) १९५०-५१ में ११५ लाख ८८ हजार कुछ टन का उत्पादन था और १९६४-६५ में करीब १५० लाख कुछ का है ।

मान्यवर, यह सही है कि कुछ वर्षों में उत्पादन घटा भी है और कुछ में बढ़ा भी है । जिन वर्षों में उत्पादन घटा है उसके कुछ कारण भी थे । मगर मैं समझता हूं कि जितना कुछ किया जा सकता है वह सरकार ने किया । अगर उस प्रगति को आप न भी मानें, फिर भी किसान ने स्वयं जो कुछ किया है उसे तो आप मानेंगे ही ? किसान ने तो यहां तक किया कि उसने हाथ का ही पंप खड़ा करके उससे पानी निकाला है । बड़े पैमाने पर उन्होंने उससे पानी निकाल कर खेती को सींचा । उसके साथ सरकार का कर्त्तव्य भी शामिल है । लैन्ड डेवलपमेंट बैंक से करोड़ों रुपया ऋण देकर लोगों को माइनर इर्रीगेशन के कुंये, ट्यूबवेल और पंपिंग सैट इत्यादि लगाने का अवसर दिया । पिछला वर्ष ऐसा रहा है जिसमें पिछले १५,२० वर्षों के भीतर जितना धन माइनर इर्रीगेशन पर खर्च किया गया उतना कभी खर्च नहीं किया गया वह सरकार के हाथ में तो नहीं है । वह सारा काम प्राइवेट चैनल में आया, यह नहीं माना जा सकता कि जिन्हें रुपया दिया, उन सब ही ने दुरुपयोग उसका किया । इससे मैं समझता हूं कि इसका भी बड़ा भारी हिस्सा प्रोडक्शन में है । आगे आने वाले जमाने में उत्तर प्रदेश उस दिशा की ओर जा रहा है जहां वह स्वावलम्बी हो जायगा । मुझे जिस दिन यह संदेह होगा कि उत्तर प्रदेश अन्न पैदा करने में स्वावलम्बी नहीं होगा, उसी दिन मैं यह कुर्सी छोड़कर चला जाऊंगा ।

श्री ऊदल—

लक्ष्य में कितना कमी है ?

श्री गेंदासिंह—

चौथी पंचवर्षीय योजना में हम सैल्फ-सफीशेंट हो जावेंगे ।

श्री उग्रसेन—

हिन्दुस्तान के मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री और यहां के भी कई मंत्री कितनी ही बार ऐसा कह चुके हैं । किन तथ्यों पर आधारित होकर माननीय गेंदा सिंह जो कह रहे हैं कि चौथी योजना में हम जरूर स्वावलम्बी हो जावेंगे ?

श्री गेंदासिंह—

मैं तो आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हम चौथी योजना में अन्न के मामले में स्वावलम्बी हो जावेंगे । वह आधारित अगर कुछ है दो एक एक चीजों पर है । किसानों में जो भावना पिछले डेढ़, दो वर्षों में आई, जिसका संबंध सीधे सीधे जमीन से है, उसकी सहायता के बिना जमीन की उपज बढ़ना असंभव सा है । सबसे बड़ा विश्वास का कारण तो यह है । मैं समझता हूं कि उसके बनाने में सरकार भी जो कुछ बन पड़ेगा वह करेगी । चौथी योजना में माइनर इर्रीगेशन पर उत्तर प्रदेश की योजना अभी पूरे तरीके से चल नहीं रही है । पूरा प्लान अभी हमारे सामने नहीं है । लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जितना धन आज तक माइनर इर्रीगेशन पर खर्च किया गया था, अगर मुझे सही याद है तो १५० करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार माइनर इर्रीगेशन पर खर्च करने जा रही है ।

[श्री गेंदासिंह]

इससे आखिर कुछ काम होने वाला है। श्रीमन्, इस विश्वास से कि जनता का सहयोग होगा, उसकी जो किसानी होगी और उसमें सरकार जो उपकरण बन सकती है, वह उपकरण बन कर हम उस विश्वास पर उस काम को पूरा करेंगे। माननीय शिवराजसिंह जी ने कुछ दिन कार्य किया है। जिन दिनों उन्होंने काम किया उन दिनों उनको निराशा नहीं थी; आज निराशा है, मैं उनकी उस निराशा को दूर करना चाहता हूं।

अब माननीय विजयसिंह जी से एक बात कहना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने कहा कि क्रांति का रास्ता कोई सीधा नहीं है, जिनजेग है। यह उन्हीं की भाषा है। मान लीजिये किसी कारण से एक बार यह सरकार कहीं पीछे भी चली गयी तो भी उसी जगह हम नहीं आयेंगे, जहां से चले थे। सन् १७ के रिवोल्यूशन के बाद रशा को काफी वर्षों की मेहनत के बाद भी खूराक के मांगने की आवश्यकता पड़ गयी और दुश्मन से मांगने की आवश्यकता हो गयी। कोई दूसरा आदमी चाहे इसको मानने को तैयार हो या न हो लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है इतना प्रयास करने के बाद नयी मशीनरी, नयी बुद्धि, नया विज्ञान, सब कुछ लगाने के बाद भी ऐसा समय आ सकता है कि खुराक की कमी हो जाय। जिस तरह से यह चीज एशिया में आयी वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी आ सकती है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं हो हो सकता जो आज लगाया जाता है।

आपने १९०१ से तुलना की। १९०१ से जमीन की उत्पादन क्षमता अब कुछ कम हो गयी है। अगर घटी न होती तो इस सारी प्लांस की क्या आवश्यकता होती। लेकिन उसको देखने के बाद आप १९३० में आइये, १९३५ में आइये, १९४०, १९४८ और फिर सन् १९६५ में आइये। उसके बाद आप ६४–६५ में आइये तो आपकी शिकायत दूर हो जायगी। हमारी रिकार्ड प्रोडक्शन १९६४–६५ में हुई। लेकिन १९६५–६६ में अगर इतना बड़ा सूखा न पड़ गया होता तो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कि हम १९६४–६५ से आगे होते।

दो एक बातें अभी मैं माननीय भगवान सहाय जी के उत्तर में और कहूंगा। उन्होंने कहा कि खर्च तो बढ़ा दिया। ठीक है वह बढ़ा जरूर है और किसी भी सोशलिस्टिक या वेलफेयर गवर्नमेंट में वह बढ़ता है क्योंकि उसका काम यह है कि वह देश में उपज को बढ़ाये और कहीं उसका काम यह भी है कि जो देश में पढ़े लिखे नौजवान निकलें उनको रोजगार भी दे। उसके देने में....

श्री भगवान सहाय—

जो कर्मचारी आपने बढ़ाये हैं वह उनको रोज़गार देने के लिये बढ़ाये हैं या काम उनके लिये है ?

श्री गेंदासिंह—

मैंने तो कहा कि कोई भी वेलफेयर गवर्नमेंट हो उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह लोगों को काम में लगाये। अभी हमने जवाब दिया कि कम्पोस्ट ए०डी०ओ० जो ५० की तादाद में थे उनको क्यों निकाल दिया। हमें इसको हजार बार सोचना है कि जो लोग रखे गये हैं उनको निकालने की नौबत न आये और हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने का बन्दोबस्त करें। तो मैं कह रहा था कि खर्च तो जरूर बढ़ा और वह बढ़ा तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज जो दूसरी जगह पर है, उनको वह देखें और १ करोड़ किसानों के नजदीक पहुंचने के लिये आज जो हमारी कृषि सेवायें हैं मैं समझता हूं वह अभी पर्याप्त नहीं है।

दूसरी बात यह है कि पी०आर०सी० को लागू करने में हमने यानी गवर्नमेंट ने फैसला किया कि १००० से ज्यादा वालों का वेतन न बढ़ाया जाय। उसमें टेक्निकल लोग भी आ गये। माननीय चैतन्य राज जी ने और आपने यही कहा कि हमारे महकमे के जो ऊपर के लोग

हैं उन का वेतन नहीं बढ़ा। वह इसीलिये नहीं बढ़ा कि वह १००० तक के सीमा में पड़ गये। मैं भी मानता हूं कि साइंटिफिक और टेक्निकल आदमियों को वेलपेड होना चाहिये वर्ना वह नहीं मिलेंगे उनके बाजार में दाम अधिक हैं। वह हमें देना ही होगा। आपका ध्यान दिलाऊं कि जो लो पेड लोग थे उनकी शिकायत थी और उनको जो दिया जा सका है वह दिया गया है, यह वाजबी बात है वह भी समर्थन करेंगे कि इन लोगों को दो वक्त खाना मिल सके।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

यह पशुपालन में ए०डी०ओज० के २ ग्रेड रखकर आप पशुपालन में उन्नति करना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से बीच में बोलने से भाषण का ट्रेंड टूट जाता है।

श्री गेंदासिंह—

मैं चन्द्रबली जी से कहूंगा कि जो निर्णय इसका हुआ है उसको अगर वह पढ़ लेंगे, वह शायद अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है, तो उनको संतोष हो जायगा। कांटिजेंसी का प्रश्न भी उठाया गया और मैं समझता हूं कि उसका उत्तर मिलना चाहिए।

असल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बहुत से ऐसे काम हैं जो कि परमानेंट नेचर के नहीं हैं और इसलिये उनके लिए कांटिजेंसी रखी गयी है। जो फार्म्स हैं उनके लिये २२५ रुपये प्रति एकड़ कांटिजेंसी के लिये रखा गया है ताकि जो डेली लेबर गुड़ाई और बुआई में लगे हैं उनका पेमेंट हो सके। इसमें कोई शक की बात नहीं की जा सकती है पर इसीलिये एक बहुत बड़ी रकम कांटिजेंसी में रखी गयी है।

श्री भगवान सहाय—

मैं जानना चाहता हूं, कि मैं रिसर्च की बात तो नहीं करता, आपका कितना रकबा है। मैं देखता हूं कि आपके पशुपालन विभाग और मत्स्यपालन विभाग में भी कंटिजेंनसी में ज्यादा रुपया है?

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्. जो कांटिन्जेसी के लिये रुपया रखा गया उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं उसको पढ़ देता लेकिन उसमें बहुत समय लग जायगा। अतः मैं बड़ी-बड़ी स्कीमें बताये देता हूं :

प्लान के अन्तर्गत

एक्सटेंशन आफ प्लांट प्रोटेक्शन सर्विस में	५९ लाख रुपया
स्वायल वाटर कंजरवेशन इन प्रिडोमिनन्टली एग्रीकल्चरल एरिया में	२४ लाख रुपया
रेवाइन रिक्लेमेशन में	११ लाख ३८ हजार
मल्टीप्लिकेशन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीव्यशन आफ इम्प्रूव्ड सीड्स में	१६ लाख १७ हजार।

नान-प्लान में, प्लांट प्रोटेक्शन, एस्टैब्लिशमेंट आफ वर्कशाप्स, आफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग और स्टोरेज ऐंड डिस्ट्रीव्यूशन आफ इम्प्रूव्ड सीड्स में कांटिन्जेंसी की छोटी २ रकमें हैं, जिनको सुनने में आपका ज्यादा समय लगेगा लेकिन यह बात नहीं है कि यह कांटिजेंसी की

[श्री गेंदासिंह]

रकम इसी वर्ष में रखी गयी हो । एग्रीकल्चर के बजट को देखने के साथ साथ आप पूरे बजट को भी देखें । अगर आप देखें तो आप पायेंगे कि ३९ करोड़ के बजट में से लगभग ३ करोड़ रुपये की कांटिजेंसी रखी गयी है । लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करेगी कि यह और हो ।

आलू की उपज बढ़ाने के संबंध में बहुत से माननीय साथियों ने यह कहा कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है । उनकी इस बात को मैं नहीं समझ सका । उनका यह भी कहना है कि शास्त्री जी ने अपील की और उसके अनुसार किसानों ने आलू बोया । जब यह मालूम हुआ कि आलू सस्ता बिकने लगा तो मैं समझता था कि भाई उग्रसेन जी कहेंगे कि आलू को प्राइस को सपोर्ट देना चाहिये । मैं ऐसा समझता था कि ६-७ रुपये मन पर आलू बिकेगा . . . .

श्री उग्रसेन—

५९ लाख में से जो आपने प्लांट प्रोटेक्शन के लिये रखा है उसमें से काट कर आप सब्सीडी दे दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनका जवाब सुन लीजिये उग्रसेन जी ।

श्री गेंदासिंह—

मैं बता दूं कि उस आलू को दूसरी जगह ले जा करके बेचा जिसमें उचित दाम किसान को मिल सके और यह भी ध्यान रखा गया कि कीमत ऊंची न चली जाय और इतनी कीमत रहे जिस पर किसान अगले साल आलू बो सके । इसलिये १० रुपया दाम उचित सोचा गया और यत्न किया गया कि १० रुपये पर खरीद करके, अगर सात रुपये पर भी बिकता हो, तो सरकार १० रुपये के हिसाब से खरीदे और दूसरी जगह ले जाकर बेचे । हमारी मदद के लिये मद्रास सरकार आई और महाराष्ट्र ने भी कहा है कि वह ५० हजार टन आलू उत्तर प्रदेश से खरीदना चाहता है ।

श्री उग्रसेन—

हमने आलू पैदा किया तो सरकार जो मद्रास आलू भेज रही है, वह कोई दूसरे बीज का आलू भेज रही है या जो वाकई में पैदा किया है, उसी को भेज रही है

श्री गेंदासिंह—

यह सब हम नहीं देखते हैं । माननीय भगवान सहाय ने कहा है कि नान टैक्निकल आदमियों को मौका दिया जा रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि टेक्निकल और नान टैक्निकल का कोई झगड़ा कृषि विभाग में नहीं है । कोशिश की जा रही कि टेक्निकल लोग ही उन स्थानों पर काम करें । लेकिन यह भी बात नहीं है कि अगर टेक्निकल लोग उन जगहों पर न मिलें तो नान टेक्निकल भी न जायं । कोई छुआ या छूत का भेद नहीं है और इस प्रकार का भेद रखना भी ठीक नहीं है । और जगहों पर भी ऐसे स्थानों पर नान टेक्निकल लोग है । फिर भी देखा जाय कि नान टेक्निकल लोग टेक्निकल जगहों पर आमतौर से न आयें ।

श्री भगवान सहाय—

बिलकुल न आयें ।

श्री गेंदासिंह—

यह कहना तो जरा मुश्किल है । मैं ठाकुर फूलसिंह से कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने प्रोटेक्शन के मामले में कहा है, उसकी फिगर्स फिर किसी दिन उनकी सेवा में रखूंगा और मैं

समझता हूं कि जो कुछ मैंने पहले कहा है, उसको उन्होंने सुना है और माननीय शिराजीसिंह की कुछ रिपोर्ट्स को मैं आपकी सेवा में रखूं जिससे दोनों आपस में तय करके बता सकें कि प्रोडक्शन बढ़ गया या गिर गया । मैं ठाकुर साहब का उपकार मानता हूं।

मैंने स्वाइल कन्जरवेशन का जिक्र नहीं किया था और इसलिये नहीं किया था कि ठाकुर साहब सचमुच उसकी प्रशंसा करेंगे और उन्होंने की भी। स्वायल कन्जरवेशन का काम किसानों के हित के लिये बहुत उपयोगी समझा गया है और पिछले वर्ष जो ठाकुर साहब ने कहा कि किसी आदमी का बस तो चल सकता है तो अबकी वर्ष तो केवल ४० यूनिट्स काम करते रहे हैं और सारे सूबे में, जो बजट आप पास करेंगे उससे अगले वर्ष ६० युनिट्स स्वाइल कन्जर्वेशन के हो जायेंगे। अर्थात् २० यूनिट्स अगले वर्ष खोले जायेंगे मैं समझता हूं कि इस काम को उपयोगी उमझा गया है और इसमें आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा।

एक बात ठाकुर साहब ने कही कि कैश क्राप घटाई जाय, विचार करने योग्य है। मैं अब भी इस राय का नहीं हूं। इस प्रदेश को यह कहा जाता है कि यह गरीब है और खास तौर से देहात में। मैंने भी इस पर सोचा कि गन्ना बोने से और अनाज में कमी होती है? आप देखें कि आन्ध्र अपनी खेती का साढे २२ फीसदी, मद्रास २६ फीसदी, महाराष्ट्र व गुजरात ४१ फीसदी, केरल ६३ फीसदी और पंजाब २६ फीसदी कैश क्राप में लगाता है और उत्तर प्रदेश केवल १५ प्रतिशत जिसमें चाहे वह मूंगफली, कपास, गन्ना जो चाहे बो ले। गन्ना इतना जरूर पैदा होना चाहिये कि खंडसारी चल सके और मिलों को मिल सके। तिलहन इतनी पैदा होनी चाहिये कि मिलों को मिल सके। कैश क्राप बोने से इतना होता है कि किसान को थोड़ा सा अधिक लाभ होता है । यह राय अब कायम करनी होगी कि गेहूं बोये अथवा कैश क्राप। यह मैंने नहीं कहा कि गेहूं न बढ़ाया जाय, धान न बढ़ाया जाय लेकिन उसे वह ऐसी जगह पैदा करे जहां पर अन्य अनाज कम मात्रा में होते हैं। एक तो फी एकड़ पैदावार बढ़ाई जाय दूसरे उन अनाजों को कम करना चाहिये जो कम पदा होते हैं। कैश क्राप को पैदा करने में आदमी अधिक मेहनत करता है। रोटेशन बनाने के लिये भी वह उस खेत को ज्यादा तैयारी के साथ बोयेगा और जो जिले कैश क्राप पदा करते हैं वह अनाज भी ज्यादा पैदा करते हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर जहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है वहां गेहूं भी ज्यादा पैदा कर लिया जाता है, धान भी ज्यादा पैदा कर लिया जाता है। कैश क्राप होने से जब किसान के पास कुछ पैसा अधिक होता है तो वह उसके बदौलत दूसरी खेती भी कर सकेगा और इसलिये यह नहीं सोचना चाहिये कि दूसरे प्रदेश के मुकाबले में कैश क्राप यहां कम बोई जाय।

यह बात ठीक है कि जितना कर्जा व बीज मिल रहा है किसान को उसमें से ५५ फीसदी ऐसे कामों में खर्च करता है जो खेती से ताल्लुक नहीं रखते। अगर हम लोगों ने इस मामले में बहुत सतर्कता न बरती तो वह कर्जे से लदते जायेंगे लेकिन रुपया वह शादी, ब्याह, नाच, गमी आदि में खर्च होगा और उस काम में खर्च नहीं हो पायेगा जिसके लिये उसे दिया जाता है। इसके लिये ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है। इसीलिये विचार था कि फर्टिलाइजर को कोआपरेटिव विभाग से लिंक कर दें और जब लिंक किया गया तो यह तूफान खड़ा हो गया।

श्री उग्रसेन—

मेरे गांव में एक आदमी के पास खेत नहीं था, उसको भी खाद दी गई।

श्री गेंदालाल—

ठीक है। दी गई होगी। असल में यह गलती हमारी मशीनरी की है। असल में जिसके पास जमीन न हो उसको कोआपरेटिव का कर्जा नहीं मिलता है। इसके नाम से जमीन लिख दी गई होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैं बता दूं कि कोआपरेटिव विभाग की हालत यह है कि यह देख लेते हैं कि पूरे गांव पर कितनी खाद दी जायेगी। फिर सब गांव वालों को खाद दी जाती है। कोई कर्जा ले या न ले।

श्री गेंदासिंह—

मैं समझता हूं कि इस पर सोचना चाहिये। सहकारिता मंत्री भी चाहते हैं कि किसान पर जबरदस्ती कर्जा लादना नहीं चाहिये। कम्पोस्ट पर विचार करना है।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या कारण है कि आपके फार्मों पर कम्पोस्ट पैदा नहीं किया जा रहा है?

श्री गेंदासिंह—

हमारे फार्मों की जरा रुचि इधर कम रही। लेकिन अब जितने भी हमारे फार्म्स हैं उनसे मैं पूछने वाला हूं कि उस पर कितना कम्पोस्ट बना।

श्री उग्रसेन—

आपका तो जो उत्पादन रहा उससे काम चल जायेगा।

श्री मैनेजरसिंह—

आपके जो अच्छे फार्म्स हैं वहां पर कम्पोस्ट पैदा नहीं किया गया है। गंजरिया फार्म पर भी हमने देखा है।

श्री गेंदासिंह—

वहां तो पशु इस प्रकार के हैं कि आपकी निगाह उन पर पड़े और कोई खामी दिखाई दे तो उसकी तरफ आप लोग ध्यान दिलायें क्योंकि यह आपकी ही सम्पत्ति है। इधर ध्यान गया है और यह काम पूरा किया जायेगा। खाद के दाम बढ़ रहे हैं और उसके बारे में उपमंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया। गवर्नमेंट का उसमें हाथ नहीं है। एक कमेटी बैठी थी उसने कहा कि खाद के दाम बढ़ाओ। इसलिये उसकी कीमत बढ़ गई। अगर कीमत ज्यादा है तो इसको सोचना चाहिये। भानुप्रताप जी ने कहा कि हमने लक्ष्य नहीं बनाया। मैं मानता हूं और यह सही है कि १८२ लाख टन का टारगेट था उसको घटा कर १६९ लाख टन किया अब वही कागज पर [illegible] बढ़ाना होता [illegible] मान लेते १८२ टन ही लेकिन चूंकि कागज में नहीं [illegible] है, सचमुच [illegible] लिये वस्तुस्थिति को देखने के बाद हमने उसे १८२ से १६९ कर लिया। इससे यकीन हो [illegible] चाहिये कि सिर्फ कागज में उपज नहीं बढ़ी।

डबल क्रापिंग का जहां तक सम्बन्ध है, माननीय भगवान सहाय जी से मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि उन्होंने कहा कि हर खेत पर एक खेत होना चाहिये, ऐसी बात नहीं है। एक जगह एक हजार एकड़ का फार्म हो सकता है और एक जगह एक हजार एकड़ का फार्म नहीं हो सकता। खेती के लिये परिस्थिति चाहिये, पानी चाहिये, जमीन की किस्म चाहिये, इसलिये उस पर शुबहा करने की जरूरत नहीं है। डबल क्रापिंग की काफी चेष्टा की गयी है और किसानों ने की है। अब लग्गी लट्ठा से तो नहीं नापा गया, उसमें कुछ गलती हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर मानना चाहिये कि डबल क्रापिंग में प्रगति हुई है और हो रही है।

एक बात मैं जरूर कहूंगा मिलों के चलाने के सम्बन्ध में। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब यह देखा गया कि मिलों के चलाने में देरी की जा रही और मिल वाले काफी आनाकानी कर रहे हैं, तो सरकार ने क्रशर्स के लिये एक तारीख मुकर्रर कर रखी थी कि फलां तारीख तक क्रशर्स न चलें, लेकिन ऐसी हालत में सरकार ने उस तारीख को घटा एक एकस्ट्रा आर्डिनरी आदेश निकाल दिया कि सारे क्रशर्स चला दिये जायं। इस आदेश के

निकलते ही सारे मिल वालों को अपनी-अपनी फैक्टरी चलानी पड़ी । एक बात जरूर है कि उस समय में हमें यह अन्दाजा नहीं था कि सारे के सारे गन्ने फैक्टरी में चले जायेंगे। अन्दाजा यह था कि गुड़ में जायेंगे, खांडसारी में जायेंगे लेकिन वह अन्दाजा गलत निकला।

एक बात और है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बार-बार भारत सरकार से आग्रह किया कि यहां से खांडसारी के बाहर जाने पर प्रतिबन्ध न हो, गुड़ के बाहर जाने पर तो कोई पाबन्दी है नहीं। खांडसारी पर से पाबन्दी उठाने के लिये बार-बार आग्रह किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने इस वक्त यह फैसला किया है कि बहुत उदारतापूर्वक यहां परमिट दिया जाय। पहले यह था कि खरीदने वाली स्टेट्स अपने यहां से परमिट लेकर आती थीं लेकिन अब उत्तर प्रदेश के आदमियों को परमिट देकर जल्दी २ यहां से खांडसारी बाहर भेजने का विचार है ताकि ज्यादा से ज्यादा गन्ना पेरा जा सके। किसानों को कष्ट जरूर है, इसका हमें अहसास है। मैं समझता हूं कि किसानों का काफी गन्ना काफी समय तक पड़ा रहेगा लेकिन मैं यह इत्मीनान दिलाता हूं कि सरकार बहुत सचेष्ट है जिसमें किसानों का गन्ना ज्यादा से ज्यादा पेरा जाय और ठीक समय से पेरा जाय। मैं समझता हूं कि इसमें आप लोगों का सहयोग जरूरी है और इसमें सरकार कुछ भी उठा नहीं रखेगी।

बीज के मामले में मैं मानता हूं कि हमारा यह हिस्सा जरा कमजोर है। और आपका जो यह खयाल है कि फार्म्स घाटे में जा रहा है, ऐसी बात नहीं है अब। सन् १९६४-६५ के वर्ष में वे मुनाफे में चले हैं। पहले के जो आंकड़े हैं वे घाटे के हैं, और कुछ मामूली फार्म्स ऐसे हैं.....

श्री उग्रसेन—

सन् १९६४-६५ में तो आपके कई फार्म्स ने १३-१४ मन ही बीज पैदा किये और इससे अधिक बीज आया ही नहीं।

श्री गेंदासिंह—

असल में जो फार्म्स हैं, बिना किस्म के खेती तो होती नहीं है। अच्छे बीज प्राप्त करने के लिये दो तरीके माननीय बलवानसिंह और माननीय भानुप्रतापसिंह ने बतलाये। उन दोनों की बातों पर ध्यान रखूंगा कि हम कुछ फार्म्स बढ़ावें और बिना झंझट के कहीं जमीन मिल जाय तो फार्म्स बढ़ाने का हमारा इरादा है। इसके अलावा वे काफी अच्छे किसान हैं जिनके द्वारा ठीक बीज सप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे देशों से भी अच्छे किस्म के बीज प्राप्त कर किसानों को देने की कोशिश है। हाईब्रीड मक्का का बीज भी दिया गया है। कोशिश है कि हाईब्रीड मक्का पैदा करने वाले जो बड़े-बड़े वैज्ञानिक हैं, उनको कुछ फार्म और दिये गये कि आप कुछ फायदा पहुंचाओ। यह बात जो रिसर्च के सम्बन्ध में कही गयी कि सिर्फ गेहूं में रिसर्च हुई औरों में नहीं हुई। मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि जहां उन्होंने गेहूं निकाला है धान भी उसमें है, धान नगीना-२२, नगीना स्टेशन का है। ज्वार और बाजरा के भी बीज निकालने की कोशिश की जा रही है। यह अवश्य है कि किसान को इन रिसर्चों का फायदा कैसे पहुंचे। इस बारे में एक्सटेंसन सर्विस का जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ सरकारी मुलाजिमों पर यह छोड़ कर आप खेती का काम नहीं चला सकते। उनकी एक अपनी सीमा है एक करोड़ किसान तक इन्हें पहुंचाने के लिये। सबसे बड़ा सवाल है छोटे किसानों का। बड़े किसान जो बीज खरीद कर ले सकते हैं, ट्यूब वेल्स अपने लगवा सकते हैं, और इम्प्रूव्ड मेथड अख्तियार कर सकते हैं, उनकी बात नहीं है। लेकिन जो लाखों किसान ५ और २ एकड़ से भी कम की जोत वाले हैं वह कुवें नहीं बनवा सकते, वे फर्टीलाइजर और सारी खरीदों की बात उनके लिये चल नहीं सकती। कुछ सदस्यों ने कहां से आसमान की बात क[illegible] कि

[श्री गेंदासिंह]

हम खेती लेने जा रहे हैं, सबको एक में करके सहकारी खेती करने जा रहे हैं। कहीं कोआपरेटिव के लिये जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है। मैं तो चाहता हूं जमीन का जो भी टुकड़ा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा पैदा करो। मेरा नारा है ज्यादा पैदा करो। छोटे किसानों का मसला सबसे बड़ा है और उसके लिये इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि जो उनके लिये करना चाहिये वह नहीं किया जा सका है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

"जमीन का बंटवारा", और गल्ले की कीमत" यह जो आपका पुराना नारा था, उसका क्या हुआ ?

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, एक बड़ा मजे का मामला हमारी पी० ए० सी० के सामने आया था। ए० जी० ने आपत्ति की है इनके पशुपालन विभाग में १३ लाख रुपये के मुर्गे ११ साल में गायब हो गये, ये पशुपालन विभाग के अफसर खा गये या कहां चले गये ? (व्यवधान)

इतना ही नहीं श्रीमन्, सरना के हिरन का कवाब बनाकर सी० एम० निगम खा गये।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, ३३ लाख नहीं ३३ हजार का एतराज आडिट रिपोर्ट ने किया था और भगवान सहाय जी ने उसे ही पकड़ लिया बिना समझे हुये। आडिट रिपोर्ट का एतराज क्या है और हमारे विभाग ने उस पर क्या जवाब दिया है, वह मैं यदि सुनाऊं तो १२ पेज का जो है, उसमें कितना समय लगेगा। अगर घंटों का हाउस का समय बढ़ाया जाए तब कहीं यह हो सकता है। यह एतराज का जवाब दिया गया है जो माननीय सदस्य पी० ए० सी० में है उनके सामने यह आवेगा और आपका उस पर जो फैसला होगा वह माना जाएगा।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन, यह फैसला कोई आज का नहीं है, पिछले चार पांच साल से पड़ा हुआ है। जेड० ए० अहमद की पी० ए० सी० के सामने आया, बलवानसिंह के समय में आया, शारदा-भक्तसिंह जी के समय में आया और अब जो आएंगे उनके सामने आयेगा।

श्री गेंदासिंह—

बहुत बातें ऐसी हैं, जिनके लिये समय का ध्यान रख कर मुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी। मैं अन्त में यह भी बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों का इस बात पर ध्यान जाना चाहिये कि आज जो कृषि शिक्षा है, उसको कैसा बनायें। क्योंकि यह प्रदेश सबसे घनी प्रदेश है, सारे कालेजों के आधे कालेज इस प्रदेश में हैं। उनसे जो स्नातक निकलें वह खेती के योग्य हो सकें, इसके लिये काफी चर्चा हुई और मैं समझता हूं कि इसके लिये आपकी सलाह चाहिये। छोटे किसानों और हमारे स्नातकों से खेती के काम में बड़ी मदद मिल सकती है।

श्री उग्रसेन—

लेकिन बी० एस-सी० (ए० जी०) निकाले गये।

श्री गेंदासिंह—

ऐसे उपाय किये जायेंगे कि किसी को निकालना न पड़े जिससे किसानों के ऊपर बोझ न पड़े।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आप मानते हैं कि शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है और हमारे हिन्दुस्तान में सभी लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर कृषि शिक्षा का स्तर सबसे

निम्न है और यह बकाया भी है और उसके लिये सरकार ने एक कमेटी भी बनायी थी तो उसकी सिफारिश लागू क्यों नहीं हो रही है ?

श्री गेंदासिंह—

कमेटी की रिपोर्ट आ गयी है और उस पर विचार हो रहा है और हम समझते हैं कि महीने दो महीने में, अगले सेशन से पहले पहले उस पर कुछ निर्णय ले लिया जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र से कहूंगा कि कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और पूरे अनुदान का सभी मित्र समर्थन करेंगे।

श्री भगवान सहाय—

श्रीमन, मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती के प्रस्ताव वापस लिये गये।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—कृषि सम्बन्धी विकास के अन्तर्गत १०,८९,६२,१०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१—उपनिवेशन के अन्तर्गत ५,१४,८०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्यपालन के अन्तर्गत ४,७८,६९,२०० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७—कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत १८,५०,३२,००० रुपये की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२४ मार्च, १९६६।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३७ पर]

संख्या	स्टाकिस्ट का नाम	वितरण केन्द्र	औसत
	(जो हमारे द्वारा नियुक्त किये गये)		मै० टन०
१	सर्वश्री भारत सीमेन्ट स्टोर्स, सलेमपुर, देवरिया ..	सलेमपुर ..	१४
२	,, द्वारिका प्रसाद अशरफी लाल, पडरौना देवरिया। ..	पडरौना ..	१६
३	,, देवी दत्त मदन लाल, देवरिया ..	कसिया देवरिया हाटा पत्थरदेवा ..	१५ ६०
४	,, देवरिया कन्ज्यूमर्स कोआप० स्टोर्स, देवरिया ..	देवरिया रूज़ार रुद्रपुर ..	६२
५	,, दुबे ब्रदर्स एन्ड सन्स, सलेमपुर ..	सलेमपुर भटपारे राणी भटनी ..	६१
६	,, डिस्ट्रिक्ट कोआप० फेडरेशन लिमिटेड, देवरिया	देवरिया रामपुर कारखाना रामकोला ..	२०
७	,, जय शंकर प्रसाद भगवती प्रसाद, ग्राम एवं पोस्ट कथकुइयां, देवरिया। ..	कथकुइयां ..	११
८	,, श्याम सुन्दर शंकर प्रसाद, ग्राम एवं पोस्ट खड्डा देवरिया ..	खड्डा ..	११
९	,, भटपार राणी सहकारी समिति, ग्राम एवं भटपार, देवरिया। ..	भटवार राणी ..	१७
१०	,, अग्रवाल सीमेन्ट सप्लाइंग कम्पनी, पडरौना देवरिया। ..	पडरौना ..	७
११	,, राम गोपाल शंकर, प्रसाद, ग्राम एवं पोस्ट लक्ष्मी गंज, देवरिया। ..	लक्ष्मीगंज कप्तानगंज ..	४४
	(दो स्टाकिस्ट जो सी० एम० आई० से हमारे क्षेत्र में आवें अब जिन्हें सीमेंट यहां से मिलता है)		मै० टन०
१३	,, फूल चन्द राम भूटान राम, देवरिया ..	देवरिया ..	२२
१२	,, गोपी कृष्ण रघुनाथ दास ..	देवरिया ..	१७
		कसिया ..	३
		हाटा ..	३
		पडरौना ..	२९
		राम कोला ..	५
१४	,, शादी राम जुगल किशोर, देवरिया ..	देवरिया ..	६

क्रम-संख्या	स्टाकिस्ट का नाम	वितरण केन्द्र	औसत
१५	सर्वश्री बजरंग लाल मदन लाल, देवरिवा	.. देवरिया	.. १९ मै० ट०
१६	,, राम बूज, हर्ष चन्द्र भटधार रानी	.. मटपार रानी	.. २५ ,, ,,
१७	,, राज कुमार शिव प्रसाद, बहर्ज बाजार ..	बहर्ज बाजार	.. १५ ,, ,,
		सलेमपुर	.. १० ,, ,,
		भटनी	.. ४ ,, ,,
		खार रोड	.. १२ ,, ,,
१८	,, अब्दुल रहमान मोहम्मद हनीफ, कप्तानगंज, देवरिया।	..कप्तानगंज	.. १६ ::
१९	,, विशेषर लाल देवराइ, टम्कोही रोड पोस्ट, खिजोराही।	टम्कोही रोड	४० ,, ,,
		दुधई	७ ,, ,,
		फजरनगर	.. ४ ,, ,,
		केथकुइयां	.. १० ,, ,,
२०	,, जन्ती ट्रेडिंग कम्पनी, टूमकोही रोडपोस्ट लक्ष्मी गंज, देवरिया।	लक्ष्मी गंज	.. ७ ,, ,,
२१	,, हीरा किशन प्रसाद, मह० साहेबगंज गोरखपुर।	पडरौना	.. ६ ,, ,,
२२	,, गौरी दत्त मुन्ना लाल, गौरी बाजार, देवरिया।	गौरी बाजार	.. १६ ,, ,,
२३	,, अशोक कुमार खत्या नन्द, टम्कोही रोड, पोस्ट सियोरोही	सियोराही दधौत समन बाजार फजिलनगर टम्कोही रोड दुधई केठकुइआं	५० ,, ,,
२४	,, गिरजा शंकर अग्रवाल, पडरौना देवरिया।	पडरौना खद्दा	२० ,, ,,
२५	,, लक्ष्मी नारायण छेदीलाल कप्तान गंज, देवरिया।	कप्तानगंज दपोत हाटा	१७ ,, ,,
२६	,, महावीर प्रसाद बैंटिया, बैजरिया	देयरिया कसिया हाटा गौरी बाजार।	४२ ,, ,,
२७	,, मन्नो लाल मोतीलाल, बाहर्ज बाजार देवरिया।	सलेमपुर बाहर्ज बाजार	२४ ,, ,,
२८	,, मदन लाल विष्णुकुमार, केडिया, देवरिया।	देवरिया	.. २१ ,, ,,
२९	,, मदन लाल सीता राम, बाहर्ज बाजार।	बाहर्ज बाजार	.. ४ ,, ,,
३०	,, मोहन लाल बिनोद कुमार, देवरिया	देवरिया	.. १५ ,, ,,
३१	,, ओम प्रकाश अग्रवाल, लक्ष्मी गंज	लक्ष्मीगंज	.. १० ,, ,,
३२	,, संतोष कुमार तिवेधाल, पडरौना	पडरौना	.. ४ ,, ,,
३३	,, सुनेडी लाल महाबीर प्रसाद, पिपराइज, गोरखपुर।	बदरवार	.. १९ ,, ,,

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ४–५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५४१ पर]

थाना	अपराध	संख्या	संख्या चालान	संख्या सजा	संख्या रिहा
१—कोतवाली ..	.. कत्ल	२	१	—	१
	डकैती	३	२	२	—
२—नरेनी ..	.. कत्ल	२	२	—	२
	डकैती	२	१	—	१
३—गिरवां ..	.. कत्ल	२	२	—	२
	डकैती	२	१	—	१
४—कमासिन ..	.. कत्ल	३	२	—	२
	डकैती	—	—	—	—
५—मर्का ..	.. कत्ल	३२	२	—	२
	डकैती	—	—	—	—
६—बबेरु ..	.. कत्ल	६	४	—	४
	डकैती	४	३	१	२
७—पैलानी ..	.. कत्ल	७	३	—	३
	डकैती	७	५	२	३
८—तिंदवारी ..	.. कत्ल	४	३	—	३
	डकैती	१	—	—	—
९—कर्वी ..	.. कत्ल	६	२	—	२
	डकैती	६	६	१	४
१०—मानिकपुर ..	.. कत्ल	३	१	१	—
	डकैती	१	१	—	१
११—बिसंडा ..	.. कत्ल	७	७	—	६
	डकैती	१	१	—	१
१२—रैपुरा ..	.. कत्ल	५	३	—	३
	डकैती	—	—	—	—
१३—राजापुर ..	.. कत्ल	११	६	१	५
	डकैती	१	—	—	—
१४—बदौसा ..	.. कत्ल	२	२	—	१
	डकैती	—	—	—	—
१५—मऊ ..	.. कत्ल	३	१	—	१
	डकैती	—	—	—	—
१६—अतर्रा ..	.. कत्ल	१	१	—	१
	डकैती	१	१	—	१
१७—पहाड़ी ..	.. कत्ल	२	१	—	१
	डकैती	१	—	—	—
१८—मटौंध ..	.. कत्ल	—	—	—	—
	डकैती	१	—	—	—

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १३–१४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५० पर]

जिला तथा शहर में सन् १९६४–१९६५ में हुए कत्ल, डाके, चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में वांछित सूचना।

सन्		अपराधों की संख्या	जो मुकदमें कोर्ट में चल रहे हैं उनकी संख्या	जितने-मुकदमे में निर्णय हुआ उनकी संख्या	जितने मामले में फाइनल रिपोर्ट लगी उनकी संख्या
१	२	३	४	५	६
१९६४.	कत्ल ..	६८	३	४१	२४
	डकैती ..	३१	—	२०	११
	चोरी व नकबजनी	५७४	९	१०९	३२४
१९६५.	कत्ल ..	७४	३६	५	१९
	डकैती ..	३७	२४	—	४
	चोरी व नकबजनी	६१९	५९	२०	२८७
	बांदा शहर				
१९६४.	कत्ल ..	१	—	—	१
	डकैती ..	—	—	—	—
	चोरी व नकबजनी	१५३	३	३३	६१
१९६५.	कत्ल ..	१	—	—	१
	डकैती ..	१	१	—	—
	चोरी व नकबजनी	२०८	१८	२७	१३६

नत्थी क

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५४ पर)

विवरण

९-१-६६ को लखनऊ शहर में धारा १४४ लागू होने के कारण बिना पूर्व आज्ञा प्राप्त किये किसी प्रकार का जुलूस निकालना वर्जित था। उस दिन अपरान्ह में लगभग २५० स्वर्णकारों ने बिना पूर्व आज्ञा प्राप्त किये उक्त धारा का उल्लघंन करके एक जुलूस झन्डे वाला पार्क अमीनाबाद से निकाला। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उनसे जुलूस निकालने का प्राधिकार दिलाने को कहा। पुलिस के बार-बार समझाने तथा समुचित चेतावनी देने पर भी जब वे न माने तो गिरफ्तारी के लिये बाध्य होना पड़ा। गिरफ्तारी प्रारम्भ होते ही जुलूस में भाग लेने वाले लोग भाग खड़े हुए और उस भाग-दौड़ में कुछ लोग गिरते-पड़ते देखे गये। पुलिस ने ५ व्यक्तियों को झंडों सहित गिरफ्तार किया जिनको उसी शाम को व्यक्तिगत मुचलके पर सिटी मैजिस्ट्रेट के आदेशानुसार छोड़ दिया गया। पुलिस ने कोई लाठी चार्ज नहीं किया। किसी स्वर्णकार के जख्मी होने की सूचना नहीं मिली।

नत्थी ''

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५७ पर)

विवरण

थाना भगतपुर पर दिनांक २२-१-६६ को सुबह एक रिपोर्ट भा० दं० वि० की धारा ३९५/३९७ के अन्तर्गत प्राप्त हुई जिनके अनुसार श्री मुश्ताक हुसैन पुत्र अमीर हुसैन निवासी ग्राम सेरखाता के मकान पर २१/२२ जनवरी की रात्रि में एक डकैती पड़ी। रिपोर्ट में १३ अपराधियों के नाम लिखाये गये और ३ अपराधियों के घटनास्थल पर मारे जाने की सूचना दी गई। ११,००० रु० की नगदी, जेवर, कपड़ा व अन्य सामान का लूटा जाना भी बताया गया। तेरहों अभियुक्तों ने ए० डी० एम० जे० के न्यायालय में आत्म समर्पण किया। न्यायालय द्वारा वे जमानत पर छोड़ दिये गये हैं। मामले में जांच अभी चल रही है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५७)

5 p.m. on 12.2.66

Examined Shanker, son of Budha aged about 25 years, resident of Barsana, police station Barsana, district Mathura.

M.O.I. A mole in front of left shoulder.

1. M. Contusions 3 1/2 X 2 1/2 on the top and drop of left shoulder.
2. Abraded contusion 9 1/2 X 4 1/2 on the right. side of back upper and middle third.
3. Abrasion 3 1/2 X 2" on the back of right Elbow.
4. Abrasion 3 1/2 X 1 1/2" on the back of left Elbow.
5. M. Contusions 7 1/2 X 6" on the right buttock.
6. M. Contusions 6 1/2 X 6" on the left buttock....
7. Abrasion 1 1/2 X 3/4" on the right side back lower third near middle line.
8. Abrasion 1 1/2 X 1 1/2 on the left Iliac region.
9. Abrasion 1 1/2 X 1/2" on the right Ant-Sup. Iliac spine.
10. Abrasion 1 1/2 X 1/2" on the front of right knee.

All injuries are simple and caused by some blunt weapon. Duration about 1 day.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Assistant Medical Officer
District Jail Hospital, Mathura

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६० पर)

Examined U.T. Ehsan Khan, aged about 35 years, son of Nathu Khan, Muslim, resident of village Rari-Salein,police station Bindki district Fatehpur on April 3, 1965 at 5.20 p.m. and noted the following:

(1) Stiched wound 1 1/2" X 1/4" on the back of left hand and root of left thumb. There is swelling round about the wound.

(2) Stiched wound 1 1/2 X 1/4" on the palmer aspect of left hand near the root of left thumb.

All the injuries are simple in nature. Nature of weapon can not be ascertained. Duration of the injuries about one day.

M.I. Ild scar mark on the right upper part of abdomen size 112" X 1/4"

Sd. S. N. MANDAL,

Sd. S. C. SHARMA.

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६३ पर)

सूची धनराशि जो प्रत्येक गांव से प्राप्त हुई

गांव का नाम		सुरक्षा कोष के लिये धन	गांव का नाम		सुरक्षा कोष के लिये धन
आकोलही	..	७८.००	डुमरिया बजुर्ग		७०.००
राजेडीहा	..	२९२.५०	बुल्लही	..	१०.००
बेलोहा	..	१३४.५०	चारईताल	..	१०.००
रमवापुर	..	१३२.००	कुडजा	..	१३९.००
गौपालपुर	..	१०.००	कोटिया पांडे	..	३०.००
हसनी	..	२०.००	मेहनुआ	..	१७.००
गोपडोरी	..	१३०.०	बनकाटा	..	७०.५०
फुलबरिया	..	१११.००	सोरहा	..	२४.००
कोटिया	..	१०.००	सेवाई चपार	..	१७१.५०
बंजरहा	..	१२९.५०	ढाढौड़ा	..	६६.००
सेमरा	..	६१.००	बिसुनपुर	..	१४८.००
मटियरिया	..	१०.००	सिसहनिवा	..	१०.००
पिपरा	..	२६.००	नासिरगंज	..	१६५.००
मैइसा	..	७०.००	खंजुरीही	..	१०७.००
बसडीला	..	७७.००	आसान गाढ़ा	..	२८.००
कलनाखोर	..	६०.५०	नेतारी कला	..	४७.५०
मुलरिया	..	४५.००	बोरी हार	..	५०.००
मोईनानकार	..	६.००	चिउन	..	१३४.००
बगहाताल	..	१८.००	गोहठहा	..	८९.००
कैथवलिया	..	७५.००	करमा	..	११३.००
परोई	..	१३०.५०	गोबरखुरी साधन		१५.००
बेलबनवा	..	६२.७५	करमासाधन	..	१५.००
बनवार	..	१०.००	सुपोली साधन		१५.००

गांव का नाम		सुरक्षा कोष के लिये धन	गांव का नाम		सुरक्षा कोष के लिये धन
सुतेइकनपुरवा	..	४४.७५	मेडौहासाधन	..	१०४.५०
नगवा	..	८६.००	वनवारसाधन	..	३५.५०
महुआ	..	९०.००	मझरिया	..	१०१.००
बेलवालगुनही	..	२६८.२५	मीरापुर	..	११६.००
पचमोहिनी	..	२८.००	टीकुर	..	११०.००
देवग्रह	..	१०१.००	ऐचनी	..	२१४.००
मलुआ	..	१०१.००	सकारपार	..	२२.००
खेसरहा	..	५४.००	सेमरहना	..	६६.००
धर्मसिगदा	..	६६४.००	बजही	..	७५.००
देवरी	..	४५४.५०	धौरहरा	..	९७.००
बढ़या	..	३२.००	बनौली	..	४६.००
बदसा	..	११०.००	पचमोहनी	..	४०.००
सुपोली	..	९०.००	घुसहा	..	७३.२५
चोरही	..	१५५.००	गेगटा	..	५०.००
टिकुइया	..	१०.००	खेसरही	..	२०.००
सिकरी	..	२२५.००	अर्जी	..	११७.००
बेलउखा	..	३४०.००	जहराव	..	५०.००
मझरिया	..	७७.००	कंचनपुर	..	११२.५०
सिवगुलाम	..	..		..	..
गारीराई	..	६८.००	मथौरा	..	८०.००
महुआपुर	..	२५.००	कसीहरर	..	७१.००
मदरहना	..	३५.००	हरैया	..	९.००
केसवार	..	१५०.००	जेड़ारी बुस्जुंग	..	४८.५०
हसवापार	..	५५.००	हकीमराई	..	८९.२५
बकैइनिया	..	७०.००	मूवडीह	..	४०.००
सवाडाड	..	२२.००	झितौनी	..	२७.००
इमिग्निया	..	१९१.५०	मुहलानी		२२.००

१		२	३		४
मानुपुर माफी	..	११३.००	गेड़ाखौर	..	५२.००
मानपुर	..	१२७.००	दुर्गवा	..	१०२.००
मरबटिया	..	११९.००	कासडीह	..	४०.००
कलनाखोर	..	९८.००	बेसाल	..	१०.००
मुहई नानकार	..	१३०.००	ब्लाक कचारी		१८२.००
लसुर्जताल	..	१६.००	गढ़ का चन्दा		..
सेमरामुसइहकम	..	३७.२८			
कुनोना	..	१०२.००			
गोपडोरी	..	२६.५०	योग	..	९,७८१.०३

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६३ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के ७वें गुरुवार के तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर में उल्लिखित सूची।

वर्ष	मेरठ जिले में लघु उद्योगों को ऋण देने हेतु हुई बैठकों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत के पश्चात कितने दिन बाद अभ्यर्थियों को धन प्राप्त हुआ
१	२	३	४
		रु०	
१९६४–६५	एक	२,६५,०५०	लगभग ढाई महीने में।
१९६५–६६	एक	४०,२००	लगभग ढाई महीने में।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६५ पर)

दिसम्बर, १९६५ से २८–२–६६ तक आजमगढ़ जिले के मधुबन, दोहरी घाट तथा घोसी थानों के थानेदारों के खिलाफ प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का विवरण

क्रम-संख्या	माह जिसमें शिकायती पत्र प्राप्त हुआ	शिकायत करने वाले व्यक्ति का नाम व पता	शिकायती-पत्र किसके विरुद्ध है	किसको भेजा गया	जांच कार्यवाही
१	२	३	४	५	६
१	दिसम्बर, ६५	श्री अली अहमद ग्राम लुधवाई, थाना मधुबन आजमगढ़, वर्तमान बम्बई।	थानाध्यक्ष मधुबन	जिलाधीश आजमगढ़	थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप सही नहीं पाय गय।
२	,,	श्रीमती किशनदेई, ग्राम इटोरा चौबेपुर, थाना मुहम्मदाबाद, आजमगढ़।	थानाध्यक्ष घोसी	उत्तर प्रदेश सरकार	प्रार्थिनी के पुत्र श्री नागेन्द्र चौबे द्वारा दायर किया गया एक मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।
३	,,	श्री रामकिंकर राय सरपंच न्याय पंचायत, गोंठाटिकरी, आजमगढ़।	थानाध्यक्ष दोहरीघाट	मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	जांच से आरोप असत्य पाये गये।
४	,,	श्री महातम राय, ग्राम गोठा, थाना दोहरीघाट, आजमगढ़।	,,	पुलिस अधीक्षक आजमगढ़।	,, ,,
५	,,	श्री शम्भू पांडे पुत्र कृष्णनन्दन पांडे सा० रसूलपुर, आदमपुर उर्फ रामपुर, थाना मधुबन, आजमगढ़।	थानाध्यक्ष मधुबन	,,	,, ,,

६	,,	श्री त्रिभुवन राय, अध्यक्ष मंडल कांग्रेस कमेटी, गोठा, थाना दोहरीघाट, आजमगढ़ ।	थानाध्यक्ष दोहरीघाट	पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ।	,,	,,	
७	,,	श्री चन्द्रदेव सिंह ग्राम तिघरा, थाना मधुबन, आजमगढ़ ।	थानाध्यक्ष मधुबन	गृह मंत्री जी	,,	,,	
८	,,	श्री बाबूराम मूल भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी, तहसील घोसी, आजमगढ़ ।	थानाध्यक्ष दोहरीघाट	जिलाधीश आजमगढ़	,,	,,	
९	जनवरी, ६६	श्री संकठा राय, ग्राम वरनवारा, थाना जियनपुर, हा०मु० दोहरीघाट, आजमगढ़ ।	,,	पुलिस महानिरीक्षक उ० प्र०, लखनऊ ।	,,	,,	
१०	,,	श्री रामजी कान्द, ग्राम लखनौर मधुबन, आजमगढ़ ।	थानाध्यक्ष मधुबन	० उप-महानिरीक्षक वाराणसी ।	,,	,,	
११	,,	श्री किशोर मिस्त्री, ग्राम सिपाह इब्राहिमाबाद, थाना मधुबन, आजमगढ़ ।	,,	,,	आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।		
१२	,,	श्री सकलदेव प्रसाद यादव, ग्राम पिडसूई, थाना घोसी, आजमगढ़ ।	थानाध्यक्ष घोसी	,,	थानाध्यक्ष ने प्रार्थी के विपक्ष गण का चालान धारा १०७/११७ जा० फो० में कर दिया है ।		
१३	,,	श्री हसन खां, ग्राम सिपाह इब्राहिमाबाद, थाना मधुबन, आजमगढ़ ।	थानाध्यक्ष मधुबन	पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ।	आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।		
१४	फरवरी, ६६	श्री सुरेशचन्द्र, ग्राम व थाना दोहरीघाट, आजमगढ़ ।	थानाध्यक्ष दोहरीघाट	पुलिस उप म० निरीक्षक वाराणसी	प्रार्थना-पत्र २८–२–६६ को प्राप्त हुआ है जांच हो रही है ।		
१५	,,	बाबा समुन्दरदास, दोहरीघाट, आजमगढ़	थानाध्यक्ष दोहरीघाट	पु० महानिरीक्षक लखनऊ ।	,,	,,	
१६	,,	फागु चौहान, मधुबन, आजमगढ़	थानाध्यक्ष मधुबन	पुलिस उप म० निरीक्षक, वाराणसी ।	,,	,,	

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६७ पर)

घटना का विवरण

दिनांक २८/२९ जनवरी, १९६६ की रात्रि में श्री सत्य गोपाल झिंगरन, कर्मचारी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अपनी माता की चीख सुनकर गुसलखाने में गये, वहां छिपे हुये चोरों ने उन पर चाकू से वार किया और भागने लगे। चोट लगने पर भी उन्होंने एक भागते हुये चोर का पैर पकड़ कर घसीटा जिस पर चोरों ने उन पर पुनः चाकू से वार किया और मकान की छत पर चढ़कर भाग गये। श्री झिंगरन अपने आंगन के बरामदे के पास गिर गये और अस्पताल पहुंचने के पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२९ एल० ए०—११६६—८६२।